



उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
 विश्वविद्यालय परिसर, चाम्पिपुरम (रोडनगर -एफ), काशीमंडल
 इलाहाबाद - 201013

डी. पी. त्रिपाठी
 जिला अधिकारी

फोन : 0522-2647047

पत्रक जोर पत्र/विल/1734 / 2015

दिनांक 27-08-2015

आदरणीय गौरव,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की विज्ञापन समिति की दिनांक 26.08.2015 को सम्पन्न 31वीं वार्षिकवर्षीय बैठक का आयोजित इत पत्र से कार्य संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया प्राप्ति कीशर करें।

भवदीय

 (भारतीय प्रशासन विभागीय)
 जिला अधिकारी
 27/8/15

संलग्नक: एड्रेसरि।

1. डी. एम. पी. बुद्धे
 कुलपति,
 उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
2. श्री ए. एन. एस. वादव
 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
 उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
3. श्री कौलश नाम गुप्त
 अवर निदेशक,
 छात्रवृत्त एवं भेदान, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद
4. प्रो. जे. एन. मिश्र,
 अध्यक्ष, चाम्पिपुरम विभाग,
 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
5. डॉ. पी. पी. बुद्धे
 परीक्षा नियंत्रक
 उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

Please Officer
 U.P. Police Training and Control
 Attached

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 26.08.2015 को सम्पन्न वित्त समिति की आपातकालीन बैठक की कार्यपत्र

बैठक का स्थान - विश्वविद्यालय मुख्य भवन शांतिपुरम्, फलामग, इलाहाबाद
 बैठक की तिथि एवं समय - 26 अगस्त 2015, अपराह्न 04.00 बजे।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

- | | |
|---|------------|
| 1. प्रो. एन.पी. दुबे
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
इलाहाबाद | अध्यक्ष |
| 2. श्री ए.एम.एस. पाठक
संयोजक राज्य शिक्षा अधिकारी
उच्च शिक्षा निर्देशक, उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद
(सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित) | उपध्यक्ष |
| 3. श्री जैलस-श्याम गुप्ता
अन्य निर्देशक,
सोपानार एवं पेशन, इलाहाबाद मण्डल
इलाहाबाद।
(अनुसूच सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित) | सदस्य |
| 4. प्रो. जे.एम. मिश्र
अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 5. डॉ. पी.पी. दुबे
सहाय निदेशक
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 6. श्री धर्मेन्द्र प्रकाश त्रिपाठी
कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य/सचिव |

कार्यपत्रों के अनुसार कार्यवाही से आरम्भ में कुलपति जी ने कवरों का स्वागत किया
 उपस्थित बैठक में निम्न विन्दुओं का विचार किया गया -

बिन्दु संख्या-31.01

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद में निर्देशात्मक (गैन्टीड) पुस्तकालय के प्रथम एल के अपूर्ण निर्मित भाग को पूर्ण बनाने जाने पर विचार

- (38) कार्यपरिषद् ने अपनी विद्यती बैठक दिनांक 29 अगस्त, 2014 के संकल्प संख्या 75-05 (12) के अन्तर्गत मिल सन्धि की बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2014 के संकल्प संख्या 29.12 में की गयी संसुति, जो निम्नवत है, को पुराना स्वीकार किया :-

"मिल सन्धि ने निर्णय लिया कि पुस्तकालय निर्माण का प्रथम सर्वप्रथम भाग सन्धि में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए, उत्तरवार्ता योजना बोर्ड के सदस्य को मिल सन्धि की अगली बैठक में पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।"

कलम परिषद् के निर्णयानुसार भाग सन्धि की बैठक दिनांक 10-10-2014 को आयोजित की गयी जिसे दिनांक 09-12-2014 को योजना बोर्ड के बैठक में विचार किया गया। योजना बोर्ड की संसुति निम्नवत है :-

"योजना बोर्ड ने संसुति किया कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद में निर्देशात्मक (गैन्टीड) पुस्तकालय के प्रथम एल के अपूर्ण निर्मित भाग को पूर्ण बनाने जाने हेतु कार्यवाही संख्या 80 15 दिनों का समय देने हुए अगला प्रश्न किया जाए कि विश्वविद्यालय द्वारा विवेक से प्रस्तावित रु. 96.60 लाख के सम्पत्ति को पूर्ण है अथवा नहीं है। इसको परम्पत्ति ही अंततः कार्यवाही की जाए।"

- (39) उक्त संसुति के अन्त में यह अवगत कराना है कि प्रस्तुत प्रकरण में भारतीय लेख एवं लेखक परिषद विभाग 30 प्रो इलाहाबाद के सम्बन्धों द्वारा निम्नलिखित बिन्दु इंगित किया गया है :-

- (1) कार्यवाही संख्या 30 प्रो राजकीय निर्माण निगम लिड वीरगंजी इकाई इलाहाबाद के 80 157.10 लाख के अंशित अगमन को दुरुन्ध शिवा परिषद नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। कार्यवाही संख्या 30 प्रो 30 निर्माण निगम लिड वीरगंजी इकाई इलाहाबाद के सत्र दिनांक 21.03.2012 को अनुबन्ध किया गया। कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 05/2012 एवं कार्यपूर्ण की तिथि 08/2013 की। 30 प्रो राजकीय निर्माण निगम को कार्य आदेश जारी किया गया तथा रु. 96.60 लाख एल मुक्त उपलब्ध कराये गये। कार्यवाही संख्या ने दिनांक 12.12.2012 को यह सूचित किया कि पूरा कर कार्य पूर्ण

एवं प्रथम तल का कार्य प्रगति पर है तथा 96.60 लाख व्यय हो गयी। निर्माण कार्य खादी एजन्सि के लिए तत्काल धन की आवश्यकता थी तथा दिनांक 23.11.2012 को कार्य बन्द कर दिया।

- (B) दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में धन निर्माण हेतु कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई एवं न ही विश्वविद्यालय द्वारा अपने बंधों से व्यवस्था की गयी। मरता रु. 96.60 लाख की धनराशि अदायगी नहीं।

अतः अडिटेड अकॉउंट को देखते हुए उक्त कार्य के सम्बन्ध व्यय की नई धनराशि रु. 96.60 लाख अदायगी न हो, इस हेतु विश्वविद्यालय को अपने बंधों से धन की व्यवस्था की जागी होगी एवं वर्ष से बंद कार्य को शुरू करना होगा। 00 प्रो राजकीय निर्माण निगम ने अपने पत्र सं० 12/एल/वीशान्बी इकाई/राजकीय निर्माण निगम/पुस्तकालय भवन/14 दिनांक 19.01.2015 द्वारा 96.60 लाख के कार्य पूर्ण किये जाने की सूचना दी गयी है तथा वही मूल धनराशि रु. 157.10 लाख के सम्बन्ध अग्रिम धनराशि रु. 60.50 लाख बने तत्काल अनुमति करने का मूल अनुबंध किया है जिससे कार्य आरम्भ हो सके। अतः विश्वविद्यालय को बंधों से उक्त कार्य हेतु बजट प्रत्याशा हेतु प्रकरण वित्त समिती को सन्धि निर्णय प्रस्तुत है।

अतः वित्त समिती ने प्रकरण पर विचार किया।

"वित्त समिती ने निर्माणधीन केंद्रीय पुस्तकालय तल को विश्वविद्यालय के अग्रिम बंधों से निर्माण कार्य पूर्ण करने की अनुमति दी।"

कार्य परिषद् ने वित्त समिती की अनुमति पर विचार किया।

वित्त समिती की अनुमति को विधायकता कार्य परिषद् ने व्यवसाय स्वीकार किया।

कार्य परिषद् के उपर्युक्त निर्णय के क्रम में कार्यकारी संस्था 00 प्रो राजकीय निर्माण निगम लि० वीशान्बी इकाई इलाहाबाद को पत्र संख्या 12/एल/वीशान्बी इकाई/रा.नि.नि./पुस्तकालय भवन/15 दिनांक 19-01-2015 के दृष्टिगत मूल आगमन के सम्बन्ध अग्रिम धनराशि रु. 60.50 लाख अनुमति किया गया जिससे कार्य आरम्भ किया जा सके।

Place: Office

U.P. Falguni Tandon open Library
Allahabad.

कार्यवाही संस्था ने अपने पत्र संख्या 200/इल/वीशामी इकाई/रा.नि.नि./पुस्तकालय भवन/15 दिनांक 19-08-2015 (संलग्नक 01 पृष्ठ संख्या 06) के निम्न पूर्व पत्रों

1. पत्र संख्या 21/इल/वीशामी इकाई/रा.नि.नि./पुस्तकालय भवन/13 दिनांक 15-01-2013 (संलग्नक 02 पृष्ठ संख्या 7)
2. पत्र संख्या 126/इल/वीशामी इकाई/रा.नि.नि./पुस्तकालय भवन/14 दिनांक 09-05-2014 (संलग्नक 03 पृष्ठ संख्या 8)
3. पत्र संख्या 166/इल/वीशामी इकाई/रा.नि.नि./पुस्तकालय भवन/14 दिनांक 28-06-2014 (संलग्नक 04 पृष्ठ संख्या 9)
4. पत्र संख्या 177/इल/वीशामी इकाई/रा.नि.नि./पुस्तकालय भवन/14 दिनांक 07-09-2014 (संलग्नक 05 पृष्ठ संख्या 10)
5. पत्र संख्या 12/इल/वीशामी इकाई/रा.नि.नि./पुस्तकालय भवन/15 दिनांक 19-01-2015 (संलग्नक 06 पृष्ठ संख्या 11)
6. पत्र संख्या 200/इल/वीशामी इकाई/रा.नि.नि./पुस्तकालय भवन/15 दिनांक 18-08-2015 (संलग्नक 07 पृष्ठ संख्या 12)

का सन्दर्भ देते हुए अवरोध कार्य पूर्ण करावे जाने हेतु संशोधित आगमन के अनुसूचक नम्बर हुई धरती कि. 79.37 लाख की मात्रा की गयी है। सूचना है कि कार्यवाही संस्था ने पत्र संख्या 126/इल/वीशामी इकाई/रा.नि.नि./पुस्तकालय भवन/14 दिनांक 09-05-2014 (संलग्नक 08 पृष्ठ संख्या 13-16) एवं महासचिवक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिड. इलाहाबाद अंवार, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1373/म.प्र./इल.अ./रा.नि.नि./पुस्तकालय भवन/14 दिनांक 21-07-2014 (संलग्नक 09 पृष्ठ संख्या 17-22) द्वारा मूल आगमन की अवरोध धरती कि. 60.50 लाख के विरुद्ध संशोधित आगमन के सम्बंध कि. 79.37 की मात्रा की गयी थी। जिस पर भवन समिति ने अपनी संसृति में कार्यवाही संस्था से कि. 79.37 के व्ययोंकी स्वीकृति प्राप्त होने पर अनुसूचक करने की संसृति की गयी थी किन्तु अभी तक भवन समिति की संसृति दिनांक 10-10-2014 के विन्दु 05 के अनुवाचन में संशोधित आगमन की तकनीकी स्वीकृति राजकीय निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है। दिनांक 05 सितम्बर, 2015 को उच्चा मध्य का लोकसर्व मालीय की कार्यपालक द्वारा किया जना है। अतः निर्धारित तिथि को संशोधन का कार्य सुप्रभाविता न हो इस हेतु प्रकरण कोलक बोर्ड से समस्त विचारार्थ प्रस्तुत है।

कोलका बोर्ड ने प्रसंगत विन्दु पर विचार किया।

File No. 01/10/10

U.P. Rajaratn Tandon Open University
Allahabad.

बैठक में उपरोक्त परिवर्तन प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत किए गए पत्र संख्या 219/इका/बीसाबी इकाई/प.गि.वि./मुम्बई/मंग/15 दिनांक 25-08-2015 (संलग्नक 10 पृष्ठ संख्या 22) के आधार पर योजना बोर्ड ने संस्तुत किया कि विश्वविद्यालय के वित्तीय परिवार में निम्नलिखित कंपनीय पुस्तकालय के प्रथम ताल के अपूर्ण निर्दिष्ट भाग को पूर्ण कराये जाने पर हेतु अपरोक्त धनराशि 18.87 लाख कार्यवाही संस्था को अस्तुता कर दिया जाए।

“योजना बोर्ड की उपरोक्त संस्तुति पर वित्त समिति ने विचार किया। वित्त समिति ने योजना बोर्ड की अनुमति को बकाया स्वीकार करते हुए अपरोक्त धनराशि अथवा 18.87 लाख कार्यवाही संस्था को अस्तुता करने की संस्तुति की।”

कार्यवाही संख्या 21.02

विश्वविद्यालय का प्रथि एवं मुताल खाता आम एवं आम खाता तथा अतिरिक्त विट्टा (Balance Sheet) तैयार किये जाने के लिए Chartered Accountant (C.A) को दैव शुल्क में वृद्धि हेतु उनके प्रस्ताव पत्र पर विचार।

विश्वविद्यालय का प्रथि एवं मुताल खाता आम एवं आम खाता तथा अतिरिक्त विट्टा सीट परमान में १० १०० रूप दिविसी एम्ब कंपनी Chartered Accountant द्वारा तैयार कराया जा रहा है। जिसके लिए कुल शुल्क १० १०,०००/- एवं सर्विस टैक्स भुगतान किया जाता है। यह पर वित्त समिति की संस्तुति के आधार पर कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा यह दर वर्ष 2008-09 से Balance Sheet निर्माण से अस्तुत प्रगती है।

Chartered Accountant कर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अपने पत्र दिनांक 23-07-2014 एवं दिनांक 23-07-2015 द्वारा बैलेन्स शीट तैयार करने हेतु शुल्क में वृद्धि की मांग की गयी है। (संलग्नक पृष्ठ संख्या 23-26) Chartered Accountant से प्राप्त अतिरिक्त बैलेन्स शीट DEB को भी भेजा जा रहा है।

अतः Chartered Accountant के प्रस्ताव पत्र के वृद्धित प्रकरण समिति के साथ विचारार्थ प्रस्तुत है।

“वित्त समिति ने वित्तीय वर्ष 2013-14 से Chartered Accountant के शुल्क में 10% की वृद्धि किये जाने की संस्तुति की।”

Place: Mumbai
U.P. Baidarhi Tandon Open University
Aizabadi,

(समर्थित द्वारा विभागी)
वित्त अधिकारी



उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

ISO 9001:2008 (QMS) & ISO 14001:2004 (EMS) CERTIFIED

पंजीकृत कार्यालय :
 निर्माण विभाग
 ग्रेडिंग चमरा, पोस्टी बजार
 गानगा-220010
 एमएन सीटीएस 0790665, 272679, 2700615
 फोन : 0522-2700608
 Website: <http://www.upncl.co.in>

परियोजना प्रबन्धक :
 अशोक कुमार, डीएम कार्यालय,
 गान गावरी कालोनी रोडवेज विभाग,
 पोस्टी एवं अजयपुर चौक, गानगा,
 गानगा-220010
 E-mail: gnaklkanth@gmail.com

प्रकार : 2.09 / ड्राग/बोलेसो ड्राई/सि.पि./ ^{अवकाश} 15 / 15

दिनांक : 19/08/2015

विषय में
 मध्य कुलवती महोदय,
 राजधानी चमरा मुक्त विश्वविद्यालय,
 फाजलपुर, इलाहाबाद।

विषय-पुस्तकालय भवन के निर्माण विषयक अवहिन वन अनुमति करने के सम्बन्ध में।

- सम्पत्ति-ड्राई का पत्रांक-21 दिनांक -15.01.2013
- ड्राई का पत्रांक-126 दिनांक -09.05.2014
- ड्राई का पत्रांक-160 दिनांक -28.06.2014
- ड्राई का पत्रांक-177 दिनांक -07.07.2014
- ड्राई का पत्रांक-12 दिनांक -19.01.2015
- ड्राई का पत्रांक-206 दिनांक-18.08.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सम्बन्धित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके क्रम में विश्वविद्यालय से सैनिक परिवार निवास पुस्तकालय भवन के निर्माण हेतु दिनांक-31.08.2012 को रु. 157.50 लाख के सार्विक रु. 86.60 लाख वर्ष 2015 के दरों पर ड्राई को प्रेषा हुआ था जिसके क्रम में मूलतः पूर्ण तथा प्रथम चरण की अर्धी प्रता साकार दिनांक-23.11.2012 को सार्विकीय कुलवती महोदय के निर्देशानुसार सार्विकीय राजस्वगत माहोदय द्वारा उद्घाटन हेतु तैयार कर दिया गया था। इस निर्माण में पूर्ण में प्राप्त किया गया वन भूमि किया जा चुका है तथा अवहिन वन प्राप्त करने हेतु ड्राई के सार्विकीय सम्बन्धित पत्रों द्वारा अनुमति भी किया गया था।

महोदय, आप अवगत होगे कि पुस्तकालय भवन विगत ड्राई वर्षों से खाली पड़े रहने के कारण एवं प्रथम तल अधूर्ण रहने के कारण बरसात का पानी, पूरा हावपि के भवन के विद्युत उपकरण, दरवाजे, पेंटिंग, सिटिंग इत्यादि खराब हो गये थे इन सभी कार्यों को उद्घाटन से पूर्व पूरा करवाया जाना अती आवश्यक है।

कुल सार्विकीय महोदय के पत्रांक-बी.पू./500/2015 दिनांक-21.07.2015 द्वारा यह जानकारी हुई है कि यह पुस्तकालय महोदय द्वारा वन भवन का उद्घाटन किया जाना साठ-अगस्त 2015 में प्रस्तावित है। आप द्वारा दिनांक-12.08.2015 को पुस्तकालय भवन के निर्माण में प्रता के खूले भाग को ढकने का सुझाव भी दिया गया जिसे अवकाश पर दिने गये निर्देशानुसार कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। महोदय, वन एवं सार्विकीय की दरों में अत्यधिक अर्धवर्गीय हो जाने के फलस्वरूप इन कार्यों को उद्घाटन से पूर्ण पूर्ण करने में अत्यधिक कठिनीय समस्या आ रही है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि अवहिन वन रु. 18.87 लाख अधिव्यय अनुमति करवाने का कष्ट करे जिससे यह पुस्तकालय महोदय के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सके।

सहायक-उपरोक्तानुसार।

(Handwritten signature)

महोदय

(Handwritten signature)
 (समान कुमार सन्धी)
 परियोजना प्रबन्धक

Reg-
 17/8/15
 श्री.सि.पि. वन सार्विकीय, राजधानी चमरा मुक्त विश्वविद्यालय, फाजलपुर, इलाहाबाद को सूचना एवं अवकाश कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
 न्यायाधीश भवन
 न्यायाधीश भवन, पंचजी नगर
 नया दिल्ली
 पता - ई.पी.एन. 2720005/2720007/2720017
 फोन : 011-2720046

इकाई प्रभारी :
 श्रीमती प्रभा रीत शर्मा,
 उपायुक्त सचिव (संरचनात्मक विकास)
 न्यायालय एवं न्यायपालिका विभाग, पंचजी नगर,
 नया दिल्ली
 दूरभाष : 011-2720110
 ई-मेल: nsi@highcourtsofindia.nic.in

संख्या : 27 /सच./न्यायाधीश भवन/न.नि.नि./^{5/15/2013} दिनांक : 15/1/2013

सेवा में,

कुलपति महोदय,
 उ० प्र० न्यायाधीश टर्मिनल मुक्त विश्वविद्यालय,
 फाजिल्का, इलाहाबाद।

विषय-उ० प्र० न्यायाधीश टर्मिनल मुक्त विश्वविद्यालय परिसर में पुस्तकालय भवन के निर्माण सम्बन्धी अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु आपके द्वारा दिया गया रु. 96.60 लाख की धनराशि पूर्णतः मूलतः के निर्माण में व्यय की जा चुकी है, आपके द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा में सत्र-दिन परिसर करके कार्य पूर्ण किया गया। उपरोक्त रु. 96.60 लाख से अधिक धन व्यय किया जा चुका है। निर्माण सामग्री की दरी में प्रतिग्राह वृद्धि हो रही है जो कि व्ययवृद्धि का कारण बनेगी। कार्यालय पर कुछ नियम की निर्माण सामग्री तथा टेकेंटर की टी एम्ड भी जस्ता जस्ता पड़ी हुई है जिसका किराया भी बढ़ रहा है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में जयसे सादर अनुरोध है कि अवशेष धनराशि का मुआवजा उपरोक्त काले की कृपा करें, जिससे कि मूल आयुष्म की धनराशि में ही कार्य पूर्ण किया जा सके तथा व्ययवृद्धि का अवसर न उत्पन्न हो।

आदर सहित।

१

भारतीय
 (कृष्ण जी मुन्ता)
 इकाई प्रभारी

Finance Officer
 U.N. National Termination upon Commission
 Jharkhand



उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

नवीन कालावः
 13/10/2012
 13/10/2012, कोशी नगर
 13/10/12
 पृष्ठ संख्या: 13/10/2012, 13/10/2012
 फोन: 2622-212646

इकाई प्रभारी :
 कोशी नगर, कोशी नगर,
 उ० प्र० सरकार, कोशी नगर,
 कोशी नगर, कोशी नगर,
 कोशी नगर,
 फोन: 2622-212646
 E-mail: uoia@uprajkiyanirmaninigam.com
 uprajkiyanirmaninigam.com

पत्र संख्या: 13C / इकाई / कोशी नगर / शारीर / 13/10/2012 / 14 दिनांक: 09/05/2014

सेवा में,
 कुलसचिव,
 उ० प्र० राजमि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
 काफामाऊ, इलाहाबाद।

विषय-पुस्तकालय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ० प्र० राजमि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के निर्माण हेतु दिनांक-31.03.2012 को रु. 157.10 लाख के सापेक्ष रु. 98.60 लाख इकाई को प्राप्त हुआ था जिसके क्रम में भूतल पूर्ण तथा प्रथम तल की अर्धी छत टालकर दिनांक-23.11.2012 को उ० प्र० राजमि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महामहोदय उ० प्र० राजमि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय को प्रस्तुत कर दिया गया था। इस निर्माण में पूर्व में प्राप्त किया गया पूर्ण धन व्यय किया जा चुका था अतः निर्माण हेतु अवशेष धन आज तक नहीं प्राप्त हो सका है।

गत माह निगम के महाप्रबन्धक के साथ बैठक में आप द्वारा अवशेष निर्माण हेतु धन की आवश्यकता के अनुसार व्यय विवरण सहित मॉन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था। संलग्न व्यय विवरण आपके सम्मुख प्रस्तुत कर अग्रिम कार्यवाही के क्रम में सादर अनुरोध है कि निर्माण हेतु आवश्यक धन रु. 79.37 लाख अवमुक्त करने का कष्ट करें।

सन्तुष्टतापूर्वक।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

०/०

 (कृपया प्ली शुभन)
 इकाई प्रभारी

- प्रतिसिद्धि-निम्नलिखित को सादर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. महाप्रबन्धक (वर्गिण्य), उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि, मुख्यालय लखनऊ।
 2. महाप्रबन्धक (इलाहाबाद अंचल), उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि, इलाहाबाद।

Planned Officer
 U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
 Allahabad

०/०

 इकाई प्रभारी



उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय :
विस्तारित भवन
निर्मिति भवन, कोशी भवन
इलाहाबाद
दूरभाष - पी.बी.एन. 2720000, 2720070, 2720071
फैक्स - 0522-2720048

इकाई प्रभारी :
कोशी भवन, लेन कार्यालय,
उ० प्र० बहालु राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
आफिस ए० अफाकम कोशी, अफाकम,
इलाहाबाद।
दूरभाष : 0522272000, 0522410000
E-mail : uoic@upsccl.com/uoic@upsccl@gmail.com
gmaill.koshi@gmail.com

संलग्नक : 169 / इला. / कोशी भवन इकाई / प्रतिनि. / ^{उत्तर प्रदेश} अफाकम / 14 दिनांक : 20/06/2014

सेवा में,
कुल सचिव,
उ० प्र० राजकीय एम्प्लॉय मुक्त विश्वविद्यालय,
अफाकम, इलाहाबाद।

विषय-पुस्तकालय भवन के निर्माण विषयक अवरोध धन अनुमोद करने के सम्बन्ध में।

साहोदर,

कृपया ज्यौहररावरी द्वारा प्रेषित संलग्नक-126/इला./कोशी इकाई/सनिनि/पुस्तकालय भवन/14 दिनांक-09.05.2014 के क्रम में पूरा सादर अनुरोध है कि उक्त अनिर्मित पुस्तकालय भवन पर भूतल की छत छिड़की दरवाजे बन्द हो रहे हैं। चूंकि प्रधान तल का निर्माण किया जाना है इसलिए भूतल की छत पर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता जिस कारण पूरे भवन में बरसात के पानी के कारण सीलिंग चरमन हो जाती है। खोंग में सादर अवगत कराना है कि बिना प्रधान तल पूर्ण किये पूर्ण रूप से निर्मित भूतल के समस्त उपकरण, दरवाजे, छिड़की, छत सब बन्द हो रहे हैं।

उक्त उपरोक्तानुसार आपसे सादर अनुरोध है कि अवरोध धन तत्काल अनुमोद कराने का कष्ट करें जिससे कि भवन निर्माण भी पूर्ण कलिया जा सके साथ ही साथ निर्मित भाग की सुरक्षा हो सके।

सन्तुष्टवाद।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(कुम्भ जी शुक्ल)
इकाई प्रभारी

%

प्रतिनिधि-महाप्रबन्धक (इला.अ.), उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि. इलाहाबाद को सादर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

%

इकाई प्रभारी

Finance Officer
U.P. Rajkiya Tanika upa Lalabadi
Aizabadi,



उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय :
 विस्तारित भवन
 वि.एच. एम्. रोड, कोठी नगर
 लखनऊ
 दूरभाष : वि.सी.एन. 272665, 272667, 272667
 फोन : 6022-372666

इकाई प्रभारी :
 श्रीमती इकाई टीम कार्यालय,
 जल सार्वजनिक कार्य विभाग,
 कार्यालय एवं अन्वेषण विभाग, लखनऊ,
 उत्तरप्रदेश।
 दूरभाष : 6022372666, 6022372667
 E-mail: urbis@upsccl.co.in/urbis@upsccl.com
 upsccl.lko@upsccl.com

पत्रांक : 177 / इ.प्र. / कौशाम्बी इकाई / स.नि.वि. / 2014 / 14 दि.दि. : 07/07/2014

सेवा में

मूल सचिव,
 उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड,
 कार्यालय, इलाहाबाद।

द्वितीय अनुसूचक

विषय-पुरातकालय भवन के निर्माण विषयक अवरोध घन अद्युक्त करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

कृपया अधीक्षकश्री द्वारा प्रेषित संलग्न पत्रांक-109/इ.प्र./कौशाम्बी इकाई/स.नि.वि./पुरातकालय भवन/14 दिनांक-28.06.2014 तथा पत्रांक-126/इ.प्र./कौशाम्बी इकाई/स.नि.वि./पुरातकालय भवन/14 दिनांक-09.05.2014 के क्रम में सादर अनुरोध है कि उक्त निर्माणार्थी पुरातकालय भवन का अवरोध घन शीघ्रतः अद्युक्त करने का कष्ट करें जिससे कि बरसात के कारण भवन का गूथल जो कि पूर्ण है को उत्पन्न होने से बचाया जा सके।

सम्बन्धित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुमन जी सुमर)
 इकाई प्रभारी

१६

प्रतिलिपि-महाप्रबन्धक (इ.प्र.अ.), उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि. इलाहाबाद को सादर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१६

इकाई प्रभारी

Finance Officer
 U.P. Palicani Tandra op. S. Pr. 2014
 Alahabad,



उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

(उप प्रो सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय :
 डिपॉजिटरी कार्यालय
 डिपॉजिटरी कार्यालय, कोलकाता-700001
 पता: 10, गीता, 270005, 270007, 270001
 फोन : 033-270004

इकाई प्रभारी :
 वीरशामी इकाई, कोलकाता,
 एन.ए. रोड, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज,
 कोलकाता एवं अखिल भारतीय, कोलकाता,
 इलाहाबाद।
 फोन : 033-270004, 033-270005
 E-mail: anilcharyakanchanbhatnagar@gmail.com
 gmail.kanb@gmail.com

पत्रक : 12 / इकाई/वीरशामी इकाई/राज.नि. / 15 दिनांक : 19/01/2015

सीमा में

कुलसचिव,
 उपप्रोकराहर्षि एण्डन गुप्त विश्वविद्यालय,
 काफलापडा, इलाहाबाद।

विषय-विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में निर्माणधीन केंद्रीय पुस्तकालय भवन में ध्वज एवं अवलोकन धन अनुमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्रांक-126/इकाई/वीरशामी इकाई/राजनि/पुस्तकालय भवन/14 दिनांक-09.05.2014 (आया प्रति संलग्न) तथा आप द्वारा प्रेषित पत्रांक-ओ.यू./1475/2015 दिनांक-15.01.2015 के क्रम में सादर अवगत कलना है कि उपरोक्त विषयक निर्मित भवन में निगम का रु. 96.60 लाख तक व्यय किया जा चुका है। इस कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति रु. 157.10 लाख की प्राप्त हुई थी जो कि वर्ष 2011 की दरों पर आभासित थी।

निगम को रु. 96.60 लाख धन दिनांक-31.03.2012 को प्राप्त हुआ था जो कि व्यय किया जा चुका है सदुपयुक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित आगमन जिसमें उपरोक्त समस्त व्यय विवरण (रु.175.96 लाख) उल्लिखित है।

उपरोक्त के क्रम में सादर अनुरोध है कि पूर्व में स्वीकृत धन के अनुसार अवलोकन धन रु. 60.50 लाख तत्काल अनुमुक्त करने का कष्ट करें जिससे कि कार्य तत्काल प्रारम्भ कर पूर्ण करवा जा सके।

सम्बन्धवाद।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

आदेशिक
 (कुलम जी सुन्दर)
 इकाई प्रभारी

7c

Financial Officer
 U.P. Rajkiya Nirman (UP) Ltd.,
 Allahabad.



उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

ISO 9001:2008 (QMS) & ISO 14001:2004 (EMS) CERTIFIED

पंजीकृत कार्यालय :
उत्तर प्रदेश नगर
कृषि भवन, मेरठ रोड
वाराणसी-221002
दूरभाष : 0522-229955, 2129962/279962/279967
फैक्स : 2299-279966
वेबसाइट: <http://www.upsccl.co.in>

इकाई प्रतीक :
प्रेसीकृत इकाई, डीएम कार्यालय,
एएम बंगला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
कानपुर एवं अखण्डम परिवार, वाराणसी,
उत्तरप्रदेश।
E-mail: pmo@upsccl.com

पत्र सं. : 2106 / एम / सीएमई इकाई / एम/ए/ उत्तर प्रदेश / 15
अ/ए

दिनांक : 18/08/2015

श्रीमान्,

शुभा साहिब,
आरपी राजर्षि टाउन मुक्त विश्वविद्यालय,
भासागाव, इलाहाबाद।

विषय-पुनर्जागतिक भवन के निर्माण विधायक अवरोध धन अनुमति करने के सम्बन्ध में।

- इकाई का पत्रांक-21 दिनांक -15.01.2013
- इकाई का पत्रांक-126 दिनांक -09.05.2014
- इकाई का पत्रांक-169 दिनांक -28.08.2014
- इकाई का पत्रांक-177 दिनांक -07.07.2014
- इकाई का पत्रांक-12 दिनांक -19.01.2015

श्रीमान्,

अपरोक्ष विधायक सम्बन्धित पत्रों का क्रमबद्ध करने का कष्ट करे जिसके क्रम में विश्वविद्यालय को वैधानिक परिवार निम्न मुल्यकावय भवन के निर्माण हेतु दिनांक-31.03.2012 को रु. 157.10 लाख में राफेल रु. 96.00 लाख वर्ष 2011 के मुसी क्षेत्रफल दर्श पर इकाई को प्राप्त हुआ था जिसके क्रम में मुल्य पूर्ण तथा प्रथम तल की आधी छत डालकर दिनांक-23.11.2012 को जफ़्फ़ाली कुलपति महोदय के निर्देशानुसार महाप्रतिम राज्यापाल महोदय द्वारा उद्घाटन हेतु तैयार कर दिया गया था। इस निर्माण में पूर्व में प्राप्त किया गया धन खर्च किया जा चुका है तथा अवरोध धन प्राप्त करने हेतु इकाई के जफ़्फ़ाली सम्बन्धित पत्रों द्वारा अनुरोध भी किया गया था।

उपरोक्त निर्माण करने के उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि पूर्व में मुल्य पर लगाये गये समस्त शिष्ट उपकरण, सेनेटरी फिटिंग, दरवाजे एवं पेन्टिंग खराब हो चुकी है यह शक्ति प्रथम तल अधूर्ण रहने से बरकली धनी के कारण हुई जिससे ये सभी कार्य पुनः कराये जाना अति आवश्यक है।

इस प्रकार आपके पत्रांक-ओयू/580/2015 दिनांक-21.07.2015 द्वारा यह जानकारी ली है कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त भवन का उद्घाटन किया जाना माह-अगस्त 2015 में प्रस्तावित है जो कि अब एवं साम्नी की दर्श में अत्यधिक बढ़ोतरी हो जाने के फलस्वरूप कार्य को पूर्ण करने में विधीय समस्या आ रही है। अतः अनुरोध है कि अवरोध धन रु. 18.87 लाख तत्काल अनुमति करने का कष्ट करे जिससे कि मा0 जफ़्फ़ाली महोदय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सके। यहाँ यह भी अपगत करना है कि मा0 कुलपति महोदय द्वारा दिनांक-12.08.2015 को स्थल विधिकरण के समय दिये गये मौखिक निर्देशानुसार अतिरिक्त कार्य भी करवा जा रहा है।

Placed Office
U.P. Rajarshi Town and U.P. University
Associated.

भवदीय
18/8/15
(सत्यन कुमार शर्मा)
परिचालक प्रबन्धक



उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

संविधान संशोधन -
सिखारोड काल
सिद्धी रोड, संजयी नगर
आलीबाद
दूरभाष : 0522-272066, 272067, 272068
फैक्स : 0522-272066

इकाई प्रभारी :
जीएनडी इकाई, टैक्स ऑफिस,
नगर बाजार, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज,
आलीबाद एवं इलाहाबाद कैंपस,
इलाहाबाद।
दूरभाष : 0522-272066, 2454010000
E-mail : ustnashahpurkankar@rediffmail.com
gnndi.kanahi@gmail.com

पत्रांक : 126 / इकाई / जीएनडी इकाई / राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड / 14 तारीख : 02/05/2014

सेवा में,
कुलसचिव,
उ० प्र० राजर्षि टाउन मुक्त विश्वविद्यालय,
फरफामऊ, इलाहाबाद।

विषय-पुस्तकालय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,
उ० प्र० राजर्षि टाउन मुक्त विश्वविद्यालय के दैनिकीक परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के निर्माण हेतु दिनांक-31.03.2012 को रु. 157.10 लाख के सम्प्रेक्ष रु. 96.60 लाख इकाई को प्राप्त हुआ। यह निराले क्रम में मूल्य पूर्ण तथा प्रथम तल की अन्तिम छल जातकर दिनांक-23.11.2012 को सम्बन्धीन कुलसचिव महोदय के निर्देशानुसार महोदय महोदय द्वारा उद्घाटन हेतु प्रस्तुत पत्र दिया गया था। इस निर्माण में पूर्व में प्रारंभ किया गया पूर्ण धन व्यय किया जा चुका था अतः निर्माण हेतु अवशेष धन व्यय तक नहीं प्राप्त हो सका है।

गत माह निगम के महाप्रबन्धक के साथ बैठक में आप द्वारा अवशेष निर्माण हेतु धन की आवश्यकता के अनुसार व्यय विवरण सहित शीट पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था। संलग्न व्यय विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर अधिन कार्यवाही के क्रम में सादर अनुरोध है कि निर्माण हेतु आवश्यक धन रु. 79.32 लाख अवमुक्त करने का कष्ट करें।

सन्मानवाद।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

Handwritten signature and date: 02/05/2014

भारतीय
(इकाई प्रभारी)
इकाई प्रभारी

- कृपया-निम्नलिखित को सादर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. महाप्रबन्धक (आलिख्य), उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, मुख्यालय लखनऊ।
 2. महाप्रबन्धक (इलाहाबाद अंचल), उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इलाहाबाद।

इकाई प्रभारी



Finance Officer
U.P. Rajkiya Nirman Nigam Limited
Allahabad.

Name of Project : Construction of Library Building at UPPTOU, Allahabad.

Work Done G.F.

DETAILED ESTIMATE

S.NO.	DESCRIPTION	Qty	Rate	AMOUNT
				(IN RS.)
1	Earth work	501.43	55	27,578.65
2	Sand Filling	114.29	220	25,144.00
3	PCC 1-4-8	114.29	2850	325,726.50
4	RCC M20 in FBP	159.68	6200	990,016.00
5	g/w RWP	29.99	2600	77,974.00
6	DPC	75.6	170	12,852.00
7	Angle Clearance	1050	1.25	1,312.50
8	Antitermite treatment	625.35	120	75,042.00
9	RCC M20	35.99	6550	235,734.50
10	RCC M20	83.01	6500	539,565.00
11	RCC M20	39.74	6600	262,284.00
12	R/W in 1/5 230 mm	64.07	2880	184,521.60
13	R/W 155 mm	34.29	3080	105,303.20
14	Chalkhat	1585.419	55	87,198.05
15	Grill	1122.061	58	62,835.42
16	Grill/window	410	55	22,550.00
17	Grill	252.18	56.5	13,118.17
18	2 section window	96.445	55	5,304.48
19	corn	57.448	56.5	3,245.81
20	Aluminium works	143.91	33.6	4,835.38
21	granite	62.91	350	22,018.50
22	Kota stone	669.26	70	46,841.20
23	Providing & laying Interlocking	60	300	18,000.00
24	Ceiling plaster 1:3	782.54	86	66,515.96
25	12 mm plaster 1:4	898.09	55	49,394.95
26	Vitrified Tiles	581.4	2050	1,191,870.00
27	300*300 glazed Tiles	37.28	745	27,773.60
28	300*200 glazed Tiles	127.45	745	94,950.25
29	Window glass	48.83	475	23,119.00
30	Angle Clearance	1895.7	1.5	2,843.55
31	Leveling dressing	2143.6	5	10,718.00
32	R/W in excavated	185.41	55	10,197.55
33	Supply of earth	300.23	235	70,554.05
34	steel work	51.3	50000	2,565,000.00
35	Enamel painting	151.2	44	6,772.80
36	Enamel painting	339	44	14,916.00
37	Acrylic enamel painting	1231.58	72	88,673.76
38	Water proofing enamel paint	440.04	32	14,369.28
	Total			7,387,771.43
39	Internal w/c & sanitary work 5%			369,388.57
40	External w/c & sanitary work 5%			369,388.57

Prepared by

U.P. Palanpur Techno open University
Allahabad.

S.NO.	DESCRIPTION	Qty	Rate	AMOUNT
				(IN RS.)
41	Internal electrification 12.5			923,471.43
	Total			9,050,020.03
Work Done F.F.				
42	RCC M20 in columns	10.12	6550	66,286.00
43	RCC M20 in slab	45.88	6500	298,220.00
44	B/W in s/s 230 mm wall	18.72	2880	53,913.60
45	Ceiling plaster	593.17	85	50,419.45
46	Making groove	273.46	3	814.38
	Total (G.F.+F.F.)			469,653.43
Work to be done				
1	RCC M20 in column	25.87	8000	206,960.00
2	RCC M20 in slab/beam	76.87	7400	568,838.00
3	Steel work in reinforcement	36	61000	976,000.00
4	Vitrified Tiles	583.4	2050	1,191,870.00
5	Window Glass	68.83	425	29,252.75
6	Ceiling plaster	782.54	95	74,341.30
7	15/20 mm plaster	898.09	82	71,847.26
8	Steel work in reinforcement	37.28	970	36,161.60
9	water proofing treatment	127.45	970	123,626.50
10	Enamel painting	133.2	57	7,478.40
11	Enamel painting	339	57	19,323.00
12	Acrylic enamel painting	1231.6	94	115,770.80
13	water proofing enamel paint	449.04	45	20,206.80
14	Brick coba treatment	625.35	250	156,337.50
15	Flush door shutter	60.48	1355	81,950.40
16	B/W in s/s 230 mm	79.59	4215	335,471.85
17	B/W in s/s 115 mm	66.71	4295	286,519.45
	Total			4,903,955.15
	Work Done On F.F.			469,653.43
	Total			4,771,608.58
18	Internal w/s & sanitary work 5%			238,580.43
19	External w/s & sanitary work 5%			238,580.43
20	Internal electrification 12.5			596,451.07
21	External electrification 5%			238,580.43
	Total			6,083,800.94
	Total Work to be done			5,614,347.53
22	Add 2% contingency to be done amount			112,282.95
	Total			5,726,430.48
23	Less 5% to be done on Rs. 5726430.48			286,321.52
	Total			5,440,108.96

S.NO.	DESCRIPTION	Qty	Rate	AMOUNT (IN RS.)
	Work Done Rs.			5,519,673.44
	Work To be done Rs.			5,440,108.84
24	Cost escalation year 2013-14 to be done Amount @10%			544,010.89
	Total			15,503,793.27
25	12.5% cartage charges			1,937,074.16
26	1% labour cess			155,037.93
	Total			17,596,805.36
	Fund Received			9,650,000.00
	Balance Cost			7,946,805.36

Signature
Sub-Engineer

Signature
Sd/-
... ..
...

Signature
... ..
...



उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०
(इलाहाबाद अंचल, इलाहाबाद)

संलग्नक - ०९

U. P. Rajkiya Nirman Nigam Limited

(U. P. Govt. Undertaking)

सचिवालय : 38 सी.आई. विस्तारित रोड, बरबंसे बस्तौली-211002 Ph : 0532-2460145
E-mail : gm.alfahabad@upnn.co.in Fax : 0532-2460145

क्र. - 1573 / 4030/एलएन/आर/नि/पु/अ/५५५/१५ दिनांक - 21/2/१५

सेवा में

श्रीमान

आपका राधार्थी कठन मुक्ता विनयविद्यालय
बरबंसे, इलाहाबाद।

विषय:- पृथक्करण भवन के निर्माण हेतु अलोक्य धन उपयुक्त करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ

आपका उपरोक्त विषयक ड्राई इशारी, उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० की ओर से
ड्राई के पत्रांक 169 दिनांक 20-6-14 का हस्तमै अर्थ करने का कट करे। आपका
पुत्रि संलग्न। जिसके द्वारा पृथक्करण भवन के प्रथम तल की पूर्ण किये जाने हेतु अलोक्य
धन उपयुक्त किये जाने हेतु अलोक्य किया गया है। आपसे अनुरोध है कि अलोक्य धन
राशि 79.37 लाख उपयुक्त करने का कट करे। इस सम्बन्ध में आपसे पूर्व में भी उक्त
कार्यविधि के पत्रांक 536 दिनांक 22-5-14 द्वारा अनुरोध किया गया है।

संलग्नक - 3 पत्रों पर अनुसूचित

कटीक

। एतद द्वारा।
महाप्रबन्धक इलाहाबाद।

दृष्टिगत:- ड्राई इशारी, उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, की ओर से ड्राई को उक्त
पत्रांक 169 दिनांक 20-6-14 के हस्तमै में सुलापी।

महाप्रबन्धक इलाहाबाद।



Handwritten signature and text:
U.P. Rajkiya Nirman Nigam Limited
आर.एस.एस.जी.
20/02/15

U.P. Rajkiya Nirman Nigam Limited



उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

(उच्च प्रो सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय :
 प्रशासनिक भवन,
 मिर्जापुर रोड, कोरासमी इकाई,
 गोरखपुर
 पिनकोड : 221001, 221002, 221003, 221004
 फोन : 2222-222222

ईमेल प्रवाही :
 कोरासमी इकाई, उच्च प्रो कार्यालय,
 उच्च प्रो कार्यालय कोरासमी इकाई, गोरखपुर,
 कक्षांक एवं अवरक्तन चर्चर, कक्षांक,
 इलाहाबाद।
 टेलीफोन : 2222-222222, 2222-222222
 ई-मेल : ucrn@uprajkiyanirmannigam.com
 gpnk@uprajkiyanirmannigam.com

पत्रांक : 169 / एल/कोरासमी इकाई/एनएम/अवरक्तन/14 दि.दि. : 28/06/2014

सेवा में,
 मुख्य सचिव,
 उच्च प्रो राजकीय टर्मिनल मुक्त विश्वविद्यालय,
 फरहाबाद, इलाहाबाद।

क्रमांक 1309
 दिनांक 28-6-14
 पत्रांक 169/एल/कोरासमी इकाई/एनएम/अवरक्तन/14

विषय-पुस्तकालय भवन के निर्माण विषयक अवरोध धन अनुमोद करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अमोहसतसारी द्वारा प्रेषित संलग्न पत्रांक-126/इला/कोरासमी इकाई/एनएम/पुस्तकालय भवन/14 दिनांक-09.05.2014 के ज्ञान में पूरा सादर अनुमोद है कि उक्त अर्धनिर्मित पुस्तकालय भवन पर भूजल की छत छिड़की दरवाजे बन्द हो रहे हैं। चूंकि प्रथम तल का निर्माण किया जाता है इसलिये भूजल की छत पर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता जिस कारण पूरे भवन में नरसल के पानी के कारण सीलन छूटपन हो जाती है। संशोधन में सादर अवगत कराया है कि विना प्रथम तल पूर्ण किये पूर्ण रूप से निर्मित भूजल के समस्त उपकरण, दरवाजे, छिड़की, छत सब कार्यय हो रहे हैं।

अतः उपरोक्तानुसार आपसे सादर अनुरोध है कि अवरोध धन तत्काल अनुमोद करवाने का कष्ट करे जिससे कि भवन-निर्माण भी पूर्ण करया जा सके साथ ही साथ निर्मित भाग की सुरक्षा भी सके।

सन्धवादा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

सचदीय

(हस्ताक्षर की सुचना)
 इकाई प्रवाही

प्रतिनिधि महाप्रबन्धक (इला.अ.), उच्चप्रोराजकीय निर्माण निगम लि. इलाहाबाद को सादर सुचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आदेशिका
 उच्च प्रो कार्यालय, गोरखपुर

इकाई प्रवाही

11-7-2014
 30

19



उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०

(इलाहाबाद अंचल, इलाहाबाद)

U. P. Rajkiya Nirman Nigam Limited

(U. P. Govt. Undertaking)

संस्थापक : 38 सी.एच. विधानसभा रोड, दरभंगा कानोनी-211002

Ph : 0532-2460145

E-mail : gm.alaahabad@upmn.co.in

Fax : 0532-2460145

क्रमांक : 2014/2014010/परिनिति/मुद्रण बोर्ड/न 14 दिनांक : 24/5/14

सेवा में

मुख्याधि

उ० प्र० राजकीय अंचल प्रमुख विधानसभा
इलाहाबाद।

विषय:- मुद्रणलय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भ

सूचना उपरोक्त विषयक इकाई प्रभारती कांशेम्बी इकाई के पत्र सं० 126 दि० 9-5-14 का संदर्भ उल्लेख करने का संघटकों, आग्रहप्रति लेखन। जिसके द्वारा सूचित किया गया है कि राजकीय अंचल प्रमुख विधानसभा के संश्लिष्ट ग्राहक परिचय पत्र मुद्रणलय भवन के निर्माण हेतु लगभग 157.30 लाख के संश्लिष्ट लागत 96.60 लाख इकाई को प्राप्त हुआ है। कार्य हेतु प्राप्त धन व्यय किया जा चुका है, सर्व व्यय विवरण भी आचरणी प्रेषित किया जा चुका है।

आपको अनुरोध है कि अग्रिम धनवांति रुपये 79.37 लाख इकाई को अग्रपुर्ण करने का संघटकों।

आदीप,

। सचिव द्वारा।

महाप्रबंधक आलाहाबाद।

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबंधक आलाहाबाद उ० प्र० राजकीय निगम लि०, मुद्रणलय संचालक को सूचनाएँ।
- 2- इकाई प्रभारती, उ० प्र० राजकीय निगम लि०, कांशेम्बी इकाई को उनके पत्र सं० 126 दिनांक 9-5-14 के संदर्भ में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यय विवरण की प्रतिलिपि आचरणी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Finance Officer

U.P. Rajkiya Nirman Nigam Limited
Alahabad.

महाप्रबंधक आलाहाबाद।

24



उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

ISO 9001:2008 (QMS) & ISO 14001:2004 (EMS) CERTIFIED

परियोजना प्रबंधक ।
बीकानेर प्रकल्प, बीकानेर जिला,
उत्तर प्रदेश राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में
कृषि एवं अन्न उत्पादन, आवास,
इत्यादि।

E-mail: gms@knsb@gmail.com

दिनांक: 25/08/2015

पंजीकृत कार्यालय ।
विश्वविद्यालय भवन
सुभाष नगर, बीकानेर जिला
उत्तर प्रदेश-206001
दूरभाष : 0522-279000, 279001, 279002
फैक्स : 0522-279004
वेबसाइट: <http://www.upncl.co.in>

संख्या: 2/19 /एन/बीकानेर प्रकल्प/व.पि.नि./^{परियोजना} /15
अन्न

सेवा में,
सुभाष नगर,
विश्वविद्यालय भवन इन्फ्रान्स्ट्रक्चर विश्वविद्यालय,
बीकानेर, झारखण्ड।

विषय:- सुभाषनगर भवन के निर्माण विधायक उपरोक्त धन अवनुगत करने के सम्बन्ध में।

साहोदर,

उपरोक्त विधायक आज दिनांक-25.08.2015 को योजना समिति की बैठक में दिवे गये निर्देशों के
अनुसार उपलब्ध कराया है कि उक्त भवन के इस्तानास के समय तकनीकी स्वीकृति की प्रति उपलब्ध
नहीं की जायेगी तथा जांच के बाद उपरोक्त है कि योजना समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार
उपरोक्त धन रु. 18.07 लाख अविलम्ब अवनुगत करने का कष्ट करें ताकि मात राज्यपाल/कुलपति
सुभाषनगर के निर्धारित कार्यक्रम के पूर्व निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सके।

25/08/15
25/08/15

भवदीय
[Signature]
(समान कुमार चन्दा)
परियोजना प्रबंधक

Finance Officer
U.P. Technical Training cum University
Bikaner,



To,

Date: 23-07-2015

Finance Officer

UP Rajshahi Tandon Open University

Aligarh

Sir,

Subj: Request for enhancement of Fee for Compilation of Balance Sheet with Reconciliation etc. and request for Payment of Bill Amount due for F.Y. 2013-14.

Why Chartered Accountant's Fee Should be Enhanced ?

Legit. behind the enhancement are given as under:-

Rs. 40,000/- fee is being paid to CA in F.Y. 2008-2009 for Compilation of Balance Sheet and Finalization of Accounts of UPRTOU that too without Bank Reconciliation

Now volume of Work of University increased 4 to 5 times if we compare it from F.Y. 2008-09

Since we all know Purchasing power of Rupee value decrease every year due to inflation hence I have tried here to calculate Rs. 40,000/- from F.Y. 2009-10 to F.Y. 2013-14 with 10% inflation each year as under:-

F.Y. 2009-10 40,000 Plus 10% 4,000/- = 44,000/-

F.Y. 2010-11 44,000 Plus 10% 4,400/- = 48,400/-

F.Y. 2011-12 48,400 Plus 10% 4,840/- = 53,240/-

F.Y. 2012-13 53,240 Plus 10% 5,324/- = 58,564/-

F.Y. 2013-14 58,564 Plus 10% 5,856/- = 64,420/-

Hence as per above calculation Index value of Rs. 40,000/- in F.Y. 2013-14 shall be Rs.

64,420/- and volume of work of University increased 4 to 5 times if I take only double then Fee should be **Rs. 64,420/-** = 1,28,840/- for F.Y. 2013-14 and this Fee is for compilation of Balance Sheet & Finalization of Accounts of University without Bank Reconciliation

We have made Bank Reconciliation Statement also for all the Bank Account maintained by the University

Finance Officer
U.P. Rajshahi Tandon Open University
Aligarh





having more than 5000 cheques entries and I added Rs. 25,000/- only for making Bank Reconciliation statement **Fee then Real Fee for F.Y. 2013-14 Should be Rs. 1,28,840+25000 = 1,53,840/-**

It is **important** to mention here that I have already given my representation on Dt 25-1-2014 requesting **therein** regarding increase of my Professional Fee for F.Y. 2013-14 to the FO of UPATOU he assured **me** that he will consider the same for F.Y. 2013-14 and time lapsed I was not interested to work on this Rs. 40,000/- meager amount for huge work of such a Great University, in the mean time Final

Accounts and Balance Sheet of the University prepared by Chartered Accountant was urgently required and Authority of the University requested me for the same then I remind them about my Fees increase request **then** FO assured me will consider the same such assurance given by FO over telephonic conversation. Since Balance Sheet was urgently required so in the interest of University I completed the work within the requisite time.

Now I request you to kindly look into the matter in the light of above justification given for **increase of fee** for f.y. 2013-14 due further I request you to kindly pay my fee for F.y. 2013-14 as per bill attached

Thanking You

For, K.U. Siddiqui & Company





(Dr. Balraj Singh Siddiqui)

Proprietor

M.No. 401616

Encl: 1) Bill

2) Letter dt. 1/1/14


Finance Officer
U. N. Patil (R) Tandon open University
Alahabad.



[Handwritten Signature]
[Handwritten Initials]

DR: 23-01-2014

To,
The Finance Officer
U.P. Rajarshi Tandon Open University
Allahabad.

Sub: Request for Enhancement of Audit fees from Financial year 2013-14

Sir,

We feel very proud to associated with the university for last more than three years for compiling and finalising the financial statement balance sheet etc. and giving consultancy on preparing financial accounts as a Chartered Accountant. We would like to draw your kind attention over the remuneration which we get for providing our services it is only Rs. 40,000/- (Forty Thousand) probably for last more than 6 years there is no change. Whereas gross receipts of university have increased many folds as well as expenses and accordingly scope of work increased drastically.

Now I would like to share with you scope of work I have to execute every year to finalise the financial statement and balance sheet:-

First of all we assists to the accountants to make proper and head wise entries in telly-Erp and depote our 2 staff under my guidance for the same it takes more than 2 months time at my office.

Once all bank accounts and other entries updated on telly-Erp we start completing financial statement on Excel format as under:-

- 1- BEI Fund-Receipt & Payment Account, Income & Expenditure Account and Balance Sheet
- 2- General Fund- Receipt & Payment Account, Income & Expenditure Account and Balance Sheet
- 3- Development Fund- Receipt & Payment Account, Income & Expditr Account and Balance Sheet
- 4- Combined of all the above three Receipt & Payment Account, Income & Expenditure Account and Balance Sheet as a whole of University.

[Handwritten Signature]
Finance Officer
U.P. Rajarshi Tandon open University
Allahabad.





- 5- DEC FUND ASSIGN GRANT- Receipt & Payment Account
- 6- DEC FUND UNASSIGN GRANT- Receipt & Payment Account

Above all we prepared all the financial statements FDR details alongwith bank reconciliation statement it takes a lot of time (not less than 15 days) skills and labour there are more than 5000 cheques entries involved in preparation of DRB. Earlier university have hired separate professional (CA) for DRB and paid handsome remuneration. But we have done it without any extra remuneration.


Sir, Considering the above facts and so diversified scope of work, reducing the Rupee value in last 6 years and increasing the cost of completing the work and growth of university accordingly increasing the volume of work our remuneration must be increase. While taking any decision about embanment of our remuneration please keep in mind all the facts mentioned above. With God grace and hard work of all of you growth of university have increased to 5 times in past 6 years accordingly our scope of work have also increased to 5 times. Now my humble request is to you to kindly do justice with my remuneration also.


Thanking You.

Sincerely Yours

For, K U SIDDIQUI & COMPANY




(Khalim Ullah Siddiqui)
Chartered Accountant


Finance Officer
U.P. Palurki Tandon open University
Aligarh.



उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
 विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम (सेक्टर -एफ), फाफामऊ
 इलाहाबाद - 201013

फोन : 8038-244794

श्री.पी. त्रिपाठी
 विला अधिकारी

पत्र सं० वृ/विला/ 4260 / 2016

दिनांक : 26-02-2016

अदरगीत मॉरीशस,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की दिनांक 15 फरवरी, 2016 को विला समिति की सभ्यता 32वीं बैठक का कार्यपत्र आगते अफिलोसफार्म सातम कर प्रेषित है।

महदीय

(समर्थक प्रकाश त्रिपाठी)

संलग्नक पत्रावली

1. श्री एम.वी. दुबे
 कुलपति,
 उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
 इलाहाबाद
2. डा० जे.पी.ओ. सिंह
 एम.एडमिशन, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश
 इलाहाबाद
 (लिपि, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश सातम द्वारा प्रेषित)
3. श्री राजकिशोर मिश्रा
 संयुक्त निदेशक,
 कॉन्वियर एवं पेशा, इलाहाबाद लॉकर
 इलाहाबाद।
 (प्रमुख लिपि, विला विभाग, उत्तर प्रदेश सातम द्वारा प्रेषित)
4. डा० जे.एन. मिश्रा
 अध्यक्ष, वित्तिय विभाग,
 इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
 इलाहाबाद
5. श्री डी.पी.ओ. त्रिपाठी
 कुलसचिव,
 उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
 इलाहाबाद
6. डा० मजदुल बीजाबाद
 सहाय निदेशक,
 उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
 इलाहाबाद
7. श्री समर्थक प्रकाश त्रिपाठी
 विला अधिकारी,
 उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
 इलाहाबाद

Finance Officer
 U.P. Rajarshi Tandon Mukt University
 Allahabad.

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 15.02.2016 को सम्पन्न वित्त समिति की बैठक की कार्यवृत्त

बैठक का स्थान - विश्वविद्यालय मुख्य भवन शान्तिपुरम्, काकागम्क, इलाहाबाद
 बैठक की तिथि एवं समय - 15 फरवरी 2016, पूर्वान्ध 11.30 बजे।

बैठक में निम्नलिखित वास्तव्य उपस्थित थे—

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री एन.पी. दुवे
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
इलाहाबाद | अध्यक्ष |
| 2. डॉ० जे.पी. सिंह
एम. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशकत्व, उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद
(सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित) | सदस्य |
| 3. श्री रामचन्द्र मिश्र
संयुक्त निदेशक,
कृषि विभाग एवं पशु, इलाहाबाद संयुक्त
इलाहाबाद।
(अनुपम सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित) | सदस्य |
| 4. श्री जे.एन. मिश्र
अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 5. श्री बी.पी. सिंह
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 6. डॉ० मृदुल श्रीवास्तव
परीक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 7. श्री श्रीराम प्रसाद त्रिपाठी
वित्त अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य/सचिव |

कार्यवृत्ति के अनुसार कार्यवाही के कारण में कुलपति जी ने सदस्यों को अवगत किया।
 संवत्सरांत बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया गया—

Finance Officer
 U.P. Rajarshi Tandon Open University
 Allahabad

विद्यु संख्या-32.01

दिनांक 10.03.2015 को सम्मान विद्या समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

विद्या समिति की पिछली बैठक की कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र 280 ओ.पू./विद्या/2187/2015 विनांक 38-03-2015 द्वारा कभी खबरों को प्रेषित कर दी गयी है। किसी कारणवश द्वारा कोई लिपिबद्ध प्रारण नहीं हुई है।

"विद्या समिति ने अपनी पिछली बैठक विनांक 10-03-2015 में कार्यवृत्त की पुष्टि की।"

विद्यु संख्या-32.02

विद्या समिति की पिछली बैठक दिनांक 10.03.2015 में लिखे गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होगा।

विद्या समिति की पिछली बैठक विनांक 10.03.2015 में लिखे गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित अवस्था निम्नवत् है:-

क्र.सं.	पिछली बैठक की कार्यवृत्त	पिछली बैठक में लिए एवं निर्णय	पिछली बैठक में लिए निर्णयों का की गई कार्यवाही
30.01	पिछली विद्या समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	विद्या समिति ने अपनी पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
30.02	विद्या समिति की पिछली बैठक में लिखे गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होगा।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
30.03	बितीय वर्ष 2014-15 का पुनरीक्षण एवं 2015-16 में प्रस्तावित आय-व्यय (बजट) पर विचार।	"बजट का विद्युत देय, शहर छाहोंको का व्यय एवं वीथीय मुद्रण लक्ष्य में वित्तीय संशोधनों उपरान्त वित्तीय वर्ष 2014-2015 का पुनरीक्षण एवं वर्ष 2015-2016 का अनुमानित आय-व्यय के अनुमोदन की संशुक्ति की"	समिति द्वारा क्या प्रस्तावित संशुक्ति एवं कार्यवाहीय द्वारा अनुमोदन द्वारा हो चुका है।

क्र.सं. NO	विशेषी केस की संख्याएँ	विशेषी केस में लिए गये निर्णय	विशेषी केस में लिए निर्णय पर की गई कार्रवाई
20.24	सं 2013-14 का वार्षिक लेखा अनुसंधानार्थ प्रस्तुत।	"दिल्ली समिति ने यथा प्रस्तावित अनुसंधान करने की संस्तुति की।"	दिल्ली समिति की संस्तुति का जनराल कार्रवाईपत्र की दिनांक 27-8-2015 के अनुसंधान किया जा चुका है।
20.25	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने सड़क पुलनीताम दास टण्डन जी की कीर्ति की 9 फीट ऊंचा लकड़ प्रतिको लगाये जाने हेतु विश्वमन एजेन्सी के माध्यम से कराये गये विज्ञापनों के सार्विक देखाये की पुनराग के संदर्भ में।	"दिल्ली समिति ने विद्यार्थीपटल निम्नलिखित संस्तुतिपत्र की 1. देवक के परीक्षा हेतु जो की अधिलेख करने गये है विज्ञापन एजेन्सी को ज्ञात अधिकाधिकताओं को पूर्ण करना चाहिए। 2. लक्ष्मणजी परीक्षा जनराल कार्रवाई की जाये। 3. कार्रवाई के जलार प्रवेश हासल/सूचना विभाग को संदर्भित करके समितित बना जाये।"	कार्रवाई की जा रही है।
20.26	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक खिस्ता में निर्वाणजीन केन्द्रीय पुस्तकालय के इलाक तल के अनुसंधान निर्मित भवन को पूर्ण कराये जाने पर विचार।	"दिल्ली समिति ने निर्वाणजीन केन्द्रीय पुस्तकालय भवन को विश्वविद्यालय के अपने श्रोतों से निर्वाण करके पूर्ण कराने की संस्तुति की।"	समिति की संस्तुति एवं कार्रवाईपत्र के अनुसंधान के जनराल विश्वविद्यालय द्वारा अपने श्रोतों से निर्वाण कार्य पूर्ण कला जा चुका है जिहाला लोकेशन महापत्रिक राज्यपाल / कुलधिपती द्वारा दिनांक 5-9-2015 को किया जा चुका है।


Principal Officer
U.S. Institute of Technology and Management
Aizawl, Mizoram

संख्या सं०	विद्यार्थी सेवा की कार्यवाही	विद्यार्थी सेवा में लिए गए निर्णय	विद्यार्थी सेवा में लिए निर्णय पर की गई कार्यवाही
2027	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर में शिक्षार्थियों/अन्य छात्रों आगसूचने हेतु प्रशासन कक्ष अद्वि का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में विचार।	"विद्या समिति ने यथा प्रस्तावित अनुमोदित करने की संज्ञा दी।"	समिति की संज्ञा एवं कार्यवाही के अनुमोदन उपरान्त प्रशासन का निर्माण कराया जा रहा है।
2028	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मासिक से अनुसार प्रशासन के निर्माण कराये जाने पर विचार।	"विद्या समिति ने निम्नलिखित संज्ञा दी। 1. राज्य सरकार द्वारा तैयार राज्यीय निर्माण एजेन्सी से आगमन प्राप्त कर न्यून पर वाली राज्यीय एजेन्सी से कार्य कराया जाय। 2. मूल्य का निर्माण मुझे में पूर्ण हो चुका है। अतः उचित ताल बनाने की जो भी औपचारिकताएँ/प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो उसे सम्बन्धित से प्राप्त कर लिया जाय। 3. विश्वविद्यालय द्वारा अपने खोजी से निर्माण कराया जाय। अतः अतः अनुदान प्राप्त होने पर इसकी प्रतिपूर्ति की जाय।"	प्रस्ताव के सम्बन्ध में अद्यतन कार्यवाही विद्या समिति के बैठक दिनांक 15-02-2016 के किन्तु संख्या 32.09 से रूप में पुनः विचारित प्रस्ताव है।


 P. S. Faisl
 Tension of the University
 Allahabad,

8

क्रमांक	विद्यार्थी सेवा की कार्यवाही	विद्यार्थी सेवा में लिए गए निर्णय	विद्यार्थी सेवा में लिए निर्णय पर की गई कार्यवाही
32.09	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक/सौकरिक परिसर में सौन्दर्यकरण के दृष्टिकोण ध्यानवानी एवं लेम्ब खेपिंग की व्यवस्था किये जाने पर विचार।	*जिला समिति ने निम्नलिखित संस्तुतियां की 1. विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में सहद्वार का निर्माण/सौन्दर्यकरण एवं लेम्बखेपिंग कराया जाय। 2. विश्वविद्यालय द्वारा अपने क्षेत्रों से निर्माण कराया जाय। शासन से अनुदान प्राप्त होने पर इसकी प्रतिपूर्ति की जाय।	कार्यवाही की जा रही है।
32.10	विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भू-क्षेत्रों के अधीन हेतु नियम/शर्तों को पुनः निर्धारण हेतु पत्रोंक संख्या जी.पू./1267/2013 दिनांक 07-10-2013 द्वारा नवित्त समिति के अनुरोध पर विचार।	*जिला समिति ने निम्नलिखित संस्तुतियां की 1. यथा प्रस्तावित किराया संस्तुत की जाती है। 2. समय-समय पर रकम रखाव की बढ़ती हुई जायत को देखते हुए दर पुनरीक्षण किया जाय।	समिति के संस्तुति के आधार पर कार्यपरिपक्व द्वारा अनुमोदन प्राप्त की चुका है।
32.11	विश्वविद्यालय के पशुधन केनी सहित कार्यवाहियों एवं परामर्शदाता, मैत्र सौकरिक (बी सुविधा) सम्बन्ध एवं बी प्रोत्साहन (बी) द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर विचार।	*जिला समिति ने मागदाय सुष्टि के प्रकरण पर एक समिति बनाकर सभी पहलुओं का जांच करते हुए पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा. सुस्तुति की को अधिसूत किये जाने की संस्तुतियां की।	प्रकरण विपु, संख्या 32.16 के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया।


 Placing Officer
 U.P. Sahasra Tandan upan. Library
 Alakabad,

विन्डू संख्या-32.03

दिनांक 26.08.2015 को राष्ट्रीय विद्यार्थी समिति की अत्यावकाशीय बैठक के कार्यकाल की पुष्टि।

विद्यार्थी समिति की विद्यार्थी बैठक की कार्यकाल विद्यार्थीसंघ के पत्र सं० जो.सं./विद्यार्थी/1734/2015 दिनांक 27-08-2015 द्वारा सभी सदस्यों को डॉकित कर दी गयी है। किसी सदस्य द्वारा कोई विद्यार्थी प्राप्त नहीं हुई है।

"विद्यार्थी समिति ने अपनी विद्यार्थी बैठक दिनांक 26-08-2015 के कार्यकाल की पुष्टि की।"

विन्डू संख्या-32.04

विद्यार्थी समिति की विद्यार्थी अत्यावकाशीय बैठक दिनांक 26.08.2015 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।

विद्यार्थी समिति की विद्यार्थी बैठक दिनांक 26.08.2015 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से संबंधित अद्यतन निम्नवत् है—

क्रमांक सं०	विद्यार्थी बैठक की कार्यवाही	विद्यार्थी बैठक में लिए गये निर्णय	विद्यार्थी बैठक में लिए निर्णयों पर की गयी कार्यवाही
32.01	विद्यार्थीसंघ के वैधानिक परिषद में निर्वाचनक्रम केन्द्रीय पुस्तकालय से प्रथम तक के अधूरे निर्मित भाग को पूर्ण कराये जाने पर विचार	योजना बोर्ड की उपरोक्त संसूचि पर विद्यार्थी समिति ने विचार किया। विद्यार्थी समिति ने योजना बोर्ड की अनुमति को प्राप्त कर लेना सुनिश्चित कराते हुए अवशेष धनराशि रु.18.87 लाख कार्यवाही संस्था को अग्रगण्य करने की संसूचि की।	समिति की संसूचि एवं कार्यवाही परिसर के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थीसंघ द्वारा अपने बोर्डों से निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। विद्यार्थीसंघ लोकप्रिय महामंडल राज्यपाल/कुलाधिपति द्वारा दिनांक 05-09-2015 को किया जा चुका है।

आय	निरवधिवालय का वार्षिक एवं वृत्तवार्षिक बजट आय एवं व्यय बजट तथा अर्द्धिक विवरण (Balance Sheet) तैयार करने के लिए Chartered Accountant (C.A.) को सेवा शुल्क में वृद्धि हेतु उपरोक्त प्रार्वना पत्र पर विचार ।	वित्त समिति ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में Chartered Accountant के शुल्क में 15% की वृद्धि किये जाने की संसुति की ।	समिति की संसुति एवं कार्यपत्रिण्ड से निर्भीकतुल्यता प्रस्तुतित पर से वृत्तवार्षिक बजट पर विचार ।
----	---	--	--

विन्दु संख्या-32.05

वित्तीय वर्ष 2015-16 का पुनरीक्षित बजट एवं 2016-17 के प्रस्तावित आय-व्यय (बजट) पर विचार ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 का पुनरीक्षित बजट एवं 2016-17 के प्रस्तावित आय-व्यय (बजट) विचारार्थ प्रस्तुत है । यह वार आय एवं व्यय का विवरण-अलग में संलग्न है ।

वित्त समिति से प्रस्ताव विन्दु पर विचार किया ।

“ वित्त समिति ने वित्तीय वर्ष 2015-16 का पुनरीक्षित बजट एवं 2016-17 के प्रस्तावित आय-व्यय (बजट) को सम्प्रदायगत अनुमोदन किये जाने की संसुति की । ”

विन्दु संख्या-32.06

निरवधिवालय के प्रशासनिक भवन में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण करावे जाने पर विचार ।


वित्तविद्यलय के प्रशासनिक भवन में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण नहीं हुआ है जिससे वाहन विद्यविद्यलय कर्मियों को दो/चार पहिया वाहन सड़क कलने में कठिनाई होती उत्पन्न होती है ।

निरवधिवालय से प्रशासनिक भवन में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण करावे जाने हेतु प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था । योजना बोर्ड ने निम्न अनुसंज्ञा की योजना बोर्ड ने वित्तविद्यलय के प्रशासनिक भवन में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण करावे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय किया ।

योजना बोर्ड के उपरोक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के आय-व्यय (बजट) में अनुमानित बजट प्राप्ति पर विचार किया गया है ।

वित्त समिति से प्रस्ताव विन्दु पर विचार किया ।

“ वित्त समिति ने सम्प्रदायगत अनुमोदन करने की संसुति की । ”


U.P. Kalprathi Tandon
 Finance Officer
 Anahad.

(Handwritten mark)

विन्डु संख्या-32.07

विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटरियम निर्माण कराये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय में प्रायः कार्यरत/उपस्थित/समीक्षित या अन्य प्रस्ताव के अंतर्गत आरंभित होने वाले हैं। इन कार्यरतों के अंतर्गत हेतु विश्वविद्यालय में कोई बड़ा हाल या बड़ा काम चल रहा नहीं है, विचारों इन आरंभितों के विचारधारा में प्रवेश की क्षमता के कारण अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

विश्वविद्यालय में कम से कम 1000 व्यक्तियों की क्षमता का एक आडिटरियम निर्मित कराये जाने हेतु प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार प्रस्ताव बोर्ड ने निम्नलिखित संस्तुतियों की हैं।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटरियम कम मल्टीपुर्पज (Multipurpose) हाल का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार करने जाने का निर्णय लिया।

योजना बोर्ड का उपरोक्त प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मिल समिति ने प्रश्नगत विन्डु पर विचार किया।

"मिल समिति ने प्रश्नगत विन्डु अनुसंधित करने की संस्तुति दी।"

विन्डु संख्या-32.08

विश्वविद्यालय को आडिटर रीसेरच पार्क की भूमि 5.50 एकड़ रजिस्ट्री के उपरान्त भूमि की सुल्ला के दृष्टिगत महाविद्यालयी निर्माण एवं आडिटररी/अभियंता कक्षा/होस्टल केन्द्र इत्यादि का भी एकलव्य आडिटरियम के सम्बन्ध में विचार।

इत्यादिगत विचार प्रक्रिया, इत्यादिगत द्वारा विश्वविद्यालय को तृतीय चरण की भूमि आवंटित की गयी है। विश्वविद्यालय को आडिटर रीसेरच पार्क की भूमि 5.50 एकड़ रजिस्ट्री के उपरान्त भूमि की सुल्ला के दृष्टिगत महाविद्यालयी के निर्माण कराये जाने हेतु मिल समिति ने अपने बैठक निर्णय 29 जनवरी, 2013 को निम्नलिखित संस्तुति की जिसमें कार्य करियर में अपनी बैठक निर्णय 13 फरवरी, 2013 में मिल समिति की अनुमति को बंधन स्वीकार किया -

"इत्यादिगत विचार प्रक्रिया, इत्यादिगत द्वारा विश्वविद्यालय को आडिटर भूमि पर आरम्भित करने की प्रस्ताव पर समिति ने निम्नलिखित संस्तुति दी -

- (i) आरम्भित करने पर तत्कालिक कार्यवाही दी गयी।
- (ii) इस पर कार्य की कार्यवाही को अपने आसन से की जाये।
- (iii) मूल विचार तथा आडिटररी निर्माण मिल से इस्वीकृत प्राप्त किया जाये।

बनने परिसर के निर्माण के क्रम में विभागीयस्तरीय द्वारा परियोजना प्रबंधक, सी.एच.डी.एस. यूनिट-10, उत्तर प्रदेश, जल निगम, इलाहाबाद तथा उत्तर प्रदेश राज्यीय निर्माण निगम, इलाहाबाद को क्रमशः विवरणितस्तरीय के पत्रोंक ओ.यू./109/2013 दिनांक 08-04-2013 तथा पत्रोंक ओ.यू./110/2013 दिनांक 08-04-2013 पधारदियारी हेतु आग्रहण/अभिलेख तथा तथा।

उक्त पत्र के सम्बन्ध परियोजना प्रबंधक, सी.एच.डी.एस. यूनिट-10, उत्तर प्रदेश, जल निगम, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्रोंक नैम्ब 01/नि. 6/राजनि/2013-14 दिनांक 05-08-2013 द्वारा 315 लाख रु.अग्रहण प्रस्तुत किया गया। उक्त उत्तर प्रदेश राज्यीय निर्माण निगम, इलाहाबाद द्वारा कोई आग्रहण प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तरप्रदेश विधायिका के पत्रोंक ओ.यू./2117/2014 दिनांक 20-03-2014 को पुनः तद्विषयक आग्रहण कराया करने हेतु कहा गया। जिसके सम्बन्ध सी.एच.डी.एस. यूनिट-10, उत्तर प्रदेश, जल निगम, इलाहाबाद द्वारा रु. 137.50 लाख का पुनर्निश्चित आग्रहण प्रस्तुत किया गया किन्तु अर्थात्तः युनि की रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण न होने के कारण कार्य नहीं कराया गया। सर्वनाम में अर्थात्तः युनि की रजिस्ट्री हो चुकी है। पधारणक सी.एच.डी.एस. यूनिट-10, उत्तर प्रदेश, जल निगम, इलाहाबाद से 137.50 लाख के आग्रहण पर विवरणितस्तरीय के पत्रोंक ओ.यू./744/2015 दिनांक 21-08-2015 द्वारा वह कारवारी जारी गयी है कि उक्त नेट पर अब कार्य करने के इच्छुक है या नहीं। आग्रहण प्रस्तुत करने जिसको सम्बन्ध परियोजना प्रबंधक, सी.एच.डी.एस. यूनिट-33 (पूर्व में यूनिट-10) उत्तर प्रदेश, जल निगम, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या 1020/निर्माण-1/51 दिनांक 19-11-2015 के 344.77 लाख का पुनर्निश्चित आग्रहण प्रस्तुत किया गया।

इस क्रम में यह भी प्रस्तावित है कि पधारदियारी करने के पधारता अधियारी/अभियारी आकाश एवं विजयल सेक्टर, इलाहाबाद के नक्शे का भी उक्त प्लॉट में निर्माण कराया जायत है।

उक्त प्रस्ताव पंजाब बोर्ड के सम्बन्ध विचारक प्रस्तुत किया गया। पंजाब बोर्ड में निर्माणित कार्यवाही की।

पंजाब बोर्ड में विवरणितस्तरीय को अर्थात्तः तीसरे पधार की युनि 5.50 एकर रजिस्ट्री के पधारण युनि की सुझा के बुद्धिगत पधारदियारी निर्माण एवं अधियारी/अभियारी आग्रहण/विजयल सेक्टर, इलाहाबाद की उत्कल अभियारी सम्बन्धी पधारण को रजिस्ट्री करने जाने का निर्णय किया।

कार्यावाही संख्या (उत्तर प्रदेश, जल निगम यूनिट-10) को आग्रहण रु. 144.77 लाख एवं अनुसूच्य की शर्तों के सम्बन्ध उत्कल कार्य आग्रहण करने हेतु प्रकृत किया कि रु. में 50% लगभग रु. 25.00 लाख इस वित्तीय वर्ष में मुगलान किया जायत है। उक्त कार्य का अर्थात्तः आग्रहण कर लिया गया है।

किसा समिति में प्रस्ताव किन्तु पर विचार किया।

किसा समिति में प्रस्तावित कार्यवाही करने की अनुमति दी।

Planned Officer
U.P. Rajarshi Tondra U.P. Kanpur
A. K. Shukla, . . .

(Signature)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक मगन के प्रथम ताल के निर्माण हेतु प्रेषित एलेगी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इलाहाबाद इकाई द्वारा अभी तक अनुभव कर रीकित आगमन 535.60 लाख के विरुद्ध अनुभव निम्नलिखित कलकल कार्य आरम्भ न किये जाने के सम्बन्धी प्रत्यक्ष पर निवार।

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक मगन के केलेक्ट एवं भूगत का निर्माण सारण के साथ अनुदान के खर्चा वर्ष 2010 में कलका जा हुआ है। क्यती हुई मात्र संख्या, कर्मचारिके एन कार्डी के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के प्रशासनिक मगन में खर्चा की कमी होती जा रही है। प्रशासनिक मगन के निर्माण के प्रारम्भिक समय में एक डिन्वहन/मर्यादित कलकाय तथा का लिखके अनुसार प्रशासनिक मगन कुल 04 तलों के निर्मित होना था। प्रशासनिक मगन के केलेक्ट/भूगत का निर्माण कार्यवाही संख्या की संख्या की एच. एन. एन-10, एलए प्रवेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा किया गया है। प्रशासनिक मगन में खर्चा की कमी को दूर करने के लिए निर्मित मगन के ऊपर के अन्य तलों के निर्माण कार्यवाही संख्या का भी निर्धारण किये जाने हेतु प्रथम संख्या बोर्ड की बैठक दिनांक 02-12-2014 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सोलस बोर्ड ने प्रस्तुत बिन्दु पर निम्नलिखित निर्णय किया :-

संख्या बोर्ड ने संस्तुत किया कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक मगन के सानयिक के अनुसार प्रशासनिक मगन के अधूर्ण तलों के निर्माण हेतु भारत सरकार से निर्माणकारी संख्या 8785 से कार्य कराये जाने की सम्ममता राखती जाय। सस्टर प्दान के अनुदान निर्माण कार्य के समय विश्वविद्यालय एक आर्किटेक्ट के मध्यम से समय-समय पर गुणवत्ता का परीक्षण कराये।

संख्या बोर्ड की प्रका संस्तुति के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष विद्या समिति की दिनांक 30-05-2015 के बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विद्या समिति ने प्रस्तावत प्रत्यक्ष पर निम्नलिखित संस्तुतियाँ की :-

- (1) "राज सरकार द्वारा कलित राजकीय निर्माण इलेक्टिवी से अनुभव प्राप्त कर न्यून दर वाली राजकीय एलेगी से कार्य कलका जाय।"
- (2) "भूगत का निर्माण पूर्व में पूर्ण हो चुका है। अत प्रथम ताल कलकने की जा से अधिकाधिक/प्रथम पर की आवश्यकता हो उसे सम्भिता हो जाय कर लिया जाय।"
- (3) "विश्वविद्यालय द्वारा अपने बोर्डों से निर्माण कलका जाय। सारण से अनुदान प्राप्त होने पर इसकी अधिपूर्ति की जाय।"

विद्या समिति की अनुसंसा को विचारार्थ परन्तु कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 24 मार्च, 2015 को कलका रवीकर किया।


Director
U.P. Public Service and Contracts
Lucknow

राज्यीय निर्माण निगम, इलाहाबाद इकाई, इलाहाबाद और सी एच डी एल, उ.प्र. जल निगम युनिट 33, इलाहाबाद से भवन निर्माण हेतु प्राप्त अगुवनी में राज्यीय निर्माण निगम, इलाहाबाद इकाई, इलाहाबाद वर आगमन क्र. 535.60 संख्या 404/निर्माण/41 दिनांक 16-04-2015 द्वारा संविदा, उच्च शिक्षा, कला अंश शाला, अजयगढ़ को प्रेषित किया गया।

प्राथमिक भवन के प्रथम तल के निर्माण हेतु आवश्यक परीक्षणोपलब्ध प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विद्यार्थिवालय से पत्रांक ओ.पु./17/2015 दिनांक 08-04-2015 द्वारा एम.एन.एन.आई.टी., इलाहाबाद को पत्र प्रेषित किया गया। गिदरेक, एम.एन.एन.आई.टी., इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या 175/CI.0/2015 दिनांक 03-06-2015 एवं लखन में उलझे किये गये अधिलेख संख्या 2 में उलझे द्वारा उलझे को विन्दुओं को उलझे हेतु विद्यार्थिवालय को काली प्रमाणित करने की सम्मति प्रेषित होती है।

आ। इस सम्बन्ध में पूर्व कार्यवाही संख्या सी एच डी एल, उ.प्र. जल निगम के महाप्रबन्धक निर्माण भवन विद्युति चक्र, अजयगढ़ से विद्यार्थिवालय के पत्रांक ओ.पु./474/2015 दिनांक 22-06-2015 के द्वारा प्राप्त तल पर प्राथमिक भवन के प्रथम तल के निर्माण कराने का करने की जानकारी मांगी गई जिसके अन्त में महाप्रबन्धक निर्माण भवन अजयगढ़ द्वारा परिवर्तन प्रबन्धक सी एच डी एल, उ.प्र. जल निगम युनिट 33, इलाहाबाद को उलझे पत्र संख्या 732/म.प्र.नि.-5/ युनिट-33 दिनांक 25-06-2015 द्वारा अनुपस्थित से सम्बन्धित कल संश्लिप्त जानकारी सुलभकित को देने का निर्देश दिया जिसको अनुपस्थित में परिवर्तन प्रबन्धक सी एच डी एल, उ.प्र. जल निगम युनिट 33, इलाहाबाद ने उलझे पत्रांक 604/निर्माण/41 दिनांक 29-07-2015 द्वारा यह सूचित किया गया कि निर्मित प्राथमिक भवन पर एक तल का निर्माण कार्य और किया जा सकता है जिसे राज्यीय निर्माण निगम, इलाहाबाद इकाई, इलाहाबाद को अज्ञात कराते हुए कला निर्माण हेतु अतिरिक्त अनुबन्ध निष्पत्ति करने से हेतु विद्यार्थिवालय अपने पत्रांक ओ.पु./3062/2015 दिनांक 18-11-2015 द्वारा राज्यीय निर्माण निगम, इलाहाबाद इकाई, इलाहाबाद को प्रथम तल के निर्माण हेतु अनुबन्धक पत्र प्रेषित किया गया जिसकी प्रथा प्रति संलग्नक 03 पृष्ठ संख्या _____ पर उपलब्ध है। उलझागुदार पत्र के सम्बन्ध से राज्यीय निर्माण निगम को यह सूचित किया गया है कि प्राथमिक निर्माण निगम दिनांक 25-11-2015 तक सूचित करने कि वह अपने पत्र दिनांक 07-03-2015 द्वारा उपलब्ध कराते गये आगमन क्र. 535.60 जका पर दिनांक 26-11-2015 तक अतिरिक्त अनुबन्ध निष्पत्ति कराकर कार्य आरम्भ करने हेतु सहमत है जयदा नहीं। उलझा प्रथा न होने पर यह सम्झा जावेगा कि उलझा आगमन क्र. 535.60 तल पर राज्यीय निर्माण निगम अनुबन्ध निष्पत्ति कराकर कार्य कराते जाने हेतु इष्टतम नहीं है। राज्यीय निर्माण निगम, इलाहाबाद इकाई, इलाहाबाद का अज्ञात उलझा अज्ञात है।

प्रकृत योजना बोर्ड को सम्झा विवरण प्रस्तुत किया गया। योजना बोर्ड ने प्रकृत विद्युत पर विद्यार्थिवालय निष्पत्ति संस्तुति किया।

योजना बोर्ड ने प्राथमिक भवन से प्राप्त तल को पूर्व में कल चुकी राज्यीय कार्यवाही संख्या उलझा अंश जल निगम युनिट 33, इलाहाबाद के पत्रांक 604/निर्माण/41 दिनांक 30-07-2015 के अज्ञात पर राज्यीय निर्माण निगम द्वारा प्रेषित आगमन क्र. 535.60 संख्या

पर उत्तर प्रदेश जल निगम, युनिट 10, इलाहाबाद से प्रथम लव का भी कार्य कराये जाने हेतु सहमति मांगे जाने एवं सहमति प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश जल निगम को हींदू निर्माण कार्य आरम्भ कराये जाने की संज्ञुति की।

उत्तर प्रदेश जल निगम, युनिट 10, इलाहाबाद से सहमति पत्र संख्या 1134/गिर्मांग-30/1 दिनांक 21-12-2015 प्राप्ता की मुका है तथा अनुभव कि कर्जों के अनुसार कार्यवाही संस्था को कार्य प्रारम्भ करावे जाने हेतु प्रथम किराा को रूप में 25% जो य. 132.00 लाख होता है उस भुगतान किया जाना है। किराा जल का अधिकार बजट में कर लिया गया है।

किराा समिति ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

'किराा समिति ने व्यवसायगत अनुसंधित करने की संज्ञुति की।'

बिन्दु संख्या-32/30

विश्वविद्यालय स्थित गैल्ट हाउस में विशिष्ट अतिथियों हेतु दो कमरे सुसज्जित कराये जाने का निवार।

विश्वविद्यालय स्थित गैल्ट हाउस में माननीय विशिष्ट अतिथियों के आगमन पर उनसे लिए जमी तक विशिष्ट गृह की व्यवस्था न होने से कार्य परिषद् को अस्वस्थ कराया गया। यह भी अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में आर्षेक्षित हो रहे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों में अन्य विश्वविद्यालय के माननीय कुलपतियों एवं विशिष्ट अतिथियों का प्रायः आगमन होता है।

प्रकरण कार्य परिषद् को सख्त विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचारोपगत निम्नलिखित निर्णय किया।

कार्य परिषद् ने गैल्ट हाउस ताक-सज्जा विकास कार्य एवं विश्वविद्यालय सुन्दरीकरण व अन्य निर्माण कार्यों के लिए अनुसंधित बजट से विश्वविद्यालय स्थित गैल्ट हाउस में 02 कमरों को पूर्णतः सुसज्जित करने का निर्णय किया।

किराा समिति ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

'किराा समिति ने व्यवसायगत अनुसंधित करने की संज्ञुति की।'

Finance Officer
U.P. Palamchi Tandon opus Lal Bahadur
Aizahad.

विद्यु संकेत-32.11

विश्वविद्यालय में वैकल्पिक कार्य को ब्यापक दिवस जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आई दिल्ली को सचिव द्वारा पत्रिका संख्या D.O. No. F.14-15/2014(ACE-4) दिनांक 03 मार्च, 2015 को मध्यम से माता सरकार द्वारा वैकल्पिक संस्थानी में सौर कार्य को समाप्त के सम्बन्ध में प्रदान की जाने वाली स्लायड के सम्बन्ध में वर्ष की गई थी, जिस रूप में विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 30-05-2015 को विलुप्त की.पी.अन. बनाये जाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव माता सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण उच्च माध्यम को प्रेषित किया गया था।

प्रस्ताव कार्य परिषद् को समक्ष विद्यार्थी प्रस्तुत किया गया था। कार्य परिषद् ने प्रस्तावत विन्तु पर विचार किया एवं निम्नलिखित निर्णय लिया -

कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय परिषद में सौलत लाहुर एवं सौलत से संबंधित होने वाले विद्युत आपादन संयंत्र, प्लांट खादि उपकरणों को लागू करने एवं लगका बढ़ाना/स्वींग डींग इन्फर्न स्थानित किये जाने हेतु कार्य परिषद् ने सिद्धान्त रूप से स्वीकार करते हुए इसे मिला समिति के सचयन से प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

मिला समिति ने प्रस्तावत विन्तु पर विचार किया।

"मिला समिति ने प्रस्तावत विन्तु अनुमोदित करने की अनुमति दी।"

विद्यु संकेत-32.12

विश्वविद्यालय कार्य हेतु टाटा ACE मशीन क्रय किये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय में परिक्षाओं में प्रयुक्त होने वाले, राजकीय मुद्राशासन से उत्तर पुस्तिकाओं को लाने, उन्हें सुरक्षित रखने के लिये, प्रवेश अनुमति की सुझा विवरणिकाओं को जागर प्रकाश से सुरक्षित रखने के लिये, विश्वविद्यालय में अव्यक्ति कार्यकारी हेतु वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, अथवापलातनुसार पाठ्य-सामग्री को व्यवस्थापन के लिये प्रेषित करने के लिये कार्य हेतु टाटा ACE मशीन क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव कार्य परिषद् के समक्ष विद्यार्थी प्रस्तुत है।

कार्य परिषद् ने प्रस्तावत विन्तु पर विचार किया। कार्य परिषद् ने प्रस्तावत विन्तु पर विचार किया एवं निम्नलिखित निर्णय लिया -

विश्वविद्यालय कार्य हेतु टाटा ACE मशीन क्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव को कार्य परिषद् ने सिद्धान्त रूप से स्वीकार करते हुए इसे मिला समिति के सचयन से प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया। उक्त कार्य का प्रस्ताव बजट में समाप्त गया है।

मिला समिति ने प्रस्तावत विन्तु पर विचार किया।

"मिला समिति ने टाटा ACE मशीन क्रय किये जाने की अनुमति दी।"

Planned Officer
U.P. Balruchi Tandon opna Ustretalir
Aushabad.

विन्दु संख्या-32, 33

उत्तर प्रदेश राजर्षि एम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यालय समूह उत्तर प्रदेश में होने के कारण एम्बेडकर गाड़ी संख्या यू.पी.70 ए.से-4791 की जाय पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप आर.आर्.डू द्वारा उसे निम्नोक्त किन्हे करने की संस्तुति पर उक्त वाहन के खाल पर इनीया वाहन के रूप किन्हे जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय का एम्बेडकर गाड़ी संख्या यू.पी.70 ए.से-4791 जो वर्ष जनवरी 2006 में क्रय किया गया था। उक्त वाहन मीटर के अनुसार लगभग 175000 कि.मी. चल चुकी है तथा वाहन 10 वर्ष से अधिक पुरानी हो चुकी है। कार्रगण में वाहन काको दखनीय/जर्जर स्थिति में होने के कारण चलन में नहीं है। वाहन का निरीक्षण परिवहन विभाग से कराया गया जिसके रिपोर्ट/संस्तुति के अनुसार वाहन अधिक दुरुस्ती के नगमता हेतु उपयुक्त नहीं है एवं वाहन को निधनोन्व किया जाना उचित बताया गया है। अतः विश्वविद्यालय के कार्यालय विस्तार को देखते हुए रिप्लेसमेंट के अन्तर्गत पर उपयुक्त वाहन क्रय किया जाना आवश्यक है। चूंकि उत्तर प्रदेश राजर्षि एम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय अन्य राज्य विश्वविद्यालय से भिन्न है एवं इसका कार्यालय समूह उत्तर प्रदेश में स्थित है एवं 10 क्षेत्रीय सेन्टर में विस्तारित है जहाँ पर वरिष्ठ/पर्यवेक्षण अधिकारियों को दोष देकर हेतु कार्यवाही एवं अन्य आवश्यक विश्वविद्यालय पूर्ण हेतु परीक्षा/अन्वय विद्यार्थी पर लेना पड़ता है।

वित्त समिति ने प्रस्ताव विन्दु पर विचार किया।

"वित्त समिति ने इत्येव गाड़ी क्रय किन्हे जाने की संस्तुति की।"

विन्दु संख्या-32, 34

विश्वविद्यालय की वार्षिक एवं मुद्रागत खाता, आय एवं व्यय खाता तथा वार्षिक विवरण (Balance Sheet) एवं बैंक समाधान विवरण तैयार किन्हे जाने के लिए Chartered Accountant (C.A) को देय मुल्क में वृद्धि किन्हे जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय की वार्षिक लेखा, वार्षिक एवं मुद्रागत खाता, आय एवं व्यय खाता तथा वार्षिक विवरण (Balance Sheet) एवं बैंक समाधान विवरण तैयार किन्हे जाने के लिए Chartered Accountant (C.A) को वित्त समिति एवं कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित दर से मुद्रागत किया जाता है। उक्त को तैयार करने हेतु Chartered Accountant द्वारा मुल्क में वृद्धि की माँग की गई है। परी की कार्यवाही हेतु घोषितन प्राप्त किया गया है। प्रयास दर सन्तोष मुद्रावृद्धि की द्वारा वार्षिक समिति के सम्मत् किया गया। समिति की अनुमति वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

वित्त समिति ने प्रस्ताव विन्दु पर विचार किया।

"समिति ने सन्तोष मुद्रावृद्धि की द्वारा वार्षिक समिति की अनुमति के अन्तर्गत पर रु. 10000/- एवं सार्वजनिक टैक्स का मुद्रागत किन्हे जाने की संस्तुति की।"

Finance Officer

U.P. Balarami Tandon Gupta

वित्तविद्यालय की श्रद्धांश सेवी/दुर्लभ सेवी/परामर्शदाता और वित्तीय सचिवता समर्थकियों से द्वारा प्राप्त वृद्धि एवं शिक्षा न्यायपालय एवं उच्च न्यायालय में वित्तविद्यालय द्वारा प्रकृत अविवक्षाओं एवं वित्तविद्यालय में Chartered Accountant के सुझाव निर्देशन से प्रत्यावेदन पर विचार।

वित्तविद्यालय की श्रद्धांश सेवी/दुर्लभ सेवी/परामर्शदाता और वित्तीय सचिवता समर्थकियों द्वारा प्राप्त वृद्धि से लिए प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उक्त प्रत्यावेदन पर विचार हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित समिति गठित की गई है।

1. डॉ. एस. पी. गुला - निदेशक, शिक्षा विद्या साखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि ट्रस्ट
मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
2. श्री. जी. डी. सिंह - सेवानिवृत्त, निदेशक, स्थानीय शिक्षा सेवा, इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश
3. श्री. जी. पी. शिवाजी - शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि ट्रस्ट
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

संज्ञी द्वारा दिनांक 12-02-2014 तक की पूरी देखभाल की गई।

वित्त समिति ने प्रस्ताव विद्यु. पर विचार किया।

उक्त समिति ने सार्वजनिक सुनवाई में द्वारा प्रकृत समिति की अनुसंधान से उत्तर पर निम्नलिखित बातें की शर्तों पर -

(क) प्रस्ताव/परामर्शदाता (वित्तीय)/राजनीति अधिकारी/परामर्शदाता (वै. वित्तीय)/दुर्लभ सेवी/श्रद्धांश सेवी -

क्र.सं.	विवरण	संशोधन पर (₹.)	संशोधन पर (₹.)
1	प्रस्ताव/परामर्शदाता (वित्तीय)	20000.00	20000.00
2	स्थानीय अधिकारी	27000.00	20000.00
3	परामर्शदाता (वै. वित्तीय)	10000.00	17000.00
4	दुर्लभ सेवी समर्थक/श्रद्धांश	7000.00	15000.00
5	श्रद्धांश सेवी समर्थक	8500.00	10000.00
6	राजनीति सेवी (वित्तीय)	750.00	1000.00

Finance Officer
U.P. Balaram Tandon Open University
Aishabad.

(iv) विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त व्याख्यान में शामिल व्ययव्यय :-

क्र.स.	विद्यार्थियों द्वारा दिए जा रहे वार्षिक शुल्क	संग्रह दर (₹)
1	₹ 2762/- प्रति वीस	₹ 3000/- प्रति वीस
2	13 वार्षिक विद्यार्थियों द्वारा	₹ 3900/- प्रति वीस

(v) बॉर्डर प्रकाशनों का शुल्क :-

क्र.स.	विद्यार्थियों द्वारा दिए जा रहे वार्षिक शुल्क	संग्रह दर (₹)
1	₹ 48000/- एवं सर्वोस टैक्स	₹ 70000/- एवं सर्वोस टैक्स

सहीरिसा सिन्धु संख्या-32.01

पुस्तकालय बचत के उद्देश्य के लिए इस विभाग के माध्यम से प्रेषित

— आवक की गई अनुभवों से विद्यार्थियों के छात्रों का परीक्षा साधन के माध्यम से पुस्तकालय बचत के उद्देश्य के लिए इस विभाग के माध्यम से प्रेषित प्रस्तुत किया गया।

"जिस स्थिति में व्याख्यान द्वारा शामिल एजेंटों से व्याख्यान प्राप्त करने में उपरोक्त व्ययव्यय कार्य कराए जाने की संसुची की।"


(संनय प्रमुख जिला)
जिला अधिकारी


Finance Officer
U. P. Jyoti Tandon Open University
Allahabad,



च.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
 शिक्षण विद्यालय परिसर, शांतिपुरम (सेक्टर - एक), इलाहाबाद
 इलाहाबाद - 201013

दिली अफिसरी

फोन : 8522-26478/9

पत्र संख्या: कु/वि/3048 / 2016

दिनांक: 23 - 11 - 2016

अद्वैतीय महीदप

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की दिनांक 22 नवंबर, 2016 को कित्त एग्रीमेंट की सम्बन्ध 33वीं बैठक का कार्यकाल अन्तर्गत अकारोकरार्थ संलग्न कर देवित है।

आदेश

(एन प्रकाश सिंह)

संलग्नक संख्याएं

22/11/16

1. श्री एन सी कुंभ
 कुलपति
 उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
 इलाहाबाद

23/11

2. श्री एन सी कुंभ
 सभ्यता निदेशक, राज्य शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश
 इलाहाबाद
 (मिथि, राज्य शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मणित)

23-11-16

3. श्री संजय नारायण
 उत्तर प्रदेश
 एग्रीमेंट एवं शिक्षा, इलाहाबाद संस्थान
 इलाहाबाद
 (एग्रीमेंट एंडिग, कित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मणित)

4. श्री एन सी कुंभ
 सभ्यता निदेशक, मिथि, उत्तर प्रदेश
 राज्य शिक्षा निदेशालय
 एग्रीमेंट एवं शिक्षा

23/11/16

5. श्री राजेश चन्द्र
 कुलपति
 उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
 इलाहाबाद

23/11/16

6. श्री एन सी कुंभ
 सभ्यता निदेशक
 उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
 इलाहाबाद

Finance Officer
 U.P. Rajarshi Tandon Mukt Vidyapeeth
 Alakabad,

o/c

1325

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 22.11.2016 को सम्पन्न किला समिति की बैठक की कार्यवृत्त


बैठक का स्थान - विश्वविद्यालय मुख्य भवन शान्तिपुरम्, फाफामऊ, इलाहाबाद

बैठक की तिथि एवं समय - 22 नवम्बर 2016, अपराह्न 01.00 बजे।

बैठक में निम्नलिखित अवश्य उपस्थित थे-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री एम्.पी. दुर्गे
कुलसचिव
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
इलाहाबाद | सदस्य |
| 2. श्री एम.पी. खरे
सम्पन्न निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद
(सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा नामित) | सदस्य |
| 3. श्री दीनदत्त नाथ गुप्त
अपर निदेशक
बिभाग एवं पेशवा, इलाहाबाद मण्डल
इलाहाबाद।
(प्रमुख सचिव, किला विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित) | सदस्य |
| 4. श्री बी.डी. बी. सिंह
सेवा निदेशक, निदेशक,
स्थानीय निधि सेवा,
30 प्रो इलाहाबाद | सदस्य |
| 5. श्री. राजेश कण्ठेय
कुलसचिव
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 6. अड्डा मन्दाल बीतालत
परिक्षा नियंत्रक
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 7. श्री सन्तु प्रकाश सिंह
किला अधिकारी
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य/सचिव |

कार्यवृत्ति के अनुसार कार्यवाही के प्रारम्भ में कुलसचिव जी ने सदस्यों का स्वागत किया तथाकथान बैठक में
निम्न बिन्दुओं पर विचार किया गया :-


P. K. Singh
U.P. Rajarshi Tandon Mukt
Allahabad.

विद्यु संख्या-33.01

दिनांक 15.02.2016 को सम्मान विद्या समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

विद्या समिति की विद्युती बैठक की कार्यवृत्त विद्युतविद्यालय को पत्र सं 0 जी.पू./विद्या/4060/2016 दिनांक 26-02-2016 द्वारा सभी सदस्यों को भेजा कर दी गयी है। किसी सदस्य द्वारा कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

"विद्या समिति ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 15-02-2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।"

विद्यु संख्या-33.02

विद्या समिति की विद्युती बैठक दिनांक 15.02.2016 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।

विद्या समिति की पिछली बैठक दिनांक 15.02.2016 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित अवगत निम्नवत् है :-

क्र.सं. सं.	विद्युती बैठक की कार्यवृत्त	विद्युती बैठक में लिये गये निर्णय	विद्युती बैठक में लिये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही
33.01	विद्युती विद्या समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	विद्या समिति ने अपनी विद्युती बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
33.02	विद्या समिति की विद्युती बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
33.03	सिद्धांत आचरणाधीन विद्या समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	विद्या समिति ने अपनी विद्युती आचरणाधीन बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
33.04	विद्या समिति की विद्युती आचरणाधीन बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

Flashed Officer
U.P. Rajaraj Tandon open Lab
Aizahabad.

क्रमांक श्री	विशेषी सेवा में संलग्नता	विशेषी सेवा में किए गए कार्य	विशेषी सेवा में किए गए कार्य की पूर्ण संतुष्टि
22.05	वित्तिये वर्ष 2015-16 का पुनर्विचार बजट एवं 2016-17 के असाधारण आय-व्यय (बजट) पर विचार।	"वित्त सचिवों ने वित्तिये वर्ष 2015-16 का पुनर्विचार बजट एवं 2016-17 के असाधारण आय-व्यय (बजट) की व्यवस्थापित अनुमोदन किए जाने की संतुष्टि की।"	संशोधित द्वारा व्यवस्थापित संतुष्टि एवं कार्यालयिक द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो सुझा है।
22.06	वित्तिये/आय के प्रशासनिक भवन में दो/चार फीट्स बहल परिसर निर्माण कराये जाने पर विचार।	"वित्त सचिवों ने व्यवस्थापित अनुमोदन करने की संतुष्टि की।"	संशोधित की संतुष्टि एवं कार्य परिपत्र द्वारा अनुमोदन के उपरान्त निर्माण करवा जा सुझा है।
22.07	वित्तिये/आय में 1000 व्यक्तियों की इलाका के अतिरिक्त निर्माण कराये जाने पर विचार।	"वित्त सचिवों ने व्यवस्थापित अनुमोदन करने की संतुष्टि की।"	संशोधित की संतुष्टि एवं कार्य परिपत्र द्वारा अनुमोदन के उपरान्त निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
22.08	वित्तिये/आय के अर्धवैतन लेनारे एवम् की भूमि 5.50 एकड़ रजिस्ट्री के अन्तर्गत भूमि को सुरक्षा के दृष्टिकोण सहायिका की निर्माण एवं अधिकारी/सर्वेचारी आवास/ अर्धवैतन इलाहाबाद की तन्त्रालय अन्तर्गत पर विचार।	"वित्त सचिवों ने व्यवस्थापित अनुमोदन करने की संतुष्टि की।"	संशोधित की संतुष्टि एवं कार्य परिपत्र द्वारा अनुमोदन के उपरान्त सहायिका/अर्धवैतन सर्वेचारी आवास कार्य करवा जा रहा है, एवं अर्धवैतन आवास को निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
22.09	उत्तर प्रदेश राज्यों टन्त्रालय मुक्त वित्तिये/आय के प्रशासनिक भवन के प्रथम ताल के निर्माण हेतु अर्धवैतन एलेन्सी उपखण्ड निर्माण नियम विनियोजित इलाहाबाद इकाई द्वारा जमी ताल अनुमति कर प्रेषित आगमन 535.60 लाख से निम्न अनुमति नियमित काल पर कार्य आरम्भ न किये जाने से सम्बंधित प्रकरण पर विचार।	"वित्त सचिवों ने व्यवस्थापित अनुमोदन करने की संतुष्टि की।"	संशोधित की संतुष्टि एवं कार्य परिपत्र द्वारा अनुमोदन के उपरान्त उत्तर प्रदेश जल नियम बुकिंग-10, इलाहाबाद से निर्माण कार्य करवा जा रहा है।

Placed Office
 S.P. Jaiswal, Engineer (Civil) - 100-4
 Allahabad.

क्र.सं. NO	विद्यार्थी द्वारा की गई सुझावें	समितियों द्वारा में दिए गए निर्णय	समितियों द्वारा में दिए निर्णय पर की गई कार्यवाही
32.10	विद्यार्थी द्वारा विद्या मंदिर काला में विभिन्न अतिथियों हेतु नौ कक्षों सुरक्षित कक्षों जाने पर विचार।	"विद्यार्थी समिति ने अनुमोदित कक्षों की संख्या की।"	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
32.11	विद्यार्थी द्वारा नौ कक्षों पर विचार।	"विद्यार्थी समिति ने अनुमोदित कक्षों की संख्या की।"	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
32.12	विद्यार्थी द्वारा फर्स्ट हेतु 01 टाटा ACE गाड़ी खरीदने जाने पर विचार।	"विद्यार्थी समिति ने 01 टाटा ACE गाड़ी खरीदने के लिए जाने की संख्या की।"	समिति की संख्याएं एवं कार्य परिष्कार द्वारा अनुमोदित के परिष्कार गाड़ी खरीदने की जा सुखी है।
32.13	पठन एवं शोध टाटा बुक सिंडिकेट द्वारा कक्षाएं खरीदने के लिए 4791 की लागत खरीदने के लिए 70 एच 4791 की लागत खरीदने के लिए निष्पादन करने जाने की संख्या पर विचार।	"विद्यार्थी समिति ने टाटा बुक सिंडिकेट द्वारा खरीदने की संख्या की।"	समिति की संख्याएं एवं कार्य परिष्कार द्वारा अनुमोदित के परिष्कार गाड़ी खरीदने की जा सुखी है।
32.14	विद्यार्थी द्वारा जो प्रथम एवं भुगतान खर्च, आय एवं व्यय खाता तथा अर्थिका शीट (Balance Sheet) तैयार करने के लिए Chartered Accountant (C.A) को टैग शुल्क में चुदने जाने पर विचार।	"समिति ने संचालक कुलपति की द्वारा सही समिति की अनुमोदित के अनुमोदित पर 20000/- एवं संचालक टैग के भुगतान करने जाने की संख्या की।"	समिति की संख्याएं एवं कार्य परिष्कार द्वारा अनुमोदित पर के Chartered Accountant (C.A) को भुगतान किया जा रहा है।
32.15	विद्यार्थी द्वारा जो प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी/तृतीय श्रेणी पर शैक्षणिक सचिव कर्मचारियों के द्वारा संचालक चुदने एवं विद्या मंदिर व्याख्यान एवं पत्रिका व्याख्यान में विद्यार्थी द्वारा द्वारा महीना अधिष्ठाता एवं विद्यार्थी द्वारा के Chartered Accountant के शुल्क निर्धारण के प्रस्ताव पर विचार।	"विद्यार्थी समिति ने संचालक कुलपति की द्वारा सही समिति की अनुमोदित के अनुमोदित पर 20000/- एवं संचालक टैग के भुगतान करने जाने की संख्या की।"	समिति की संख्याएं एवं कार्य परिष्कार द्वारा अनुमोदित पर के भुगतान किया जा रहा है।

Account Officer
U.P. Balisahi Tandon open Loksewa
Aizabadi.

विद्यु संख्या-33,03

उत्तर प्रदेश शासनी टायल मुला विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकोष से पेंशन दिने जाने सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या 128/शासना-4-2016-497/2014 दिनांक 21-07-2016 को अंतीकृत किये जाने पर विचार।

उक्त प्रवेश कर्मचारी टायल मुला विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकोष से पेंशन दिने जाने सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या 128/शासना-4-2016-497/2014 दिनांक 21-07-2016 प्रायत हुआ है। जिसमें निम्नलिखित उल्लेख दिने एवं है -

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासनी टायल मुला विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को शासनादेश संख्या-ई-11-1221/पन-न/94 दिनांक 15 नवम्बर, 1994 की व्यवस्थाओं के अर्थात् राजकोष से पेंशन दिने जाने की इस शर्त के अर्थात् अनुषंगी प्रकरण की जाती है कि उक्त कर्मचारी का नाम विश्वविद्यालय के उक्त शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की अनुसूची द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2005 के पूर्व पेंशनभोग पर पर हूयों हो तथा जो पेंशन हेतु अर्जा की अन्य शर्त पूर्ण किये हों।

अतः इस प्राप्ति उपरोक्त शासनादेश को विश्वविद्यालय में अंतीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रकरण समिति के सम्म विचारार्थ प्रस्तुत है।

विश्व समिति ने प्रस्तावत विद्यु पर विचार किये।

"विश्व समिति ने उपरोक्त शासनादेश को अंतीकृत किये जाने की अनुमति की।"

विद्यु संख्या-33,04

विश्वविद्यालय कार्य हेतु एक अतिरिक्त टाटा ACE गाड़ी खरी किये जाने पर विचार।

विश्व समिति की बैठक दिनांक 15-02-2016 की संसुति एवं कार्य परिषद की अनुमोदन के उपरान्त एक टाटा ACE गाड़ी खरी किये का मुला है। विश्वविद्यालय के परिक्षा कक्षाओं, कला पुस्तिका परिक्षा कक्षाओं पर पहुचने, अन्ध अनुसूची की सुचना विद्यार्थियों को तथा प्रवेश से दूरस्थ अध्ययन कक्षाओं पर भेजित करने, विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों हेतु वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, अन्धपुस्तकानुसूचक पढ़नेवालों को अध्ययन कक्षाओं को भेजित करने सम्बन्धी कार्य मात्र एक टाटा ACE गाड़ी से पूर्ण किये जाया सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसलिए आवश्यकता के दृष्टिकोण एक अतिरिक्त टाटा ACE गाड़ी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अतः गाड़ी खरी किये जाने का प्रस्ताव समिति से विचारार्थ प्रस्तुत है।

विश्व समिति ने प्रस्तावत विद्यु पर विचार किये।

"विश्व समिति ने एक टाटा ACE गाड़ी खरी किये जाने की अनुमति की।"

File No. 3303
U.P. Sahasra Tandon Open Library
Aahilabad, -5-

विन्दु संख्या-33.05

विश्वविद्यालय में मागरेय के अक्षर पर अंतरास्तिक होमोपैथिक डाक्टर की सेवाएं लिये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय में लगभग 250 के अता-पाता शिक्षार्थ/कर्मचारियों की संख्या है। विश्वविद्यालय में एक-दलीपेनिक डाक्टर (अंतरास्तिक मागरेय के अक्षर पर) नियुक्त है। होमोपैथिक चिकित्सा पद्धति भी लाभकारी एवं सहायकी होने के कारण शिक्षार्थ एवं कर्मचारियों द्वारा एक होमोपैथिक डाक्टर की भी मांग की जा रही है। अता मागरेय के अक्षर पर एक अंतरास्तिक होमोपैथिक डाक्टर की नियुक्ति रु. 1000.00 प्रति मिनट एवं अधिरक्षण रु. 12,000/- प्रति माह के अक्षर पर निदुष्टित हेतु प्रवचना समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विल सभिति में प्रस्तावत विन्दु पर विचार किया।

"विल सभिति ने एक अंतरास्तिक होमोपैथिक डाक्टर रु. 1000.00 प्रति मिनट एवं अधिरक्षण रु. 12,000/- प्रति माह के अक्षर पर निदुष्टित किये जाने की संसुति की।"

विन्दु संख्या-33.06

छात्रों द्वारा अंगलक्षण परीक्षा जमा की वसूली पर विचार।

सत्र 2015-16 में विश्वविद्यालय के सभी पर्यटकों में प्रवेश प्रक्रिया अंगलक्षण कर दी गई है। प्रत्येक शिक्षार्थी अंगलक्षण करता है। नेट बैंकिंग के ही माध्यम से पर्यटकों शुल्क जमा करता है। उद्वेकन ही प्रवेश प्राप्त करता है। शिक्षार्थी कालों से कुछ छात्रों द्वारा अंगलक्षण शुल्क को वापस कर दिया जा रहा है। तथा शुल्क वापसी की मांग की जा रही है। विश्वविद्यालय नियमों में इस प्रकार की शुल्क वापसी का कोई प्रावधान नहीं है जिससे छात्रों को असुविधा हो रही है। अता एक बार से अधिक जमा की गई शुल्क की वापसी को वापस करने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विल सभिति में प्रस्तावत विन्दु पर विचार किया।

"विल सभिति ने छात्रों द्वारा अंगलक्षण शुल्क को वापस करने की शिकति में एक शुल्क वापस किये जाने की संसुति की।"

विन्दु संख्या-33.07

परीक्षाओं का पूर्ण अंक पर उनमें निवास स्थान पर डाक द्वारा प्रेषित किये जाने पर विचार।

परीक्षा निष्पन्न होना आगामी परीक्षा से ऐसे सभी परीक्षार्थियों को विगलडा कार्यक्रम पूर्ण हो रहा है एवं उनमें विभाग द्वारा पूर्ण अंक पर प्रकल करना है जगह पूर्ण अंक पर उनमें निवास स्थान पर डाक द्वारा भेजे जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत करना है कि विश्वविद्यालय द्वारा स्प-अवधान समिती एवं किये पूर्ण से ही शिक्षार्थियों के निवास स्थान पर डाक द्वारा प्रेषित किये जा रहे है। अता पूर्ण अंक पर भी छात्रों को निवास स्थान पर डाक द्वारा प्रेषित किये जाने हेतु प्रवचना समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विल सभिति में प्रस्तावत विन्दु पर विचार किया।

"प्रस्तावत कार्यक्रमा है इसलिए विल सभिति ने परीक्षार्थियों का पूर्ण अंक पर उनमें निवास स्थान पर डाक द्वारा प्रेषित किये जाने की संसुति की।"

File No. 3305/2015
U.P. Sahasrabudhi Mahavidyalaya
Lucknow

बिन्दु संख्या-33.09

द्वितीय वर्ष 2016-17 का पुनर्विहित बजट एवं 2017-18 के प्रस्तावित आय-व्ययक (बजट) पर विचार।

द्वितीय वर्ष 2016-17 का पुनर्विहित बजट एवं 2017-18 के प्रस्तावित आय-व्ययक (बजट) विचारार्थ प्रस्तुत है। यह बजट आय एवं व्यय का विवरण अलग से संलग्न है।

वित्त समिति ने प्रस्तुत बिन्दु पर विचार किया।

"वित्त समिति ने द्वितीय वर्ष 2016-17 का पुनर्विहित बजट एवं 2017-18 के प्रस्तावित आय-व्ययक (बजट) को उच्चप्रशासन अनुदान विधि अन्तर्गत भी संलग्न की।"

बिन्दु संख्या-33.20

विश्वविद्यालय के सरकारी बरिसर विश्व माध्यमस्तर प्रश्नोत्तर से द्वितीय तल पर परीक्षा हटाने के निर्णय कार्यादेश देने पर विचार।

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में विश्वविद्यालय से पास कोई बच्चा हल प्रश्नोत्तर में होने से कारण परीक्षा आयोजित करने में अतिनियमों का सामना करना पड़ता है। उक्त से दृष्टिगत विश्वविद्यालय के सरकारी बरिसर विश्व माध्यमस्तर प्रश्नोत्तर से द्वितीय तल पर परीक्षा हटाने के निर्णय कार्यादेश देने का सुझाव बोलन-बोर्ड द्वारा दिया गया है। उक्त प्रश्नोत्तर वित्त समिति से सम्बन्धित विचारार्थ प्रस्तुत है।

वित्त समिति ने प्रस्तुत बिन्दु पर विचार किया।

"वित्त समिति ने माध्यमस्तर प्रश्नोत्तर से द्वितीय तल पर परीक्षा हटाने के निर्णय कार्यादेश देने को संलग्न की।"

बिन्दु संख्या-33.30

विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी नृत्य गार्गीया सेक्टर स्थापित किये जाने हेतु एक सेवानिवृत्त शैक्षणिक प्रशासकीयता के नियुक्ति किये जाने पर विचार।

पूर्व प्रशासकीय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, के शैक्षणिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तनार्थी को उत्साह करने एवं समष्टीमूलक समाज की स्थापना में श्री वाजपेयी द्वारा किये गये प्रयासों को विश्वविद्यालय स्तर पर सौभद्र प्रथम एवं सेमिनार/कान्फ्रेंस के आयोजनों द्वारा उल्लेखनीय तल पहुँचाने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी नृत्य गार्गीया सेक्टर की स्थापना का निर्णय दिनांक 05-09-2016 की कार्यविधि की बैठक द्वारा किया गया है, जिसके क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को उच्चतरतम संरक्षणार्थ के विचारों हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृतिार्थ प्रेषित भी किया गया है। उक्त सेक्टर के सरल संवादन हेतु एक सेवानिवृत्त शैक्षणिक प्रशासकीयता की आवश्यकता है। अतः रु. 30000/- प्रति माह मानदेय के अन्तर्गत एक शैक्षणिक पदसंरचना को नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी प्रशासन समिति के सम्बन्धित विचारार्थ प्रस्तुत है।

वित्त समिति ने प्रस्तुत बिन्दु पर विचार किया।

"वित्त समिति ने अटल बिहारी वाजपेयी नृत्य गार्गीया सेक्टर स्थापित किये जाने हेतु एक सेवानिवृत्त शैक्षणिक प्रशासकीयता रु. 30000/- प्रति माह मानदेय के अन्तर्गत एक नियुक्ति किये जाने को संलग्न की।"

बिन्दु संख्या-33.11

छात्र कल्याण मण्डल में स्थापित आदिवासी विद्युत्त लेब को विश्वविद्यालय सहायकी परिषद में स्थानान्तरित किये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण मण्डल में आदिवासी विद्युत्त लेब स्थापित है, जो मुख्य परिषद से वृत्त लेबों के कारण तथा कुछ तकनीकी कारणों से उपयोग में नहीं आता (या रहा है)। अतः संशोधन शिक्षा के अर्थोत्पन्न छात्र कल्याण मण्डल में स्थापित आदिवासी विद्युत्त लेब के आन्तरिक गिरीधर, लेब में उपलब्ध सामग्रियों का निरीक्षण कर अपेक्षित सुधार, मरम्मत, अपरोहनन वगैरे मुश्किलों में स्वायत्तपरीत करने सम्बंधी कल्याण समिति को स्पष्ट विचारार्थ प्रस्तुत।

कित्त समिति ने प्रस्ताव बिन्दु पर विचार किया।

"कित्त समिति ने छात्र कल्याण मण्डल में स्थापित आदिवासी विद्युत्त लेब को विश्वविद्यालय सहायकी परिषद में स्थानान्तरित किये जाने की संसुति की।"

बिन्दु संख्या-33.12

डॉ. सुशील प्रकाश गुप्ता, सेवाविप्लव, निर्देशक, शिक्षा विभाग शाखा को जी.पी.एफ. मुद्राण पर विचार।

डॉ. सुशील प्रकाश गुप्ता, इस विश्वविद्यालय में निर्देशक, शिक्षा विभाग शाखा के पद पर कार्यरत थे। डॉ. गुप्ता विभाग 30-06-2016 को सेवाविप्लव हो चुके हैं। सेवाविप्लव से उपरान्त जी.पी.एफ. फण्ड में जमा धनराशि की मात्रा जी.पी.एफ. से स्थापित गिरि लेखा संपरीक्षा विभाग की अडिटेड अर्पणित एवं अवेवत प्रमाण पत्र प्रत्येक न होने के कारण मुद्राण नहीं किया जा सका है।

प्रस्ताव कित्त समिति को विचारार्थ प्रस्तुत है।

कित्त समिति ने प्रस्ताव बिन्दु पर विचार किया।

"कित्त समिति ने प्रस्ताव प्रस्ताव को सारे तथ्यों को संश्लेषित कर कित्तपत्र को साथ अगली कित्त समिति को बैठक में रखे जाने की संसुति की।"

बिन्दु संख्या-33.13

डॉ. मोहन महादेव सिंह सेवाविप्लव, निर्देशक, समाज विज्ञान विभाग शाखा को जी.पी.एफ. मुद्राण पर विचार।

डॉ. मोहन महादेव सिंह, इस विश्वविद्यालय में निर्देशक, समाज विज्ञान विभाग शाखा के पद पर कार्यरत थे। डॉ. सिंह दिनांक 30-06-2016 को सेवाविप्लव हो चुके हैं। सेवाविप्लव से उपरान्त जी.पी.एफ. फण्ड में जमा धनराशि में से 90% का मुद्राण किया जा चुका है। शेष 10% के मुद्राण की माँग की गई है। अवेवत प्रमाण पत्र प्रत्येक न होने के कारण शेष राशि का मुद्राण नहीं किया जा सका है।

कित्त समिति ने प्रस्ताव बिन्दु पर विचार किया।

"कित्त समिति ने डॉ. मोहन महादेव सिंह सेवाविप्लव, निर्देशक, समाज विज्ञान विभाग शाखा को दिनेश जी अग्रवाल का निष्ठापूर्वक स्वागतार्थक होने की उपरान्त अवेवत प्रमाण पत्र अर्पण होने पर जी.पी.एफ. को शेष धनराशि के मुद्राण किये जाने की संसुति की।"

U.P. Balwani Tendron op-
A. J. Akhbar

विद्युत संख्या-33,14

विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में कबों के आइटम एवं खान-पान हेतु वरों के सार्वजनिक एवं निजी।

विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में विद्युत की बड़ी हुई वरों, अतिथि गृह के मरम्मत तथा मरिदाई के कारण अतिथि गृह में भी जाने वाली खान-पान व्यवस्था को सुविधा रखते हुए अतिथि गृह में कबों के आइटम एवं खान-पान हेतु पूर्व प्रचलित वरों के सार्वजनिक या प्रत्यक्ष प्रचलित सैन्टीन/अतिथि गृह द्वारा प्राप्त हुआ है। सार्वजनिक प्रत्यक्ष निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	वस्तु	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1	ए.सी. कक्ष (विश्वविद्यालय कार्यालय/कार्यक्रमों के लिए)	₹. 300/- प्रति दिन, प्रति कक्ष	₹. 400/- प्रति दिन, प्रति कक्ष
2	ए.सी. कक्ष अन्य कार्यों के लिए	₹. 450/- प्रति दिन, प्रति कक्ष	₹. 800/- प्रति दिन, प्रति कक्ष
3	गैर ए.सी. कक्ष (विश्वविद्यालय कार्यालय/कार्यक्रमों के लिए)	₹. 200/- प्रति दिन, प्रति कक्ष	₹. 250/- प्रति दिन, प्रति कक्ष
4	ए.सी. कक्ष अन्य कार्यों के लिए	₹. 250/- प्रति दिन, प्रति कक्ष	₹. 400/- प्रति दिन, प्रति कक्ष
5	गैर ए.सी. अरमेट्री (विश्वविद्यालय-कार्यालय/कार्यक्रमों के लिए)	₹. 75/- प्रति व्यक्ति	₹. 100/- प्रति व्यक्ति
6	गैर ए.सी. अरमेट्री (अन्य कार्यों के लिए)	₹. 100/- प्रति व्यक्ति	₹. 150/- प्रति व्यक्ति
7	शुद्ध चाय नाश्ता (सैन्टीन खान-पान दैनिक)	₹. 40/- प्रति व्यक्ति	₹. 50/- प्रति व्यक्ति (शुद्ध मसाले, दूध/बर्ल, फ्लेवर्ड, चाय)
8	सोफार एवं भोजन (सैन्टीन खान-पान दैनिक)	₹. 50/- प्रति व्यक्ति	₹. 80/- प्रति व्यक्ति (दाल, चावल, चार रोटी, सब्जी, सलाद, अचार)
9	शाम की चाय/बिस्किट (सैन्टीन खान-पान दैनिक)	₹. 10/- प्रति व्यक्ति	₹. 10/- प्रति व्यक्ति
10	सामान्य भोजन (सैन्टीन खान-पान दैनिक)	₹. 60/- प्रति व्यक्ति	₹. 80/- प्रति व्यक्ति (दाल, चावल, चार रोटी, सब्जी, सलाद, अचार)
11	नाश्ता (सैन्टीन/कार्यलय तथा अन्य अरमेट्री हेतु)	₹. 30/- प्रति व्यक्ति	₹. 35/- प्रति व्यक्ति (1 सिद्धांत 1 मसाले की सब्जी, चटनी/दही, फल तथा चाय)

U.P. External Trade...

12	सब (सेमिनार/उत्सव) तथा अन्य कार्यक्रम हेतु।	₹. 100/- प्रति व्यक्ति	₹. 150/- प्रति व्यक्ति (चलान, पुस्तक, फुडी, 1 मिमी, 2 सप्ती (मटर पनीर एवं मिला मंज) सलाद, अण्डा, राजा मण्ड, घटनी)
13	वाप/डिस्ट्रिक्ट (सेमिनार/उत्सव) तथा अन्य कार्यक्रम हेतु।	₹. 10/- प्रति व्यक्ति	₹. 15/- प्रति व्यक्ति

नोट :- 1. क्र. 1 से 4 तक के व्यक्तियों के उत्सवों पर, उन्हें ए.सी. कार्डों के लिए ₹. 200/- एवं पैर ए. सी. कार्डों के लिए ₹. 100/- अतिरिक्त अनुदान करना होगा।

2. विविध कार्यक्रमों के लिए खान-पान की सामग्री (मैनु) की भांश को अक्षर एवं परिवर्तनीय होगी।

आ: अतिथि वृक्ष के लक्ष्य रूप अन्य के दानों को संशोधित करने का प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

विविध समिति ने प्रस्ताव विन्तु पर विचार किया।

“विविध समिति ने उत्सवों पर एवं अनुसंधान दिवस करने की संतुष्टि की।”

विन्तु संख्या-33.15

योजना में सलाह, परामर्श एवं पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रम कार्याय करने हेतु एक वैश्विक समारोहाता की नियुक्ति करने पर विचार।

विविध समिति की बैठक दिनांक 25-11-2016 में समिति ने योग में सलाह, परामर्श एवं पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रम कार्याय करने का निर्णय किया गया है तथा कार्यक्रम का निर्धारण किया जा चुका है। उक्त कार्यक्रम को संचालित करने एवं कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने हेतु एक वैश्विक योग परामर्शदाता की आवश्यकता है। क्योंकि पूर्व में उक्त दिवस में कोई परामर्शदाता कार्यरत नहीं है।

अतः अन्य परामर्शदाताओं की भांति ₹. 20000/- प्रति माह की दर पर मासिक के अक्षर पर एक योग परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रस्ताव समिति के लक्ष्य विचारार्थ प्रस्तुत है।

विविध समिति ने प्रस्ताव विन्तु पर विचार किया।

“विविध समिति ने योग में सलाह, परामर्श एवं पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रम कार्याय करने हेतु ₹. 20000/- प्रतिमाह की दर पर मासिक के अक्षर पर एक योग परामर्शदाता नियुक्त करने की संतुष्टि की।”

President, District
N.P. Kulkarni Yashwantrao Chavan
Dakshin, -10-

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्रों के लिए अग्रज भवन/भूमि अग्र किये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्र किराये के भवन में स्थापित हैं। जिसके लिए एक बड़ी धनराशि प्रति महीना किराये के रूप में भुगतान किया जा रहा है। भवन स्वामी द्वारा बर्तमान भवन किराया बढ़ाते जाने की मांग भी की जाती रही है। किराये के भवन में विद्युत बिल आदि में भी कटौती नहीं हो रही है। किराये के भवन में स्थान सीमित होने के कारण अधिन्यास एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में काफी कटौती हो रही है तथा कार्यलय के शिवालयों का विस्तार भी नहीं हो पा रहा है। उक्त प्रकल्प योजना चार्ट की बैठक दिनांक 19-11-2016 एवं विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 21-11-2016 की सलाह विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसमें समिति ने क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु अग्रज भवन/भूमि अग्र किये जाने की संस्तुति की है। यह भवन/भूमि अग्रता प्रकल्प, अग्रज भवन एवं अग्र से अग्र किये जाने की संस्तुति किया गया है। जिससे अग्रज भवन के साथ छात्रों की सुविधा को देखते हुए क्षेत्रीय केंद्र पर एक अग्रज भवन केंद्र भी स्थापित किया जा सके।

उक्त प्रकल्प समिति के संस्था विचारार्थ प्रस्तुत।

किस समिति ने अग्रज भवन विस्तार पर विचार किया।

"समिति ने विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्रों के लिए अग्रज भवन/भूमि अग्र किये जाने की संस्तुति की।"

बैठक के अंत में सिला अधिकारी ने समिति के सभी सदस्यों के प्रति मन-मोहव ज्ञापन किया तथा अग्रज भवन की संस्तुति से बैठक का समापन किया।

Finance Officer
U.P. Balrathi Tandon open University
Ailakabad

सना प्रकाश सिंह
मिला अधिकारी



उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय परिसर, झांझिपुर (सीनटर - एफ), झांझिपुर
इलाहाबाद - 211012

वित्त अधिकारी

फोन : 0532-2447042

पत्रक सं० वृ/वित्त/4746 / 2017

दिनांक : 13-04-2017

आयतनीय महोदय,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की दिनांक 12 जून, 2017 को वित्त समिति की सम्पन्न 34वीं बैठक का कार्यवृत्त आगके अद्योक्तार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय

(सत्य प्रियंस सिंह)

संलग्नक: काकावां

1. प्रो. एम.पी. मुखे
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
इलाहाबाद
2. श्री अशोक कुमार मिश्र
अनुसंधान, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन अद्योक्त
(जनशिक्षा, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित)
3. श्री राजेश्वर मिश्र
समुदाय विधेयक,
अधिनियम एवं विधान, इलाहाबाद कानून
इलाहाबाद
(समुदाय विधान, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित)
4. डॉ. राजेश चन्द्र
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
5. डॉ. जी.के. सिन्घेली
परिक्षा नियंत्रक
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

Finance Officer
U.P. Rajarshi Tandon Open University
Allahabad

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 12.04.2017 को सम्पन्न विद्या समिति की बैठक की कार्यवाही

बैठक का स्थान - विश्वविद्यालय मुख्य भवन हाथिपुरा, फाकाफर, इलाहाबाद
 बैठक की तिथि एवं समय - 12 अप्रैल 2017, अरुणोदय 09.30 बजे।

बैठक में निम्नलिखित कार्यवाही उपस्थित थे-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री. एन. पी. पुने
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
इलाहाबाद | अध्यक्ष |
| 2. श्री अजय कुमार मिश्र
अनुसंधान, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ
(सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित) | सदस्य |
| 3. श्री साधुनाथ मिश्र
संस्था निर्देशक
कार्यकार एवं प्रशासन, इलाहाबाद सम्प्रदाय
इलाहाबाद।
(प्रमुख सचिव, विद्या विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित) | सदस्य |
| 4. श्री. राजेश कुमार
कुलसचिव
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 5. डॉ. जी. जी. टिबेनी
परिचालन निदेशक
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 6. श्री सती प्रकाश सिंह
विद्या अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य/सचिव |

कार्यवाही के अनुसार कार्यवाही के क्रम में कुलपति जी ने सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया गया -

बिन्दु संख्या-34.01

दिनांक 22.11.2016 को सम्पन्न विद्या समिति की बैठक के कार्यवाही की प्रुति।

विद्या समिति की पिछली बैठक की कार्यवाही विश्वविद्यालय के पत्र सं. 230/विद्या/3048/2016
 दिनांक 22-11-2016 द्वारा सभी सदस्यों को प्रेषित कर दी गयी है। किसी सदस्य द्वारा कोई लिपि भी प्राप्त
 नहीं हुई है।


विद्या समिति ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 22-11-2016 के कार्यवाही की प्रुति की।

File No. Office
 U.P. Rajarshi Tandon U.P. A.I.A.
 Alahabad.

क्र.सं. सं.	विद्यार्थी केन्द्र की कार्यवाही	विद्यार्थी केन्द्र में किए गये कार्य	विद्यार्थी केन्द्र में किए गये कार्य की गई कार्यवाही
33.10	विश्वविद्यालय में अल्प विद्यार्थी वाचस्पति गुप्त मदनलाल शेरमा स्वयंसेवक किये जाने हेतु एक संघनिष्ठ संघनिक परामर्शदाता के नियुक्ति किये जाने पर विचार से सम्बन्धित है। समिति की संसुति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	समिति समिति ने अल्प विद्यार्थी वाचस्पति गुप्त मदनलाल शेरमा स्वयंसेवक किये जाने हेतु एक संघनिष्ठ संघनिक परामर्शदाता रु. 30000/- प्रति माह वाचस्पति के अन्तर्गत पर नियुक्ति किये जाने की संसुति की।	समिति की संसुति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
33.11	श्री प्रताप नन्दन शर्मा ने स्वयंसेवक अभियोग विद्युत्सल लेख को विश्वविद्यालयसरकारी परिसर में स्थापनाकिये किये जाने पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति समिति ने श्री प्रताप नन्दन शर्मा ने स्वयंसेवक अभियोग विद्युत्सल लेख को विश्वविद्यालय सरकारी परिसर में स्थापनाकिये किये जाने की संसुति की।	समिति की संसुति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
33.12	श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता संघनिष्ठ, निदेशक, शिक्षा विद्या शाला को जी.पी.एस. पुनर्गठन पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति समिति ने प्रस्तावित प्रकरण के बारे में कार्यवाही संश्लेषित कर विचार से सम्बन्धित शिक्षा समिति की बैठक में रखे जाने की संसुति की।	समिति की संसुति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
33.13	श्री महेश नारायण सिंह संघनिष्ठ, निदेशक, उच्च शिक्षा विद्या शाला को जी.पी.एस. पुनर्गठन पर विचार से सम्बन्धित है। समिति की संसुति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	समिति समिति ने श्री महेश नारायण सिंह संघनिष्ठ, निदेशक, उच्च शिक्षा विद्या शाला को जी.पी.एस. पुनर्गठन पर विचार से सम्बन्धित शिक्षा समिति की बैठक में रखे जाने की संसुति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के उपरान्त अधिसूचना प्रकाशित कर कार्य होने पर जी.पी.एस. के संघ कार्यवाही के अन्तर्गत किये जाने की संसुति की गई।	समिति की संसुति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

Please Officer
U.P. Palakshi Tandon Office
Allahabad.

क्र.सं. शु.	विशेषीकरण की कार्यवाही	विशेषीकरण में किए गये कार्य	विशेषीकरण में किए गये कार्य पर की गई कार्यवाही
33.34	विश्वविद्यालय के अंतर्गत गृह का कच्ची के अंतर्गत एवं धातु-दान हेतु दरों के सर्वेक्षण पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने इस्ताफित दरों को अनुसंधित किये जाने की कार्यवाही की।	समिति की कार्यवाही एवं कार्यवाही के निर्णयानुसार सर्वेक्षण दर से मुआवज़ अनुचित रूप से किया जा रहा है।
33.35	दोनों में सहायक, परामर्शदाता एवं पी. जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने वाले हेतु एक वैश्विक परामर्शदाता की नियुक्ति किये जाने पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने दोनों में सहायक, परामर्शदाता एवं पी. जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने वाले हेतु रु. 29000/- प्रतिमाह की दर पर सहायक के अन्तर्गत एक एक वैश्व परामर्शदाता नियुक्ति किये जाने की कार्यवाही की।	समिति की कार्यवाही एवं कार्यवाही के निर्णयानुसार कार्यवाही प्रतिबन्धीन है।
33.36	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक केंद्रों को लिए अल्प भूखण्ड/भूमि अथवा किये जाने पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने विश्वविद्यालय को शैक्षणिक केंद्रों के लिए भूखण्ड/भूमि अथवा किये जाने की कार्यवाही की।	समिति की कार्यवाही एवं कार्यवाही के निर्णयानुसार शैक्षणिक केंद्रों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के समुदाय परिचय में स्थापित हो चुका है। शैक्षणिक केंद्रों के अन्तर्गत हेतु भूमि अथवा अथवा एक विशाल परिधि के पर दिनांक 16-03-2017 को कार्यवाही किये जा चुका है। विशेषीकरण कार्यवाही की कार्यवाही किये जाने है। अन्य शैक्षणिक केंद्रों के भूमि/भूखण्ड की कार्यवाही प्रतिबन्धीन है।


 P. N. Vaidya
 Director of Finance
 Aligarh University
 Aligarh

विद्यु संख्या-34.03

वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-3 में की गयी संशुधियों पर लिखे गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायक प्राथम शिक्षण/प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (पू.जी.सी. ए. आई.सी.टी.ई. तथा आई.सी.ए. आर.डी. वेतनमानों से अपवादित पदों को छोड़कर) एवं सहायक प्राथम शिक्षण/प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/अभ्यासियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन निर्दिष्ट की स्वीकृति से सम्बंधित शासनादेश संख्या 86/2016/वेतन-2-1443/दस-06/एन/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को जारी कर किये जाने से सम्बंधित।

वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-3 में की गयी संशुधियों पर लिखे गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायक प्राथम शिक्षण/प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (पू.जी.सी. ए. आई.सी.टी.ई. तथा आई.सी.ए. आर.डी. वेतनमानों से अपवादित पदों को छोड़कर) एवं सहायक प्राथम शिक्षण/प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/अभ्यासियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन निर्दिष्ट की स्वीकृति से सम्बंधित शासनादेश संख्या 86/2016/वेतन-2-1443/दस-06/एन/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 जारी किया गया है। उक्त शासनादेश को इस विवरणानुसार के शिक्षकों/अभ्यासियों हेतु लागू किया जाना है।

समिति के सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत।

समिति ने शासनादेश शासनादेश को अपरोक्ष/अप्रत्यक्ष शासनादेश को जारी कर किये जाने से सम्बंधित।

विद्यु संख्या-34.04

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ हेतु भूमि क्रय किये जाने से अवगत होगा।

संयोजक केंद्र की बैठक दिनांक 19-11-2016, विश्व परिसर की बैठक दिनांक 21-11-2016, विश्व समिति की बैठक दिनांक 22-11-2016 की संशुधियाँ एवं कार्य परिपत्र को बैठक दिनांक 25-11-2016 के निर्णय के अनुसारण में क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्व परिसर परिसर लखनऊ से अधिग्रहण किया गया। परिसर में वृक्षावन रोपण, लखनऊ में 3000.48 वर्ग मीटर मूलभूत का अधिग्रहण किया है। विश्वविद्यालय द्वारा दोषन लक्ष्य के रूप में रु. 78,45,910/- का भुगतान किया जा चुका है। क्षेत्रीय केंद्र हेतु उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्व परिसर, लखनऊ का एक संयुक्त 1237/संयुक्त वृक्षावन दिनांक 16-03-2017 प्राप्त हुआ है। संयोजक केंद्र की बैठक दिनांक 05-04-2017 में संशुधियाँ प्रस्तुत किया जा चुका है। परिसर का एक दिनांक 16-03-2017 समिति के सम्बन्धित अवगत प्रस्तुत है।

समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्व परिसर को एक दिनांक 16-03-2017 को अधिग्रहण किया एवं इससे अनुसंधान भुगतान की कार्यवाही कर भूमि की संशुधियाँ किये जाने से सम्बंधित।

Director Office
U.P. Education Department
Lucknow

कार्यवाही विन्धु संख्या-34.05

विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों (रांग, वगुण एवं ललकरी) में गार्ड रक बनाये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों (रांग, वगुण एवं ललकरी) में गार्ड रक न होने के कारण विश्वविद्यालय की सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्डों को लगती हुई धुन, लचक, आंधी-तूफान एवं वर्षा होने पर सुकाक रक में झुपूटी लगने में कठिनाईको का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों (रांग, वगुण एवं ललकरी) में मुख्य द्वार के पास गार्ड रक बनाये जाने सम्बन्धी प्रकरण की संलगुती योजना बोर्ड की बैठक दिनांक 03-04-2017 में किया गया है।

प्रकरण समिति को समझ विद्यमान प्रस्तुत है।

"प्रकरण सम्बन्धित है इसलिए समिति ने विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में गार्ड रक बनाये जाने की संलगुती की।"

कार्यवाही विन्धु संख्या-34.06

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र को अनुसार द्वितीय तल के निर्माण कराये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बेसमेंट एवं भूतल पर निर्माण प्रभाग के द्वारा अनुदान की राशि 2013 में कार्यवाही संख्या को एक डी.एम. नुमिटर-10, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा किया गया है। अगली हुई प्राय संवाद, कर्मचारियों एवं कार्य के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में स्थान की कमी होती जा रही है। प्रशासनिक भवन के निर्माण के प्रारम्भिक समय में एक डिजाइन/मानचित्र बनवना पड़ा था। जिससे अनुसृत प्रशासनिक भवन बेसमेंट के साथ कुल 04 तल में निर्मित होगा था। जिसका साफत प्रथम तल का निर्माण कार्यवाही संख्या की एक डी.एम. नुमिटर-10, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है। भवन हेतु जल का कार्य पूर्ण हो चुका है। गतिचारे के एक कर निर्माण कार्य एवं विनिर्दिष्ट का कार्य प्रवृत्ति पर है। प्रशासनिक भवन में स्थान की कमी को पूरा करने के लिए निर्मित भवन के ऊपर से द्वितीय तल का निर्माण कराए जाने एवं छात्री लगने जाने हेतु प्रत्यक्ष बीकना बोर्ड के संकट दिनांक 03-04-2017 को विचारों प्रस्तुत किया गया था। योजना बोर्ड में प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल के निर्माण की संलगुती किया है।

अतः प्रकरण समिति को विद्यमान प्रस्तुत है।

"समिति ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र को अनुसार द्वितीय तल के निर्माण कराये जाने की संलगुती की।"

Finance Officer
U.P. Balakrishna Tendulkar Office
Allahabad.

कार्यसूची विन्दु संख्या-34.07

विश्वविद्यालय कार्य हेतु 01 सप्ताह ACE सप्ताही रूप विन्दे जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय में प्रदेश अनुभव की सूचना निकलनेवाली को जल्द प्रदेश के दूरस्थ अध्ययन केंद्रों पर प्रेषित करने, विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों हेतु वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, परीक्षाओं हेतु, राजकीय भुगतानों से वास्तव्य पुस्तिकाओं को लेने, उन्हें दूरस्थ अध्ययन केंद्रों पर पहुंचाने, आवश्यकतानुसार मध्य-साली को अध्ययन केंद्रों पर प्रेषित करने अदि कार्य हेतु 01 सप्ताह ACE सप्ताही रूप विन्दे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव संजगा बोर्ड के समक्ष दिनांक 03-04-2017 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। योजना बोर्ड ने 01 सप्ताह ACE सप्ताही रूप विन्दे जाने की संसुति की है।

अतः प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

"समिति ने उपरोक्त प्रस्ताव को सन्धी वस्तुओं पर विचारार्थता एक अधिवेशन 01 सप्ताह ACE सप्ताही रूप विन्दे जाने की संसुति की।"


कार्यसूची विन्दु संख्या-34.08

अध्ययन केंद्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों को दिवे जाने वाले भागधेय की संतोषन हेतु मण्डल समिति की बैठक दिनांक 03-04-2017 को अनुसंस पर विचार।

अध्ययन केंद्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों को दिवे जाने वाले भागधेय का पुनर्विनिर्दिष्ट दिनांक 01-07-2010 को किया गया था तदुदिनांक से यहाँ मानदेय भुगतान किया जाता था ही लगभग 06 वर्षों में महगाई अदि से वजत बहुत वृद्धि हो चुकी है। समन्वयकों की कार्यभारता में अधिकाक फनधारकी द्वारा मानदेय वृद्धि की मान की जाती रही है। भागधेय वृद्धि हेतु एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने अपनी बैठक दिनांक 03-04-2017 में विचार करते हुए मानदेय वृद्धि हेतु संसुति की है।

अतः प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

"समिति ने अध्ययन केंद्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों को दिवे जाने वाले भागधेय की पर संतोषन हेतु मण्डल समिति की बैठक दिनांक 03-04-2017 के प्रस्ताव को विचारार्थ समिन्ध विन्दे जाने की संसुति की -


D.P. Kalochi Tandon
Aliskabad.

18. ऐसे केंद्र जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 15 से 29 तक हो तथा शुल्क से आय रु. 50,000/- से 1,00,000/- तक हो एवं ऐसे केंद्र जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 15 से 29 तक हो तथा शुल्क से आय रु. 1,00,000/- से अधिक हो :

वर्तमान दर					दिनांक 01-07-2017 से प्रस्तावित दर		
क्र.सं.	पदनाम	मार्ग व्यय	पारिश्रमिक	शैल	मार्ग व्यय	पारिश्रमिक	शैल
1	डाक्टर	300.00	700.00	1000.00	350.00	850.00	1200.00
2	सहायक	400.00	1400.00	1800.00	450.00	1650.00	2100.00
3	कार्यालय सहायक	—	800.00	600.00	—	700.00	700.00
4	कार्यालय परिचर	—	500.00	500.00	—	600.00	600.00

19. ऐसे केंद्र जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 30 से 49 तक हो तथा शुल्क से आय रु. 1,00,000/- से अधिक हो एवं ऐसे केंद्र जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 50 से 200 तक हो :

वर्तमान दर					दिनांक 01-07-2017 से प्रस्तावित दर		
क्र.सं.	पदनाम	मार्ग व्यय	पारिश्रमिक	शैल	मार्ग व्यय	पारिश्रमिक	शैल
1	डाक्टर	400.00	800.00	1200.00	450.00	950.00	1400.00
2	सहायक	600.00	1800.00	2200.00	750.00	1850.00	2550.00
3	कार्यालय सहायक	—	750.00	750.00	—	900.00	800.00
4	कार्यालय परिचर	—	600.00	600.00	—	700.00	700.00
5	सहायक डायरी	—	800.00	480.00	—	700.00	780.00

20. ऐसे केंद्र जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 201 से 500 तक हो :

वर्तमान दर					दिनांक 01-07-2017 से प्रस्तावित दर		
क्र.सं.	पदनाम	मार्ग व्यय	पारिश्रमिक	शैल	मार्ग व्यय	पारिश्रमिक	शैल
1	डाक्टर	400.00	900.00	1800.00	450.00	1050.00	1900.00
2	सहायक	700.00	1800.00	2500.00	800.00	2100.00	2800.00
3	सहायक सहायक	400.00	900.00	1300.00	450.00	1050.00	1500.00
4	कार्यालय सहायक (दो)	—	750.00 प्रति	750.00 प्रति	—	900.00 प्रति	900.00 प्रति
5	कार्यालय परिचर (दो)	—	600.00 प्रति	600.00 प्रति	—	700.00 प्रति	700.00 प्रति
6	सहायक डायरी	—	600.00	400.00	—	700.00	700.00

घ. ऐसे केन्द्र जहाँ विद्यार्थियों की संख्या 500 से अधिक हो :

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान दर			दिनांक 01-07-2017 से प्रस्तावित दर		
		चार्ज	वार्षिक	शेन	वार्ग चार्ज	वार्षिक	शेन
1	आफिस	500.00	1000.00	1500.00	550.00	1150.00	1700.00
2	समन्वयक	800.00	2100.00	3000.00	1000.00	2500.00	3500.00
3	सहायक समन्वयक	500.00	1000.00	1500.00	550.00	1150.00	1700.00
4	कंप्यूटर सहायक (घं)	—	800.00 घंटे	800.00 घंटे	—	950.00 घंटे	950.00 घंटे
5	कंप्यूटर ऑपरेटर (घं)	—	700.00 घंटे	700.00 घंटे	—	800.00 घंटे	800.00 घंटे
6	साधारण कर्मचारी	—	700.00	700.00	—	800.00	800.00

नोट - बी.एड. एवं बी.एड. (स्वैच्छक) से केन्द्रों को मानदेय उपरोक्त केपी 'ख' से अनुसृत देव होगा।

कार्यवाही विन्दु संख्या-34.09

विश्वविद्यालय को 10 क्षेत्रीय केन्द्रों पर एक-एक डाटा इण्टी अपग्रेड सेवा प्रदाना एजेन्सी से सल्लाह से उपलब्ध कराये जाने पर विचार।

क्षेत्रीय केन्द्रों पर अभियन्ता एवं सहायक प्रोफेसर की सलाह पुस्तिकाओं का मुद्रांकन कार्य में 02 बार कटवाया जाता है। मुद्रांकन उपलब्ध प्राप्त करने को आन्तरिक कम्प्यूटर प्रविष्टि क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर ही कराया जाता है। क्षेत्रीय केन्द्रों से सम्बंध उपकरण केन्द्रों के प्रवेश एवं अन्य सल्लाहों का भी निगरान कर दिया जाता है। क्षेत्रीय केन्द्रों पर कार्यवाहियों की संख्या अति न्यून होने के कारण कार्य सन्तुष्ट में अधिकाई होती है। क्षेत्रीय केन्द्रों से निदेशक द्वारा अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की जाती रही है। ऐसी स्थिति में एजेन्सी के माध्यम से एक-एक डाटा इण्टी अपग्रेड क्षेत्रीय केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव समिति के सम्बंध विषयार्थ प्रस्तुत है।


"समिति ने विश्वविद्यालय को 10 क्षेत्रीय केन्द्रों पर एक-एक डाटा इण्टी अपग्रेड सेवा प्रदाना एजेन्सी से सल्लाह से उपलब्ध कराये जाने की सलाह दी।"


दिनांक संख्या 34/30

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या संख्या/119/2017 दिनांक 11-04-2017, जो प्रो. एम. पी. मुंजे, कुलपति, प.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के अस्वास्थ्य केतन अंशदान एवं वेतनहीन अंशदान से सम्बंधित है, पर विद्यत।

प्रो. एम. पी. मुंजे इस विश्वविद्यालय में दिनांक 17-10-2014 से कुलपति के पद पर नियुक्त हैं। इनके पूर्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में आध्वर्य के पद पर कार्यरत थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपने पद दिनांक 11-04-2017 हास प्रो. एम. पी. मुंजे के अस्वास्थ्य केतन अंशदान एवं वेतनहीन अंशदान (दिनांक 17-10-2014 से 03-04-2017) तक खंग की है। प्रकरण समिति के सख्त निष्कारण प्रस्तुत है।

"समिति ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद से पत्र संख्या संख्या/119/2017 दिनांक 11-04-2017 पर विचार किया किया। विचारोत्पन्न प्रो. एम. पी. मुंजे के अस्वास्थ्य केतन अंशदान एवं वेतनहीन अंशदान के अनुदान किसे खंग की समझते हैं।"


(सच प्रकाश सिंह)
वित्त अधिकारी


Finance Officer
Dr. Rajarshi Tandon Open University
Allahabad,



उत्तर प्रदेश सहस्रि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

कैम्पस-१३, प्रशासकिय, जोधवी रोड, एनएच-३३
अलीकबाद-२०१०१३, उ.प्र.

दि. ३०/११/१८

उ.प्र. १०३२-१००००१

पत्रिका संख्या / दिना / ५०५५ / २०१८

दिनांक ०१-०१-२०१८

आचार्यजीय महोदय,

आचार्य महोदय सहस्रि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, अलीकबाद की दिनांक २९ फरवरी, २०१८ को दिनांक ३०/११/१८ को सम्बन्धित २९ वीं बैठक का कार्यपत्र आपके कार्यालय/कक्ष में सलमन कर प्रेषित है।

भवदीय

(सुधा अग्रवाल सिंह)

संलग्नक: अज्ञात

श्री अशोक कुमार सिंह

कुलसचिव

आचार्य महोदय सहस्रि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,

अलीकबाद

श्री एन.पी. शर्मा

संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, अलीकबाद

(आचार्य, उच्च शिक्षा, आचार्य महोदय सहस्रि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय)

श्री एन.ए. सिंह

अध्यक्ष निदेशक

श्रीधर नगर एवं केंद्र, अलीकबाद कक्षा अलीकबाद

(प्रमुख अतिथि, शिक्षा विभाग, आचार्य महोदय सहस्रि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय)

श्री विजय कुमार शुक्ल

कुलसचिव

आचार्य महोदय सहस्रि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,

अलीकबाद

श्री जी.के. शर्मा

अतिरिक्त निदेशक

आचार्य महोदय सहस्रि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,

अलीकबाद

Planner Officer

U.P. Sahasri Tandon Mukta Vishwavidyalaya
Alikabad,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 23-02-2018 को सम्पन्न शिवालय समिति की बैठक की कार्यवाही

बैठक का स्थान - विश्वविद्यालय मुख्य कक्षा इण्डियन, कायमना, इलाहाबाद
 बैठक का तिथि एवं समय - 23-02-2018, दोपहर 12:00 बजे

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | डॉ. अर्जुनचंद्र शर्मा सिंह
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | अध्यक्ष |
| 2 | डॉ. एस.पी. खरे,
संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद
(शिक्षण, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानून द्वारा नश्वर) | सदस्य |
| 3 | श्री आर.एन. सिंह
अपर निदेशक,
बोधवार्ता एवं पत्रिका, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद
(प्रभुत्व शिक्षण, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश कानून द्वारा नश्वर) | सदस्य |
| 4 | डॉ. गिरिजा शंकर शुक्ला,
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 5 | डॉ. पी.जी. द्विवेदी,
परिचर निदेशक,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 6 | श्री सती प्रकाश सिंह,
शिवालय समिति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य/सचिव |

कार्यवाही की अनुसूचित कार्यवाही के अन्तर्गत कुलपति जी ने सदस्यों को उपरोक्त शिवालय समिति
 बैठक में निम्न सिन्दुओं पर विचार किया गया-

सिन्दु संख्या- 35.01

दिनांक 12-04-2017 को सम्पन्न शिवालय समिति की बैठक के कार्यवाही की प्रतिलिपि।

शिवालय समिति की पिछली बैठक की कार्यवाही विश्वविद्यालय के पास संख्या
 30393/शिवा/4746/2017 दिनांक 13-04-2017 द्वारा सभी सदस्यों को प्रेषित कर दी गयी है।
 किन्तु सदस्य द्वारा कोई दिश्यायी प्रतिक्रिया नहीं हुई है।

'शिवालय समिति के अन्तर्गत शिवालय समिति दिनांक 12-04-2017 के कार्यवाही की प्रतिलिपि की'

Finance Officer
 U.P. Balrishi Tandon Memorial University
 Allahabad.

विला समिति की पिछली बैठक दिनांक 12-04-2017 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होगा।

विला समिति की पिछली बैठक दिनांक 12-04-2017 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित अद्यतन विवरण है-

संख्या संख्या	पिछली बैठक की कार्यवाही	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही
34.01	पिछली विला समिति की बैठक के कार्यवाही की सुविधा	विला समिति ने अपनी पिछली बैठक की कार्यवाही की सुविधा की।	कोई कार्यवाही कार्यवाही नहीं है।
34.02	विला समिति की पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होगा	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही कार्यवाही नहीं है।
34.03	विला समिति उत्तर प्रदेश (2016) की प्रथम प्रतिवेदन 14-3 में की गयी कार्यवाही पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालय/अधिकाधिक विद्यालय सहायता के विभागों (ए.आई.सी.टी.ई. तथा आई.सी.टी.ई.आर. के वेतनभरने से सम्बन्धित पदों के कोडकरण एवं सहायता प्राप्त विद्यालय/अधिकाधिक विद्यालय सहायता के विभागों के विभागों के कार्यवाही के दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षण केन्द्र में प्रेषित की कार्यवाही से सम्बन्धित सहायता संख्या 68 / 2016 / वेतन-2-1443/14-04(16)/2 016 दिनांक 20-12-2016 को जारी कर लिये जाने से सम्बन्धित है।	विला समिति ने सहायता के अन्तर्गत कार्यवाही को जारी कर कर इसकी अनुसार कार्यवाही लिये जाने की सुविधा की।	समिति की कार्यवाही पर कार्यवाही की सुविधा के परमाणु सहायता प्राप्त विद्यालय के द्वारा है।

34.04	विश्वविद्यालय के संघीय इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु भूमि अर्पण करने से सम्बन्धित है।	समिति ने उत्तर प्रदेश अधिनियम एवं विधायक परिषद के पत्र दिनांक 10-03-2017 का संदर्भित किया एवं इससे अनुसूचित भूदान की आवश्यकता का भूमि की रजिस्ट्री करने जाने की संस्तुति की।	विश्व-संस्थान की संस्तुति एवं कार्यविधि के स्वीकृति के उपरान्त भूमि की रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। दिनांक 24-12-2017 को मानवीय की राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा भूमि दान के कारण संबंधित कार्यविधि का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है।
34.05	विश्वविद्यालय के संघीय परिवार (गंगा, यमुना एवं सरयू) के गाँव का भूदान करने से सम्बन्धित है।	प्रस्ताव सर्वसंगत है इसलिए समिति ने विश्वविद्यालय के सीनियर अधिकारी के गाँव का भूदान करने की संस्तुति की।	समिति की संस्तुति एवं कार्यविधि के अनुसूचित/संयुक्त गाँव का भूदान का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है।
34.06	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानवीय के अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण कराई जाने से सम्बन्धित है।	समिति ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानवीय के अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण कराई जाने की संस्तुति की।	समिति की संस्तुति एवं कार्यविधि के स्वीकृति के उपरान्त प्रशासनिक भवन के निर्माण का कार्य कार्यवाही संस्था की कार्यवाही एवं दिनांक-10 उत्तर प्रदेश जल निदेशक द्वारा भवन से कार्यवाही हो चुका है।
34.07	विश्वविद्यालय का संघीय एन सी ई आर गाँव का भूदान करने से सम्बन्धित है।	समिति ने उपरोक्त प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विश्वविद्यालय एक अतिरिक्त टाइटल एन सी ई आर गाँव का भूदान करने की संस्तुति की।	समिति की संस्तुति एवं कार्यविधि के अनुसूचित/संयुक्त गाँव का भूदान की जा चुकी है।

34.08	अवकाश कर्मी के अवकाश समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारी को विवेक जमाने वाले मानदेय को संशोधन हेतु शर्तित समिति की बैठक दिनांक 06-04-2017 की अनुमति पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने अवकाश कर्मी के अवकाश समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारी को विवेक जमाने वाले मानदेय की दर संशोधन हेतु शर्तित समिति की बैठक दिनांक 03-04-2017 की प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने की संसुति दी।	समिति की संसुति एवं कार्रवाई के अनुमोदनोपरांत संशोधित दर से मानदेय मुग्तान की जायीगी की जा रही है।
34.09	विश्वविद्यालय के 10 शैक्षिक केंद्रों पर एक-एक डाटा इन्ट्री ऑफिसर सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित है।	समिति ने विश्वविद्यालय के 10 शैक्षिक केंद्रों पर एक-एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की संसुति दी।	समिति की संसुति एवं कार्रवाई की संसुति प्राप्त हो चुकी है। अंतिम जायीगी की जा रही है।
34.10	इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्या जेम्ब/119/2017 दिनांक 11-04-2017 को प्रो एम पी दुबे, कुलपति, वल्लभ प्रवेश शर्मा, डायन मुला विश्वविद्यालय इलाहाबाद के अवकाश फंडन अंशदान 2 वें शर्तों अंशदान से सम्बन्धित है।	समिति ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्या जेम्ब/119/2017 दिनांक 11-04-2017 पर विचार किया। विचारोपरांत प्रो एम पी दुबे के अवकाश फंडन अंशदान एवं फेसवरी अंशदान के मुग्तान किये जाने की संसुति दी।	समिति की संसुति एवं कार्रवाई के अनुमोदनोपरांत इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बुगतान किया जा चुका है।

विन्दु संख्या- 35.03

विशेष वर्ष 2017-18 का पुनर्विहित बजट एवं 2018-19 के प्रस्तावित बजट (आय-व्यय) पर विचार।

विशेष वर्ष 2017-18 का पुनर्विहित बजट एवं वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित आय-व्यय (बजट) विवरण प्रस्तुत है।

‘कित्त समिति ने विशेष वर्ष 2017-18 का पुनर्विहित बजट एवं वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित आय-व्यय (बजट) का अवलोकन किया एवं क्या प्रस्तावित अनुमोदन किये जाने की संसुति दी।’

विन्दु संख्या- 35.04

विशेष वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के वार्षिक लेखा (विशेष सीट) अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विशेष वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 का वार्षिक एवं मुद्रांकन खाता, आय एवं व्यय खाता, तथा वेतन सीट समिति के साथ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

‘कित्त समिति ने विशेष वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 का वार्षिक एवं मुद्रांकन खाता, आय एवं व्यय खाता तथा वेतन सीट का अवलोकन किया एवं क्या प्रस्तावित अनुमोदन किये जाने की संसुति दी।’

विन्दु संख्या- 35.05

प्रदेश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों का पुनःकायद सचन के कार्रगों के मसलन विनया मलत की दरी में संशोधन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या -4/2017/506/सलत-2-2016-16(106)/2016 दिगीक 04 मई 2017 को अंगीकृत किये जाने पर विचार।

शासनयेश संख्या -4/2017/506/सलत-2-2016-16(106)/2016 दिगीक 04 मई 2017 द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा मुद्रांकन सचन के कार्रगों के मसलन विनया मलत की दरी का संशोधन जारी किया गया है। इन विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं पुनःकायद सचन के कार्रगों को संशोधित बर घे मसलन विनया मलत का मुद्रांकन किया जागा है। अतः समिति के साथ शासनादेश दिगीक 04-05-2017 अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

‘कित्त समिति ने शासनादेश संख्या -4/2017/506/सलत-2-2016-16(106)/2016 दिगीक 04 मई 2017 का अवलोकन किया एवं क्या प्रस्तावित अनुमोदन किये जाने की संसुति दी।’

Finance Officer
U.P. National Teachers' Union Ltd.
Allahabad. - 5 -

कार्यवाही विन्म संख्या 35.06

वेतन समिति (2006) के ग्यारहवें इतिवेदन के माध्यम से सहायता ग्रहण किये गए छात्रों/प्रतिष्ठित किये गए छात्रों के विद्यार्थी कर्मचारियों के इंटरमीडियट संवर्ग के सम्बन्ध में जी मदी संसुधियों पर परीक्षा कर बुकितपुस्त संसुधियों देने हेतु प्रमुख सचिव, प्राथमिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में क्विड समिति द्वारा की गयी संसुधियों पर लिखे गये निर्णयों के कार्याचरण के सम्बन्ध में जारी शासनार्देश संख्या 33/2015-वेतन-2-545/एच-84(एच) 2015 तैरिणी दिनीक 18-08-2015, तिरेंग सचिव चक्र शिक्षा द्वारा जारी शासनार्देश संख्या 05/संख्या-4-2017 दिनीक 29-08-2017 शासन की मंत्र संख्या 318/संख्या-4-2016 दिनीक 08 फरवरी 2018 के अनुसंधान कर दिखर।

शासनार्देश संख्या 05/संख्या-4-2017 दिनीक 29-08-2017 द्वारा वेतन समिति के ग्यारहवें इतिवेदन के माध्यम से सहायता ग्रहण किये गए छात्रों/प्रतिष्ठित किये गए छात्रों के विद्यार्थी कर्मचारियों के इंटरमीडियट संवर्ग के सम्बन्ध में जी मदी संसुधियों पर परीक्षा कर बुकितपुस्त संसुधियों देने हेतु प्रमुख सचिव प्राथमिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में क्विड समिति द्वारा की गयी संसुधियों पर लिखे गये निर्णय के अन्तर्गत मंत्र चक्र प्रवेश सार्वी दण्डन मुक्त विद्यालय, कल्याण इलाहाबाद के इंटरमीडियट संवर्ग का पुनर्गठन किया गया है उसका शासनार्देश को सुसंध किये जाने हेतु विद्यार्थीसंख्या के एक संख्या कोश/317/2017 दिनीक 02-09-2015-संख्या-शासन-4-अनुसंधान किया गया था। विद्यार्थी संख्या में वृद्धि-का मंत्र-संख्या 318/संख्या-4-2016 दिनीक 08 फरवरी 2018 द्वारा हुआ है इसमें जलेश्वर के हैं।

विद्यार्थी संख्या में क्विड वेतन अर्थात् अनुसंधान-2 के शासनार्देश संख्या-33/2015-वेतन-2-545/एच-84 (एच) 2015 तैरिणी दिनीक 18-08-2015 के अन्तर्गत (20) में पूर्ण विधि संघ है। प्रमुख शासनार्देश दिनीक 18-08-2015 की अन्तर्गत शासन के अनुसंधान इकाय में नियमनुसंधान कार्यवाही करने का मंत्र करे।

अन्य शासनार्देश दिनीक 18-08-2015 एवं शासनार्देश दिनीक 29-08-2017 समिति की अन्तर्गत अनुसंधानों प्रस्तुत है।

क्विड समिति के अन्तर्गत शासनार्देश को अन्वेषण कर इसकी अनुसंधान कार्यवाही किये जाने की संसुधियों की।

विन्म संख्या- 35.07

श्री. सुशील प्रकाश गुप्ता, पूर्व निदेशक, विद्यालय विद्यालयों के सम्बन्ध में भविष्य विधि के प्रस्ताव पर दिखर।

श्री. सुशील प्रकाश गुप्ता, पूर्व निदेशक, विद्यालय विद्यालयों, उत्तर प्रदेश सार्वी दण्डन मुक्त विद्यालय, इलाहाबाद दिनीक 08-08-2018 के संबन्धित हुए हैं। संसुधियों के अन्तर्गत

की मुद्रा के बहिष्कृत निधि में जमा भण्डारों के मुद्रास्तर की रकम किया है। स्वार्थिक निधि सेना समर्थित विभाग की अर्जित अर्थिक एन अर्थगत प्रमाण पर प्रकाश न होने के कारण मुद्रास्तर नहीं किया जा सका है। प्रमाण प्राप्त समिति की सलाह पूर्व में तथा गया था। इतिहास में प्रदर्शन के बारे में वहाँ के संवर्धित जन विभाग के साथ अगली कितनी समिति की बैठक में सब जानने की अनुमति की थी। अनुमति के अनुक्रम में प्रमाण पुन-प्रस्तुत है।

जी. एस.सी. मुद्रा का भरण उत्तर प्रदेश राजकीय टण्डन मुद्रा विश्वविद्यालय के विद्यालय (बी. एन.) विभाग में जहाँ वहाँ पर प्रकाश पर प्रकाश द्वारा निर्दिष्ट 31-05-2003 के पूर्ववर्तन में प्रारम्भ करण किया गया।

स्वार्थिक निधि सेना समर्थित उत्तर प्रदेश इन्फोर्मेशन द्वारा समर्थित जहाँ वहाँ 2006-07 में निम्न अर्जित अर्थगत प्रमाण नवी-

जी. सुधीर प्रकाश मुद्रा की सेवा मुद्रास्तर एवं अर्जितगत प्रमाणों के अर्थ ले संज्ञान में 2003 की कुलसम्मिष्ट उत्तर प्रदेश राजकीय टण्डन मुद्रा विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाश की 20/20/2003 दिनांक 12-05-2003 द्वारा की मुद्रा को मुद्रा विश्वविद्यालय के अर्थगत विभागाध्यक्ष (वि.ए.ए.) के प्रस्तावों पर के वर्तमान निष्पत्ति पर के साथ सरकार द्वारा सलाह-समय पर स्वीकृत महर्षि भाग अर्थिक निधि जानने का प्रस्ताव था। निष्पत्ति पर का एक साक्षात्कार तब था कि जी. सुधीर की कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व इन्फोर्मेशन विश्वविद्यालय में निष्पत्ति अर्थगत अर्थगत/अर्थगत/प्रमाण पर प्रकाश प्रकाश प्रस्तुत करण द्वारा। अर्जितगत प्रमाणों में संलग्न पर संलग्न-02 में संज्ञान में जहाँ कि जी. सुधीर द्वारा अपने निष्पत्ति संबंधी प्रकरण हेतु संपर्क प्राप्त प्रमाणों में तब प्रकाश किया। एक था किन्तु सन्तरीय न्यायालय द्वारा विधि पर जहाँ निर्दिष्ट 30-05-03 के अर्जित अर्थगत में सलाह गया कि जी. सुधीर के अर्थगत प्रमाणों द्वारा राजकीय टण्डन मुद्रा विश्वविद्यालय के अर्थगत विभाग द्वारा के पर कार्यभार ग्रहण करने के समय में इन्फोर्मेशन विश्वविद्यालय की कार्य अर्थगत निर्णय लेगी सन्तरीय उच्च न्यायालय के उच्च अर्थगत अर्थगत के अर्थगत कुलसम्मिष्ट (उच्च अर्थगत राजकीय टण्डन मुद्रा विश्वविद्यालय) द्वारा अर्थगत मुद्रा निधि (अर्थगत संपर्क प्रमाणों द्वारा प्रकाश प्रमाणों द्वारा अर्थगत से जी. सुधीर को अर्थगत पर ग्रहण करने हेतु विधिगत रूप से की गयी थी जिसके अर्थ में जी. सुधीर मुद्रा निधि के पर दिनांक 02-05-2003 द्वारा पर सलाह की गयी कि जी. सुधीर उच्च पर अर्थगत पर सलाह है, किन्तु उनके अर्थगत का मुद्रास्तर एक एक नहीं किया जा सकता जब तक इन्फोर्मेशन विश्वविद्यालय उनके विद्यालयों द्वारा मुद्रा न कर दे अर्थगत राजकीय टण्डन मुद्रा विश्वविद्यालय में उच्च पर पर कार्य करने की अर्थगत के निधि अर्थगत अर्थगत अर्थगत पर कर दे। सलाहों के अर्थ 11 पर सलाह कुलसम्मिष्ट मुद्रा विश्वविद्यालय के पर संलग्न-4/0/2003 दिनांक 07-05-2003 द्वारा जी. सुधीर को स्वीकृत किया गया था कि उच्च सन्तरीय उच्च न्यायालय के अर्थगत अर्थगत के अर्थ में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Placed Office
U.P. Palanchi Tendon oped L-Per-69
Achalabad.

विद्युत एवं अनुसंधान इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य प्रतिक्रिया तथा मासिकीय राजस्व व्ययसंग्रह के अंतिम विवरण को प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही प्रस्तुत किया गया कि जहाँ केन्द्रों के मासिकीय राजस्व व्ययसंग्रह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कार्य प्रतिक्रिया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही किया जायेगा। इससे पूर्व के मास 14 एवं 15 पर संलग्न एवं निवेदनक पत्राचार संस्थागत द्वारा प्रस्तुत अंतिम मुद्रागत प्रमाण-पत्र एवं धार्य इलाहाबाद प्रमाण-पत्र को तथा इसी के अन्तर्गत पर ही मुद्रा त तदनुसार भुगतान में लेने के संबंध में तथा पर संलग्न दिनांक 21-05-2017 से दिनांक 27-05-2017 की अवधि में निम्नलिखित विवरणानुसार रुपये 10,32,104/- का अतिरिक्त एवं अन्तर्गत मुद्रागत विवरण तथा 27, 28 कि. मासिकीय राजस्व व्ययसंग्रह की अतिरिक्तानुसार अन्तर्गत व्ययसंग्रह के अंतिम विवरण जहाँ का अन्तर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा विवरणानुसार की मुद्रा को कार्य प्रतिक्रिया करने एवं अन्तर्गत प्रमाण पत्र देने के बाद ही किया जाना चाहिये था। इस प्रकार मासिकीय राजस्व व्ययसंग्रह के अन्तर्गत अन्तर्गत एवं मुद्रा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत विद्युत संचाली अन्तर्गत का स्पष्ट प्रमाण पत्र दिया गया है।

अं. एवं वि. मुद्रा त अन्तर्गत पर दिनांक 17-05-2017, 14-05-2017 एवं 08-02-2018 द्वारा विवरण विधि में जमा अन्तर्गत के मुद्रागत की राशि किया है। दिनांक 21-05-2017 के अन्तर्गत के अन्तर्गत द्वारा जहाँ में रु० 25,66,257/- है। इसमें से रु० 10,32,104/- रोखाई रु० को अन्तर्गत रु० 15,32,104/- का भुगतान विवरण जहाँ को अन्तर्गत की जा सकती है।

अतः प्रस्तुत विवरणों के लक्ष्य सिद्धता प्रमाण है।

(विद्युत संचाली के अन्तर्गत प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय अन्तर्गत की अन्तर्गत मुद्रागत विवरण जहाँ को प्रस्तुत की।)

विद्युत संचाली - 2018

विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य की अवधि के अन्तर्गत विवरण

विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकार के निर्माण सम्बन्धी विवरण एवं अन्तर्गत विवरण निम्नलिखित हैं:-

- (1) विश्वविद्यालय के इलाहाबाद भवन की प्रथम तल का निर्माण - अन्तर्गत प्रथम तल भवन (सी.एच.डी.एच.) पुनित-22 से अन्तर्गत तल के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। कुल लागत रु० 225.00 लाख के अन्तर्गत रु० 200.00 का भुगतान किया जा चुका है।
- (2) विश्वविद्यालय के इलाहाबाद भवन की द्वितीय तल का निर्माण - अन्तर्गत प्रथम तल भवन (सी.एच.डी.एच.) पुनित-22 से द्वितीय तल के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। कुल लागत रु० 190.00 लाख के अन्तर्गत रु० 40.00 का भुगतान किया जा चुका है।
- (3) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अन्तर्गत इलाहाबाद का निर्माण - अन्तर्गत प्रथम तल भवन (सी.एच.डी.एच.) पुनित-22 से अन्तर्गत अन्तर्गत के निर्माण का कार्य अन्तर्गत की मुद्रा है तथा अन्तर्गत

Placed by
 (2.9.2018) Tashir Ahmad
 Ashraf
 -B-

अवशिष्ट राशि का स्थानित हो चुका है। कुल लागत रु० 22.42 लाख के समर्थ समपूर्व भुगतान किया जा चुका है।

(4) विश्वविद्यालय के जमुना परिसर स्थित टाइप-1 टाइप-8 आवास का निर्माण - उत्तर प्रदेश जल निगम (सी.एनडी.सी.एस.) युनिट-33 से सहायता आवास टाइप-1 टाइप-8 का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कुल लागत रु० 242.76 लाख के समर्थ रु० 309.36 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

(5) विश्वविद्यालय के जमुना परिसर स्थित टाइप-11 आवास का निर्माण - उत्तर प्रदेश जल निगम (सी.एनडी.सी.एस.) युनिट-33 से टाइप-11 आवास का निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। कुल लागत रु० 175.70 लाख के समर्थ रु० 67.50 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

(6) विश्वविद्यालय के सरकारी परिसर स्थित परीक्षा हॉल का निर्माण - उत्तर प्रदेश जल निगम (सी.एनडी.सी.एस.) युनिट-33 से सरकारी परिसर में स्थित मुताकालत के द्वितीय तल पर परीक्षा हॉल का निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। कुल लागत रु० 117.70 लाख के समर्थ रु० 29.25 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

(7) विश्वविद्यालय के सरकारी परिसर में अडिक्टोरियम हॉल बस्टीकरण हॉल का निर्माण - उत्तर प्रदेश जल निगम (सी.एनडी.सी.एस.) युनिट-33 से सरकारी परिसर में अडिक्टोरियम हॉल बस्टीकरण हॉल का निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। कुल लागत रु० 688.34 लाख के समर्थ रु० 247.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

(8) विश्वविद्यालय के सरकारी परिसर स्थित प्रशसन कक्ष का निर्माण - उत्तर प्रदेश जल निगम (सी.एनडी.सी.एस.) युनिट-33 से सरकारी परिसर स्थित प्रशसन कक्ष का निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। कुल लागत रु० 19.50 लाख के समर्थ रु० 8.25 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

(9) विश्वविद्यालय के जमुना परिसर के नलरूप एवं 200 किलोलीटर टर्बो का निर्माण - राष्ट्रीय अभियंत्रण विभाग प्रकल्प इलाहाबाद से जमुना परिसर में नलरूप एवं 200 किलोलीटर टर्बो का निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। कुल लागत रु० 50.00 लाख के समर्थ रु० 25.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

(10) विश्वविद्यालय के टैरिफ वीग्न लखनऊ का निर्माण - उत्तर प्रदेश जल निगम परिसर लखनऊ निर्माण टयर्ड-3 से टैरिफ वीग्न लखनऊ का निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। कुल लागत रु० 228.00 लाख के समर्थ रु० 69,50,750/- का भुगतान किया जा चुका है।

Finance Officer
U.P. Directorate of Public Works
Allahabad.

(11) विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच बरेली का निर्माण - छात्रों के बीच बरेली का निर्माण का कार्य किया जा रहा है। कुल लागत रु 339.25 लाख के आसपास रु 112.25 लाख का अनुमान किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के एक ही विभाग द्वारा के निर्माण कार्य की प्रगति की जांच की है।

दिनांक- 26/09

श्री निरंजन कुमार शुक्ल, निदेशक स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय, डॉ. सुभाष चिप्यो, प्रोफेसर राजनीति विभाग एवं डॉ. विवेक कुमार शुक्ल, उप-निदेशक/एनोसिएट प्रोफेसर, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र स्वास्थ्य पर विचार।

(क) विश्वविद्यालय के एक संख्या डी.पू./82/2017 दिनांक 19-04-2017 द्वारा डॉ. निरंजन शुक्ल की नियुक्ति निदेशक, स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय के एक पर वेतनमान 37400-67000 सेट के रु 10000/- में किया गया। जिसके अंत में डॉ. शुक्ल ने दिनांक 19-04-2017 को कार्यभार ग्रहण किया है। इन वेतनमान 37400-67000 सेट वेतन 10000 का अनुमान मूल वेतन रु 40890+10000 अनुमान किया जा रहा है डॉ. शुक्ल ने अपने पत्र दिनांक 02-09-2017 द्वारा अग्रिम वेतन प्रदान-पत्र के आधार पर रु 33200/- मूल वेतन संशोधित किया जाने हेतु निवेदन किया है।

(ख) विश्वविद्यालय के एक संख्या डी.पू./80/2017 दिनांक 19-04-2017 द्वारा डॉ. सुभाष चिप्यो की नियुक्ति प्रोफेसर, राजनीति विभाग के एक पर वेतनमान 37400-67000 सेट के रु 10000/- में किया गया। जिसके अंत में डॉ. चिप्यो ने दिनांक 19-04-2017 को कार्यभार ग्रहण किया है। इन वेतनमान 37400-67000 सेट वेतन 10000 का अनुमान मूल वेतन रु 40890+10000 अनुमान किया जा रहा है डॉ. चिप्यो ने अपने पत्र दिनांक 14-07-2017 द्वारा अग्रिम वेतन प्रदान-पत्र के आधार पर रु 54000/- मूल वेतन संशोधित किया जाने हेतु निवेदन किया है।

(ग) विश्वविद्यालय के एक संख्या डी.पू./81/2017 दिनांक 19-04-2017 द्वारा डॉ. विवेक शुक्ल की नियुक्ति उप-निदेशक/एनोसिएट प्रोफेसर, मानसिक स्वास्थ्य के एक पर वेतनमान 37400-67000 सेट के रु 10000/- में किया गया। जिसके अंत में डॉ. शुक्ल ने दिनांक 12-05-2017 को कार्यभार ग्रहण किया है। इन वेतनमान 37400-67000 सेट वेतन 10000 का अनुमान मूल वेतन रु 37400+10000 अनुमान किया जा रहा है डॉ. शुक्ल ने अपने पत्र दिनांक 05-07-2017 द्वारा अग्रिम वेतन प्रदान-पत्र के आधार पर रु 48440/- मूल वेतन संशोधित किया जाने हेतु निवेदन किया है।

Financial Officer
U.P. Palanchi Tandon upon Labh-10
Aishwarya, - 10 -

श्री अशोक शर्मा को भुगतानित धुन्क रु० ६५०००/- से अलग किया।

श्री राजेश प्रकाश कुमार शिरोधर सोहैद्री द्वारा एजुकेटिव, क्लर्क प्रोबल लक्ष्मण एवं अन्य का प्रचालन अन्तर्गत से सम्बन्धित होने के कारण परिषद की संवेदनशीलता एवं सदस्य को देखते हुए विश्वविद्यालय के अधिकांश श्री अशोक कुमार शिरोधर के अनुभव पर शिरोधर अधिकांश को अशोक शर्मा को देकर देना सम्भव नहीं था। इस संबंध में श्री अशोक शर्मा का देवता रु० ६५०००/- का भुगतान किया गया। जो प्रचालन समिति के लक्ष्य अन्तर्गत कार्य प्रस्तुत है।

श्री अशोक शर्मा को भुगतानित धुन्क रु० ६५०००/- से अलग किया।

(ए.पी. शिरोधर)
विश्व अधिकांश

Finance Officer
U.P. Sahakar Yashwantrao Chavan Ushwastha
Lucknow.



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

कैम्पस-एच, झरसीपुरम्, नोएडा रोड, फारुखाबाद
फारुखाबाद-२११०१३, उ०प्र०

विद्या अधिकाारी

☎ ५५३-२४००५२

पत्रांक: ओ० ए० / वित्त./१३१२ / २०१८

दिनांक ११-०८-२०१८

आवृत्तीय सूचीकरण

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की दिनांक ०८ जून, २०१८ को विद्या अधिकाारी की शरण ०८ की अग्रतःआवृत्तीय बैठक का कार्यपत्र आपके उपसंकेतार्थ सारण कर प्रेषित है।

भवदीय

(टी.पी. तिवारी)

संलग्नक: ज्ञापना

1. श्री. कामेश्वर नाथ सिंह
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
2. श्री. दिलीप झा
सदस्य निदेशक, उच्च शिक्षा निर्देशालय, इलाहाबाद
(लघिय, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नभिया)
3. श्री. राजेश्वर सिंह
सदस्य निदेशक,
कोषाचार एवं वित्त, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद
(बिमुख सचिव, विद्या विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नभिया)
4. श्री. विविजा शंकर शुक्ला
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
5. श्री. जी.के. शिवेरी,
परिष्ठा निदेशक,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

Plenace Officer

Dr. P. Rajarshi Tandon Open University
Allahabad


उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 दिनांक 08-08-2018 को सम्पन्न किये गये बैठक की कार्यवाही

बैठक का स्थान - विश्वविद्यालय मुख्य भवन शांतिपुर, फाजलपुर, इलाहाबाद
 बैठक का तिथि एवं समय - 08-08-2018, अपराह्न 03.00 बजे

बैठक में निम्नलिखित वादव्य उपस्थित थे:-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | डॉ. जयेश्वर राम सिंह
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | अध्यक्ष |
| 2 | जी. दिलीप कुमार,
अनुवा निदेशक, पाठ्य शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद
(सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित) | वाचक |
| 3 | श्री सचिदेन्द्र सिंह
अनुवा निदेशक,
कोषाचार एवं वित्त, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद
(प्रमुख सचिव, कला विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित) | सदस्य |
| 4 | डी. विविजा संकर मुल्ला,
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 5 | डी. जी.के. शिबेरी,
परिष्ठा निदेशक,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 6 | श्री अशोक प्रकाश विपरी,
वित्त अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य/सचिव |

कार्यवाही को अनुसार कार्यवाही के प्रारम्भ से कुलपति जी ने सदस्यों का सहमत किया तथा वादव्य
 बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया गया:-


 Officer
 U.P. Board of Technical Education
 Aligarh.

दिनांक संख्या- 98.05

कार्गो परिवह की बैठक दिनांक 07-08-2018 को संकल्प संख्या 98.05 में लिये गये निर्णयानुसार इन्डोस क्रिस्टा सहज क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष (2018-19) के बजट में प्रावधान किये जाने पर विचार।

इन्डोस सहज को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की वित्त समिति ने अपनी बैठक दिनांक 18-08-2018 में एक इन्डोस गाड़ी क्रय किये जाने की सन्तुष्टि की। वित्त समिति की समझौते के अन्तर्गत कार्गो परिवह ने अपनी बैठक दिनांक 08-03-2018 को संकल्प संख्या 83.94 (क) में अनुदान निम्नलिखित निर्णय किया-

"कार्गोपरिवह ने वित्त समिति की अनुमति को विचारोपगतता का वादा स्वीकार किया। कार्गोपरिवह विश्वविद्यालय की क्रियाकलापों, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय का विस्तार के दृष्टिकोण स्वयं के संकलनों से 02 इन्डोस गाड़ी क्रय किये जाने हेतु स्वीकार किये जाने का निर्णय किया, जिसमें 01 इन्डोस सहज निम्नोक्त एम्बेस्टर कार LP70 AM4791 के रीफ्लेक्सेन्ट के रूप में तथा 01 इन्डोस गाड़ी नयी क्रय किये जाने की सन्तुष्टि की।"

कार्गोपरिवह की उक्त निर्णय के क्रम में एक इन्डोस गाड़ी निम्नोक्त एम्बेस्टर कार LP70 AM4791 के रीफ्लेक्सेन्ट के रूप में क्रय किया जा चुका है एवं वित्तीय इन्डोस क्रिस्टा नयी गाड़ी क्रय किये जाने हेतु कार्गोपरिवह की बैठक दिनांक 07-08-2018 को संकल्प संख्या 98.05 में लिये गये निर्णयानुसार इन्डोस क्रिस्टा सहज क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष (2018-19) के बजट में प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव समिति की सहाय विचारार्थ प्रस्तुत है।

वित्त समिति कार्गोपरिवह के निर्णय दिनांक 07-08-2018 को संकल्प संख्या 98.05 में अन्तर्गत पूर्व कार्गोपरिवह के निर्णयानुसार एक इन्डोस क्रिस्टा नयी गाड़ी क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में ₹ 2500000/- का प्रावधान किये जाने की सन्तुष्टि की।"

(डी.पी. विजय),
वित्त अधिकारी

Finance Officer
U.P. Education Tenders open 1-10-2017
Muzaffarnagar



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

सेक्टर-एफ, झांसीपुरम्, गौहरी रोड, काशी-221002
इलाहाबाद-221002, उ.प्र.

नैसर्गिक

☎ 0512-2338882

पत्रांक: श्री १० / विल / 3569 / 2018

दिनांक: 28-11-2018

अध्यक्षीय महोदय,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की विधि 28 अक्टूबर, 2018 को विल समिति की सम्मति 37 वी बैठक का कार्यपत्र आपके अध्यक्षता में सामग्री यहाँ भेजा है।

संलग्नक: प्रस्ताव

1. श्री. रामेश्वर नाथ सिंह
सुपरी,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
2. श्री. आर.एन. सिंह
अवर निदेशक,
कोषागार एवं वेतन, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद
(मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित)
3. श्री. कुंज बिहारी सिंह
IAS (सेवानिवृत्त मन्त्रसचिव)
4. श्री. ए.के. गुप्ता,
सुपरविजिट,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
5. श्री. पी.के. द्विवेदी,
परिष्कार निदेशक,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

भारतीय

(ए.के. गुप्ता)

५.१०

Finance Officer

U.P. Rajarshi Tandon open Univer
Alahabad,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 दिनांक 29-10-2018 को सम्पन्न विद्या समिति की बैठक की कार्यवृत्त

बैठक का स्थान - विश्वविद्यालय मुख्य भवन सभितुरण, फारमल, इलाहाबाद
 बैठक का दिनांक एवं समय - 29-10-2018, दोपहर 03.00 बजे

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे-

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | डॉ. कामेश्वर नाथ सिंह
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | अध्यक्ष |
| 2. | श्री अरुण सिंह
अवर निदेशक,
कोषागार एवं वेतन, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद
(मुख्य अधिकारी, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तैयार) | सदस्य |
| 3. | श्री कृष्ण किरण सिंह,
IAS (विद्यार्थि कल्याण विभाग) | सदस्य |
| 4. | डॉ. ए.बी. गुप्त,
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 5. | डॉ. जी.के. द्विवेदी,
परिष्कार निदेशक,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 6. | श्री अशोक कुमार सिंह,
वित्त अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य / सचिव |

कार्यवृत्ति की अनुसूची कार्यवृत्ति के प्रारम्भ में कुलपति जी ने सदस्यों का स्वागत किया तथापि
 बैठक में निम्न विन्दुओं पर विचार किया गया-

विन्दु संख्या- 37.01

दिनांक 23-02-2018 को सम्पन्न विद्या समिति की बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि।

विद्या समिति की पिछली बैठक दिनांक 23-02-2018 को सम्पन्न विश्वविद्यालय के परिसर
 ओपन/विल/5004/2018 दिनांक 09-03-2018 द्वारा सभी सदस्यों को प्रेषित कर दी गयी है।
 किसी कारण द्वारा कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

"विद्या समिति ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 23-02-2018 को कार्यवृत्त की पुष्टि की।"

Finance Officer
 U.P. Rajarshi Tandon open U-4
 Alakabad.

हिन्दू संस्था- 37.02

विला समिति की विधवा वेटक दिनांक 23-02-2018 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही में अप्रगत होना।

विला समिति की विधवा वेटक दिनांक 23-02-2018 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही में सम्बन्धित आठवा निम्नलिखित है-

क्र.सं/संख्या	विधवा वेटक की कार्यवाही	विधवा वेटक में लिये गये निर्णय	विधवा वेटक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही
35.01	विधवा विला समिति की वेटक के कार्यवाही की पुष्टि।	विला समिति ने अपनी विधवा वेटक के कार्यवाही की पुष्टि की।	बड़े कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
35.02	विला समिति की विधवा वेटक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही में अप्रगत होना	अप्रगत होने से सम्बन्धित है।	बड़े कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
35.03	विलीन वर्ष 2017-18 का सुनरी/बिल बलट एवं 2018-19 की प्रस्तावित आग-अवका (बजट) पर विधान में सम्बन्धित है।	समिति द्वारा अध्यापित संसुत किया गया।	कार्यवाही द्वारा अनुसूचित प्रथा की सुख है।
35.04	विलीन वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 का वार्षिक लेखा (बिलेन्स शीट) के अनुसूचन में सम्बन्धित है।	'विला समिति ने विलीन वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 का प्रथम एवं मूल्य खाता, आम एवं आम खाता, लब्ध बिलेन्स शीट वर आलोचन किया एवं क्या प्रस्तावित अनुसूचन किये जाने की संसुति की।'	कार्यवाही द्वारा अनुसूचित प्रथा की सुख है।
35.05	अपना के विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा पुरुषोत्तम स्वर्ण के कर्मियों के मजान किराया भत्ता की वसे के संशोधन में सम्बन्ध में जारी	विला समिति ने सम्बन्धित सम्बन्धित की अपेक्षा कर इसके अनुसार कार्यवाही किये जाने की संसुति की।	कार्यवाही के अनुसूचन/सम्बन्धित सम्बन्धित की जारी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

	<p>सातनादेश संख्या -4/2017/596/सातना-2-2018 -16(100)/2016 दिनांक 04 मई 2017 को अंगीकृत किने जाने पर विचार से सम्बन्धित है।</p>		
35.06	<p>बैतन समिति (2006) के प्वावर प्रतिवेदन के अन्तर्गत से सहायता प्राप्त विधान सभाओं/प्रतिष्ठित विधान सभाओं के विश्वस्तान कर्मचारियों के ई(सी/सी) सार्व के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर पंजीयन कर सुविधापूर्वक संस्तुति देने हेतु प्रमुख सचिव, प्रतिष्ठित शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जती सातनादेश संख्या 33/2016-कैअर-2-545/पत- 64(एन) 2006 दिनांक 18-06-2016, विशेष सचिव उच्च शिक्षा द्वारा जारी सातनादेश संख्या 03/सातना-4-2017 दिनांक 29-08-2017 सातना के मंत्र संख्या 318/सातना-4-2018 दिनांक 08 फरवरी 2018 को अनुबंधन पर विचार से सम्बन्धित है।</p>	<p>विगत समिति ने उपरोक्त सातनादेश को अंगीकार कर इसके अनुसार कार्यवाही किने जाने की संस्तुति की।</p>	<p>कार्यवाही के अनुबंधन के उपरान्त उच्च प्रकरण पर कार्यवाही की जा चुकी है।</p>
35.07	<p>जी. सुशील अन्तर्गत बुना, पूर्व निदेशक, विश्वस्तान प्रशासक के सामान्य भविष्य निधि के भुगतान पर विचार से सम्बन्धित है।</p>	<p>विगत समिति ने उपरोक्त प्रकरण पर विश्वस्तान प्रशासक के अनुसार भुगतान किने जाने की संस्तुति की।</p>	<p>कार्यवाही के अनुबंधन के उपरान्त भुगतान किना जा चुका है।</p>
35.18	<p>विश्वस्तान में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति को अवगत होने से सम्बन्धित है।</p>	<p>विगत समिति ने विश्वस्तान में चल रहे विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों की प्रगति से अवगत हुई।</p>	<p>कार्यवाही अद्यतन नहीं है।</p>

Floored Office
 U.P. Baitashi Tandon Office Lucknow
 Allahabad.

26.09	<p>डॉ. विरिंदा राजन कुलर, निर्देशक स्वच्छता शिक्षण निदेशालय, डॉ. सुब्रह्मण्यम विद्यार्थी, प्रोफेसर राजकीय विद्यालय एवं डॉ. विनोद कुमार गुप्ता, उप-निदेशक/एसीआईएल प्रोफेसर भगवति विद्याशाला के केंद्रन स्थापना पर विचार से सम्बंधित है।</p>	<p>शिक्षण समिति ने उक्त प्रस्ताव पर विनियमित की अनुमति दी। (1) उक्त विद्यु पर विचार निर्देशक के द्वारा डॉ. विरिंदा राजन कुलर, निर्देशक, स्वच्छता शिक्षण निदेशालय का भी प्रस्ताव सम्बन्धित था उक्त उक्त के द्वारा उक्त से सादर उक्त तथा। (2) समिति द्वारा विचार विमर्श की उपरान्त अनुमति दिया गया कि सामान्यतः संख्या 3741/पन्थ (15-41(5))/20 निर्देशक 20-06-1969 के विद्यु संख्या 8 एवं 7 के उक्त में प्रस्ताव प्रस्ताव को सम्बन्धित कर दिया उक्त प्रस्ताव की सहायता प्रस्ताव ही उक्त प्रस्ताव ही कार्यवाही की जाय।</p>	<p>कार्यवाही के अनुमति के उपरान्त प्रस्ताव प्रस्ताव को सम्बन्धित किया जा चुका है।</p>
26.10	<p>विश्वविद्यालय के प्रशासनिक परिवार शिक्षण वीणा कला एवं विद्यालय संस्था के सर्वेक्षण में कठिन बने परिवार-विद्यालय से अलग होने से सम्बंधित है।</p>	<p>शिक्षण समिति अलग हुई।</p>	<p>कार्यवाही उपरान्त नहीं है।</p>
26.11	<p>शिक्षणविद्यालय के अतिरिक्त भवन में स्थापित वीणा संस्था में उपरान्त उक्त से अलग होने से सम्बंधित है।</p>	<p>शिक्षण समिति अलग हुई।</p>	<p>कार्यवाही उपरान्त नहीं है।</p>

35.12	वर्षिक अधिवेशन की अवकाश छुट्टी को पुनर्वासित करने के सम्बन्धित है।	विल सभिति अवगत हुई।	कोई कार्यवाही उपेक्षित नहीं है।
-------	--	---------------------	---------------------------------

विन्दु संख्या- 37.03

दिनांक 08-08-2018 को सम्पन्न विल सभिति की आषाढशुद्धीक बैठक से कार्यवाही की प्रतिक्रिया।
विल सभिति की पिछली बैठक दिनांक 08-08-2018 की कार्यवाही विनियमित रूप से पूरा संख्या अधिसू/विल/1282/2018 दिनांक 19-08-2018 द्वारा सभी सदस्यों को प्रेषित कर दी गयी है।
किसी सदस्य द्वारा कोई टिप्पणी प्रेषित नहीं हुई है।

"विल सभिति में अपनी पिछली बैठक दिनांक 08-08-2018 में कार्यवाही की प्रतिक्रिया।"

विन्दु संख्या- 37.04

विल सभिति की पिछली बैठक दिनांक 08-08-2018 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।

विल सभिति की पिछली बैठक दिनांक 08-08-2018 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित आठवा निम्नलिखित है-

संख्या	पिछली बैठक की कार्यवाही	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही
36.01	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 07-08-2018 में संख्या संख्या 06.05 में लिये गये निर्णयानुसार इन्फो डिस्टा चयन रूप किये जाने हेतु विलीय वर्ष (2018-19) के बजट में प्राविधान किये जाने पर विचार।	विल सभिति कार्यपरिषद् को जिनका दिनांक 07-08-2018 के संख्या संख्या 06.05 से अवगत हुई कार्यपरिषद् को निर्णयानुसार एक इन्फो डिस्टा नहीं गयी अन्य किये जाने हेतु विलीय वर्ष 2018-19 के बजट में ₹ 2500000/- का प्राविधान किये जाने की संशुद्धि की।	कार्यवाही की जा चुकी है। कोई कार्यवाही उपेक्षित नहीं है।

Block Officer

U.P. Sahasrabudhi Temple open U.P. Sahasrabudhi

विन्तु संख्या 37.08

गौ केंद्रीय केन्द्र आपदेन द्वारा विश्वविद्यालयों से शिक्षार्थी तथा समकक्ष शक्तों के सम्बन्ध में की गयी संशुद्धियों के अनुसार केन्द्र पुनर्गठन योजना को प्रदेश के विश्वविद्यालयों से शिक्षक तथा समकक्ष शक्तों के सम्बन्ध में लागू किये जाने विषयक शासनपत्र संख्या-1124/सकल-4-2018-368(विश्वविद्यालय/2018) दिनांक-13 सितम्बर 2018 को अंगीकार किये जाने पर विद्यत।

गौ केंद्रीय केन्द्र आपदेन द्वारा विश्वविद्यालयों से शिक्षार्थी तथा समकक्ष शक्तों के सम्बन्ध में की गयी संशुद्धियों के अनुसार केन्द्र पुनर्गठन योजना को प्रदेश के विश्वविद्यालयों से शिक्षक तथा समकक्ष शक्तों के सम्बन्ध में लागू किये जाने विषयक शासनपत्र संख्या-1124/सकल-4-2018-368(विश्वविद्यालय/2018) दिनांक-13 सितम्बर 2018 शासन द्वारा जारी किया गया है। उक्त शासनपत्र को इस विश्वविद्यालय के शिक्षार्थी तथा समकक्ष शक्तों के सम्बन्ध में अंगीकार किये जाने सम्बन्धित प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

"समिति ने उपरोक्त शासनपत्र को अस्तित्व में रखने का फैसला करके इसे अंगीकार किये जाने की संशुद्धि की।"

विन्तु संख्या 37.08

विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केंद्र स्थापना हेतु गठित स्वीडिंग समिति की बैठक दिनांक 12-10-2018 के अनुसंधान पर विद्यत।

विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केंद्र स्थापना हेतु गठित स्वीडिंग समिति की संशुद्धि विनियमित है-

1. गौ अध्ययन केंद्र स्थापना हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर अवेदन शुल्क रु 3000/- से बढ़ाकर रु 5000/- करने एवं केंद्र स्थापना के उपरान्त जमायता राशि रु 20,000/- से बढ़ाकर रु 25,000/- किया जाना पवित होगा।
2. पूर्व में संप्रतिष्ठ अध्ययन केंद्रों द्वारा गठित अतिरिक्त सर्वकर्म हेतु आवेदन शुल्क रु 1000/- से बढ़ाकर रु 3000/- किया जाय।

उपरोक्त बंदों को लागू किये जाने से सम्बन्धित प्रश्न समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

"समिति ने उपरोक्त शुल्क लागू किये जाने की संशुद्धि की।"


Head of Office
U.P. Balzahi Tendron open Lib-47
Aizhabad.

2

कार्यवाही विन्दि संख्या 37.07

कार्यवाही की बैठक दिनांक 14-07-2018 में वरीष्ठ कार्य से सम्बन्धित विभिन्न खर्चों के शुल्क निर्धारण से अवगत होगा।

कार्यवाही की बैठक दिनांक 14-07-2018 में निम्नलिखित दरों को अनुमोदित किया गया। वरीष्ठ विभाग द्वारा प्रत्येक एवं अखतलिखत की द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु क्रमशः ₹0 500 एवं ₹0 300 का शुल्क अनुमोदित किया गया।

1. सत्र 2018 के पूर्व से चूटे हुए प्रथम-वत्र के अंत को अंतपर से अंकित करवाने वाले प्रकरण हेतु प्रतिवाक्यक शुल्क ₹0 200/- का अनुमोदन किया गया।
2. विश्वविद्यालय मुख्य परिसर एवं क्षेत्रीय कैंटीन पर उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में सम्मिलित द्वितीय एवं तृतीय सेमी कर्मचारियों के लिए ₹0 2/- प्रति कपी मूल्यम ₹0 2,000/- एवं अधिकतम ₹0 5,000/- पारिभाषिक का अनुमोदन किया गया।
3. उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य करने हेतु नोटबल प्रभाती का मानदेय निम्नलिखित अनुमोदित किया गया।

वरीष्ठी संख्या	मानदेय
25,000 तक	₹0 5,000/-
25,001 से 50,000 तक	₹0 10,000/-
50,000 से ऊपर	₹0 15,000/-

वरी नोटबल प्रभाती द्वारा सहायक नोटबल प्रभाती नियुक्त किया जाय है तो मानदेय का विलय 60% एवं 40% को अनुकूल में किया जाय।

समीक्षित कार्यवाही के उपरोक्त विषय से अवगत हुई।

विन्दि संख्या 37.08

विश्वविद्यालय में संघालित योग कार्यक्रमों के संचालन हेतु मानदेय की दरों का निर्धारण।

विश्वविद्यालय के आर्यव्य विश्वविद्यालय के योग विषय की अद्यतन संघों की बैठक दिनांक 24-10-2018 को सम्मन हुई। उक्त बैठक के कार्यवाही की विन्दि संख्या 4 में निम्नलिखित अनुवरा की गयी है

योग कार्यक्रमों के संचालन हेतु आन्तरिक वरीष्ठक को ₹0 2000 मानदेय एवं केंद्र सचयक को कार्यवाही की विभिन्न व्ययवर्गों हेतु ₹0 2000 प्रति योग

Finance Officer
U.P. Balaschi Tendoo Office
Allahabad

एक बैग में निम्नलिखित की संख्या 200 से अधिक न हों। एक बार ही देय होगा।
वाहतूत प्रविष्टि को स्थानीय वाहतूत माल एवम् मन्वरेय को सम्मिलित करने हुए रु०
1000 प्रति दिन के दर से देया जायक पश्चित होगा।


"समिति ने परामर्श दर को स्वीकार किये जाने की संतुष्टि की।"


वित्तियत विन्धु संख्या 37.08

वित्तियतपालन में स्वधिये अडिमेने मिलुवत लेव में रिक्स्टिंग हेतु सक्ता को मानधेय दिने जाने पर विचार।

वित्तियतपालन में स्वधिये मिलुवत लेव का संवयलन प्रारम्भ हो गया है। उक्त लेव में लेखत देने वाले विधय विसेयत रु० 1000/- प्रति लेखत दिने जाने का प्रस्ताव समिति के सम्म विधयत प्रस्तुत है।

"समिति ने विचारपालन रु० 1000/- प्रति लेखत दिने जाने की संतुष्टि की।"


[ए.के. सिंह]
वित्तियत अधिकारी


Finance Officer
U. N. Tandon opia University
Allahabad,



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

सेक्टर-एच, इलाहाबाद, गौहरी रोड, परसमऊ
उत्तरप्रदेश-221013, उ०प्र०

पिता जयशंकर

☎ ०५३२-२४४४०४२

पत्रांक: ओ० कृ / सिल / 4231 / 2019

दिनांक: ०५-०३-२०१९

आदरणीय सरोवर,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को गिरा समिति की सम्पन्न 38 वीं बैठक का कार्यदल आपको अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय
(ए.न. सिंह)

संसन्धक: संलग्न

1. डॉ. कामेश्वर गज सिंह,
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
2. श्री अरुण सिंह
अवर निदेशक,
बोधगार एवं पेशान, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद
(प्रमुख अधिव, विल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित)
3. श्री वृज विहार सिंह,
IAS (सेवानिवृत्त मन्त्रालय)
4. डॉ. ए.जे. गुप्त,
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
5. डॉ. जी.के. द्विवेदी,
परीक्षा नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

o/c

Finance Officer
U.P. Palitani Tandon opus U.P. U
Allahabad,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 26-12-2018 को सम्पन्न वित्त समिति की 28 वीं बैठक की कार्यकुल

बैठक का स्थान - विश्वविद्यालय मुख्य मकान सान्निपुर, फाकाबाद, इलाहाबाद
बैठक का दिनांक एवं समय - 26-12-2018, दोपहर 03.00 बजे

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे-

1	डॉ. कामेश्वर नाथ सिंह कुलपति, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2	श्री अर.एम. सिंह अपर निदेशक, अविभाजित एंड रिटन, इलाहाबाद मन्सल इलाहाबाद (प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित)	सदस्य
3	श्री कृष्ण किशोर सिंह, IAS (सेवानिवृत्त सम्बलपुर)	सदस्य
4	डॉ. ए.के. गुप्ता, कुलसचिव, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5	डॉ. जी.के. द्विवेदी, वरिष्ठा निदेशक, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6	श्री अजय कुमार सिंह, वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य/सचिव

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही के प्रारम्भ में कुलपति जी ने सदस्यों का स्वागत किया तथा प्रथम बैठक में निम्न विन्दुओं पर विचार किया गया-

विन्दु संख्या 38.01

दिनांक 26-10-2018 को सम्पन्न वित्त समिति की बैठक की कार्यकुल की पुष्टि।

वित्त समिति की पिछली बैठक दिनांक 26-10-2018 की कार्यकुल विश्वविद्यालय के पत्र संख्या जेडएच/वित्त/2069/2018 दिनांक 28-11-2018 द्वारा सभी सदस्यों को प्रेषित कर दी गयी है। वित्त समिति द्वारा कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

"वित्त समिति में अपनी पिछली बैठक दिनांक 26-10-2018 के कार्यकुल की पुष्टि की।"

Finance Officer
U.P. Sahasri Tandon Memorial
Allahabad.

दिनांक संख्या 3802

जिला समिति की पिछली बैठक दिनांक 29-10-2018 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।

जिला समिति की पिछली बैठक दिनांक 29-10-2018 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित अवगत निम्नवत है:-

संख्या संख्या	पिछली बैठक की कार्यवाही	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही
37.01	पिछली जिला समिति की बैठक के कार्यवाही की पुष्टि।	जिला समिति ने अपनी पिछली बैठक के कार्यवाही की पुष्टि की।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
37.02	जिला समिति की पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
37.03	7 ^{वें} जेन्टील वेतन आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों तथा समकक्ष श्रेणियों के सम्बन्ध में की गयी संशुद्धियों के अनुसूचक वेतन-पुनर्विचार योजना के प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शिक्षक तथा समकक्ष श्रेणियों के सम्बन्ध में लागू किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 1124/सलाह-4-2018-368(वि/वि) (अ/2018) दिनांक- 13 सितम्बर 2018 को अंगीकार किये जाने से सम्बन्धित है।	जिला समिति ने उक्त शासनादेश को अंगीकार किये जाने की संशुद्धि की।	कार्यवाही के अनुसूचक के उपलब्ध कार्यवाही की जा चुकी है।
37.04	विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केंद्र स्थापना हेतु संशुद्धि समिति की बैठक दिनांक 12-10-2018 के अनुसूचक पर विचार से सम्बन्धित है।	जिला समिति ने परामर्शार्थक अनुसूचक किये जाने की संशुद्धि की।	कार्यवाही द्वारा अनुसूचक प्राप्त हो चुका है।

Principal Officer
U.P. Rajarshi Kendra opca
Allahabad

37.03	कार्यवरीशुद्ध की बैठक दिनांक 14-07-2018 में परीक्षा कर्तव्य से सम्बंधित विभिन्न प्रकार के शुल्क निर्धारण से अवगत होने से सम्बंधित है।	बिला सभिते, कार्यवरीशुद्ध के निर्णय से अवगत हुई।	कार्यवरीशुद्ध अर्थात् नयी है।
37.06	विश्वविद्यालय में संघर्षिता योग कार्यक्रमों के संचालन हेतु मानदेय की दरें का निर्धारण से सम्बंधित है।	बिला समिति में यथासमयवित्त अनुमोदन किये जाने की संस्तुति की।	कार्यवरीशुद्ध का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

विन्दु संख्या 38.08

विश्वविद्यालय में मानदेय पर कार्यरत विभिन्न श्रेणियाँ कर्मियों के मानदेय निर्धारण हेतु गणित सभिते की अनुमोदन पर विचार।

विश्वविद्यालय में कार्यरत विभिन्न प्रकार के श्रेणियाँ कर्मियों के वेतन निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय के मुख्य सचिव/1582/2018 दिनांक 22-11-2018 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति ने दिनांक 30-11-2018 को बैठक कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त समिति का प्रतिवेदन बिला समिति की सभिते विचरणा प्रस्तुत है।

प्रकरण पर सभिते में विचार किया गया। वेतनमान में लगभग 1.5% की वृद्धि हुई भी इसी को ध्यान रखते हुए निम्नलिखित दर के मानदेय पर कार्यरत विभिन्न श्रेणियाँ कर्मियों का मानदेय सुपातर किये जाने की संस्तुति की -

क्रम संख्या	विवरण	संस्तुत दर/वर्ष
1	प्रबन्ध/पठनसहाय (सैक्यूलर)	30000/-
2	सहायकी अधिकारी	20100/-
3	पठनसहाय (निर सैक्यूलर)	18500/-
4	तृतीय श्रेणी कार्यरत	17000/-
5	द्वितीय श्रेणी कार्यरत	11500/-
6	सहाय (सैक्यूलर) अतिरिक्त	2000/-

उपरोक्त दर नयी श्रेणियाँ से लागू की जाय।

Finance Officer
 U. P. S. Vaidya Tandon U.P. University
 Aligarh.

27

विश्वविद्यालय के पशुधन परिसर में निर्मित आवासीय के आवांटेन के दृष्टिकोण बनाने के आवांटेन हेतु पात्रता एवं भूमिका किराया अदि के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसा पर विचार।

विश्वविद्यालय के पशुधन परिसर में निर्मित आवासीय के आवांटेन के दृष्टिकोण बनाने की भूमिका किराया, मरग के पथ-रखाव शुल्क, आवांटेन हेतु पात्रता अदि के निर्धारण तथा विश्व-निर्देश तैयार किये जाने हेतु पत्र संख्या जो/30/1070/2018 दिनांक 19-11-2018 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने दिनांक 19-12-2018 को बैठक कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त समिति की अनुशंसा विल सभिति के समक्ष विद्यमान प्रस्तुत है।

समिति ने प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निम्नलिखित अनुशंसा की :-

(A)

1. विश्वविद्यालय के समस्त नियमित एवं सविदा शिक्षक एवं कर्मी किराये पर भवन आवांटेन किये जाने हेतु अर्ह होगे।
2. टाइप-1 का आवांटेन प्रथम कंपनी तथा टाइप-2 का आवांटेन तृतीय कंपनी अर्भियों को तथा टाइप-3 का शिक्षक संवर्ग को किया जाय।
3. नियमित शिक्षकों/कर्मीको को आवांटेन किये जाने के परमात ही शेष भवनों के आवांटेन हेतु सविदा शिक्षकों/कर्मीको के शर्त पर विचार किया जाय।
4. आवांटेन में अनिच्छता का प्रदान रखा जाय अर्थात रहने नियुक्त शिक्षकों/कर्मीको को रहने तथा बाद में नियुक्त शिक्षकों/कर्मीको को बाद में निर्धारित तिथि तक वाप आयेवन के अवसर पर आवांटेन किया जाय।
5. प्रत्येक आवांटेनी से इस बात की लिखित सत्याप्ती ले ली जाय कि भवन के मूल चार्ज से वे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे और न ही किसी अन्य को भवन Sublet करेंगे।
6. विद्युत उपकरणों के सम्प्रेत भूमिका शुल्क, किराये के साथ लिया जाय।
7. जल-कन व सीवर कर के सम्बन्ध में शासनपेश के अनुसार कार्यवाही की जाय एवं मरग निगम से सत्यापित करा लिया जाय।
8. आन्तरिक टूट-पूट, विद्युत एवं फ्लम्बरिंग से सम्बन्धित मरगोपेस की किम्पैरारी आवांटेनी की होगी।
9. टाइप-1 आवांटेन रिक्त रहने की वरत में तृतीय कंपनी कर्मी को भी आवांटेन किया जा सकता है।

Finance Officer
U. P. State Tender open University
Lucknow

2

(8) कैंटीन सेट (प्रतिमास)

I. ऐसे कैंटीन/कर्मचारियों के लिए जिन्हें HRA मिलता है:

1. आवसी कैंटीन/कर्मचारियों को HRA का मुआवजा नहीं किया जाएगा।
2. इससे अधिकतम मधुली कैंटीन सेट निम्नानुसार रहा जाय।

टैप-1	टैप-2	टैप-3
₹ 200/-	₹ 400/-	₹ 600/-

II. ऐसे कैंटीन/कर्मचारियों के लिए जिन्हें HRA नहीं मिलता है उनमें प्रतिमास निम्नानुसार सिटीयि किया जाय:

टैप-1	टैप-2	टैप-3
₹ 2000/-	₹ 3000/-	₹ 5000/-

विशु संख्या 39.05

इलाहाबाद राज्य न्यायालय एवं जिला न्यायालयों के अधिकारियों का शुल्क पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में श्रित समिति की अनुशंसा पर विचार।

इलाहाबाद राज्य न्यायालय एवं जिला न्यायालयों के अधिकारियों का शुल्क पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश संख्या अ.पु./1567/2018 दिनांक 17-11-2018 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति ने दिनांक 11-12-2018 को बैठक कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त समिति की अनुशंसा श्रित समिति के सम्बन्धित पत्र संख्या 39.05 है।

समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें दर्ज कीं संलग्न कीं-

इलाहाबाद राज्य न्यायालय के अधिकारियों को दिए जाने वाले परिशुल्क की संलग्निका-

1.	उक्त मुआवजा श्रित शब्द पर दाखिल हुए इकाईयों पर पर निर्धारित हो जाता है ता अधोलिखित मुआवजा होय-		
		पूर्व में निर्धारित दर (₹)	सिटीयि समिति द्वारा निर्धारित दर (₹)
	(i) कार्यालय खीरा	-	3500/-
	(ii) 15 प्रतिशत लिफ्टिंग व्यय	-	525/-
2.	श्रित शब्द पर दाखिल होने वाले मुआवजा निर्धारित होने पर अधोलिखित मुआवजा होय-		
	(i) कार्यालय खीरा		3500/-
	(ii) 15 प्रतिशत लिफ्टिंग व्यय		525/-
	(iii) निवासभवन व्यय (कार्यालय के लिए)	900/-	1000/-
	नोट- कार्य प्रारंभ की तैयारी दिनांक 08 मार्च 2018 द्वारा ₹ 5000/- श्रित शब्द एवं 15 प्रतिशत व्यय ₹ 750/- श्रित शब्द निर्धारित किया गया था।		
3.	न्यायालय के आदेश की प्रकृति श्रित शब्द पर आवेश की श्रित और अन्य सिफारिशें पर	50+100=240	500/-
4.	अतिरिक्त कटौत करने पर श्रित शब्द पर	1000	2000/-
5.	सिटीयि दर श्रित शब्द (सिटीयि रूप से प्राप्त करने पर)	940	1000/-

Signature
 U.P. Rajendra Tandon opia Law
 Allahabad.

उपरोक्त व्यवसाय के अधिकारियों को दिये जाने वाले वारंट्स की संशुद्धि—

क्रम क्र०	विवरण	पूर्व में निर्धारित दर (वर्ष 2008) (₹)	संशुद्धि के बाद संशुद्धि दर (₹)
A	Drafting of the plaint	550/-	1000/-
B	Drafting of the Written statement/supplementary affidavit/additional pleading	275/-	500/-
C	Fee for the date of the case	110/-	250/-
D	Fee for per effective hearing	165/-	250/-
E	Fee for final hearing of the case	550/-	800/-
F	Order copy	-	500/-
G	Expenditures whatsoever may be in additional (vakalatnama, affidavit, typing and photocopy etc.)	अव्यय	1000/-

विष्णु संख्या 38.08

हम विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को सार्वत्रिक वेतनमान की संशुद्धियों के अन्तर्गत पर वेतन एवं अन्य भत्तों का लाभ दिले जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 64/2018/1528/सतार-4-2018-21(4)/2018 दिनांक 06-12-2018 द्वारा स्वीकृत अनुदान से अग्रगत होते हुए उचित कार्यवाही किये जाने पर विचार।

शासनादेश संख्या 64/2018/1528/ सतार-4-2018-21(4)/2018 दिनांक 06-12-2018 द्वारा हम विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को सार्वत्रिक वेतनमान की संशुद्धियों के अन्तर्गत पर वेतन एवं अन्य भत्तों का लाभ दिले जाने हेतु ₹ 250 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है। यह भी उल्लेख करना है कि यह अक्टूबर 2018 से यह के शिक्षकों एवं श्रद्धालुओं को वेतनमान से अग्रगणित करियरों को सार्वत्रिक वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है। दिनांक 01-01-2018 से 30-09-2018 तक एरियर का भुगतान किया जाना है। प्रकल्प समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

"समिति ने शासनादेश दिनांक 06-12-2018 का अवलोकन किया एवं सुशुद्धिपूर्ण वेतनमान से अग्रगणित करियरों को सार्वत्रिक वेतनमान से अनुसार दिनांक 01-01-2018 से 30-09-2018 तक एरियर भुगतान किये जाने की संशुद्धि की।"


 Finance Officer
 U.P. Balaram Tandon open Univ. of
 Allahabad.



अतिरिक्त निम्न संख्या-01

विश्वविद्यालय के निदेशकों, पुस्तकालयप्रमुख एवं कक्षा प्रदायीयों का स्थायी अधिन रू० 6000/- एवं 3000 से बढ़ाकर रू० 10000/- किये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय के निदेशकों, पुस्तकालयप्रमुख एवं कक्षा प्रदायीयों पर स्थायी अधिन रू० 6000/- एवं 3000 से बढ़ाकर रू० 10000/- किये जाने पर प्रारम्भ समिति के समस्त विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति ने निम्नलिखित स्थायी अधिन टिपें ज्ञान की तालुकी की-

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1 | विश्वविद्यालय के निदेशक एवं पुस्तकालयप्रमुख | - रू० 6000/- |
| 2 | कक्षा प्रदायी | - रू० 3000/- |

(ए.के. सिंह),
रिज. अधिकारी

Finance Officer
U.P. Sahasri Teachers' Union U-10-2018
10/10/18



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

सेक्टर-एफ, शांतीपुरम्, नोहरी रोड, फर्रुखाबाद

प्रमाणपत्र-२११०१३, ३०६०

☎ ०५६१-२४४०६०१

पत्रांक. ओ० यू० / विला/४६६ / २०१९

दिनांक: ०३-०६-२०१९

आदरणीय महोदय,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रमाणपत्र की दिनांक २६ मार्च, २०१९ को विला सभित की रूपमा ३९ वीं बैठक का कार्यपत्र आपसे अवगतार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

भद्रदीप
(ए.के. त्रिपाठी)

22
3/5/19

1. श्री. कलेश्वर नाथ सिंह
मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

2. श्री० दिलीप कपूर,
केन्द्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

3. श्री. रामचन्द्र मिश्र,
समुदाय निदेशक,
योगाचार एवं पंचांग, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद
(मुख्य सचिव, विला विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित)

4. श्री. वृज विनोद सिंह,
IAS (सिवाग्निपूत)

5. श्री. ए.के. त्रिपाठी,
मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

6. श्री. जी.के. द्विवेदी,
जीआर निदेशक,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

Pls send Officer
U.P. Kaushiki Tandon open University
Allahabad.

3/5/19

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 26-03-2019 को सम्पन्न विद्या समिति की 39 वी बैठक की कार्यवृत्त

- बैठक का स्थान - विश्वविद्यालय मुख्य गल्ल सार्विपुरम्, काशीनगर, इलाहाबाद
बैठक का दिनांक एवं समय - 26-03-2019, दोपहर 03.00 बजे

बैठक में गिम्पलिकित सदस्य उपस्थित थे-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | डॉ. कामेश्वर नथ सिंह
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | अध्यक्ष |
| 2 | डॉ. दिलीप कपूर,
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज | सदस्य |
| 3 | श्री रामदेव मिश्र,
संयुक्त निदेशक,
कोषाचार एवं पैरान, इलाहाबाद नगरीय इलाहाबाद
(संयुक्त सचिव, विद्या विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित) | सदस्य |
| 4 | श्री बृज किरण सिंह,
IAS (सोपनिपूत) | सदस्य |
| 5 | डॉ. ए.के. गुप्त,
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 6 | डॉ. जी.के. द्विवेदी,
परिक्षा नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 7 | श्री अजय कुमार सिंह,
वित्त अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य/सचिव |

कार्यवृत्ति के अनुसार बरखाही के प्रारम्भ में कुलपति जी ने सदस्यों का स्वागत किया तथा
बैठक में गिम्पलिकित पर विचार किया गया-


President Officer

U.P. Rajarshi Tandon open University
Allahabad.

विष्णु संख्या 38.01

दिनांक 28-12-2018 को सम्मन्वित किल सभिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

किल सभिति की पिछली बैठक दिनांक 28-12-2018 की कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओरफु/विभा/4231/2019 दिनांक 06-03-2019 द्वारा कमी सहस्रकों को प्रेषित कर दी गयी है। किली सदस्य द्वारा कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

"किल सभिति ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 28-12-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।"

विष्णु संख्या 38.02

किल सभिति की पिछली बैठक दिनांक 28-12-2018 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।

किल सभिति की पिछली बैठक दिनांक 28-12-2018 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित अवगत मिलता है:-

संख्या संख्या	पिछली बैठक की कार्यवृत्त	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही
38.01	पिछली किल सभिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	किल सभिति ने अपनी पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
38.02	किल सभिति की पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
38.03	विश्वविद्यालय में खानपान पर कार्यवाही विभिन्न सदस्यों के खानपान निर्धारण हेतु किल सभिति की अनुमति पर विचार से सम्बन्धित है।	निर्णय पृष्ठ संख्या... पर रखा है।	कार्यवाही के अनुमोदन के उपरान्त कार्यवाही की जा चुकी है।
38.04	विश्वविद्यालय के समुदाय परिवार में निर्मित आवासों के आरंभ की बुद्धिमत्त योजना के आरंभ हेतु मासिक एवं वार्षिक किराया आदि के सम्बन्ध में किल सभिति की अनुमति पर विचार से सम्बन्धित है।	निर्णय पृष्ठ संख्या... पर रखा है।	कार्यवाही के अनुमोदन के उपरान्त कार्यवाही की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 का पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 2019-20 के प्रस्तावित आय-व्यय (अनु) विवरण प्रस्तुत है। म्याचर अब एवं माय का विवरण अलग से संलग्न है।

"समिति ने वित्तीय वर्ष 2018-19 का पुनरीक्षित बजट एवं 2019-20 के प्रस्तावित बजट (आय-व्यय) को मसखरालयक लीकर किये जाने की संतुष्टि की।"

विष्णु संख्या 39.04

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के सैद्धनिक एवं शिक्षणाल कर्मचारियों की परीक्षा सन्धनी कर्वायों की पारिश्रनिक दरों का पुनरीक्षण किये जाने के विषय में निर्गत ससनादेश संख्या 178/सलर-1-2019-15(32)/81 दिनीक 9 मार्च 2019 को अंगीकार किये जाने पर विचार।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के सैद्धनिक एवं शिक्षणाल कर्मचारियों की परीक्षा सन्धनी कर्वायों की पारिश्रनिक दरों का पुनरीक्षण किये जाने से सन्धनित ससनादेश संख्या 178/सलर-1-2019-15(32)/81 दिनीक 9 मार्च 2019 निर्गत किया गया है। (पृष्ठ संख्या 14-15) उक्त ससनादेश में उल्लिखित पारिश्रनिक की दरों को फलगत अंगीकार किये जाने से सन्धनित प्रकरण समिति के सलभ विचारार्थ प्रस्तुत है।

"समिति ने उपरोक्त ससनादेश को अंगीकार किये जाने की संतुष्टि की तथा कार्यपरिषद को अनुसंधन उपलभ्य शासन को भी सूचित किये जाने की संतुष्टि की।"

विष्णु संख्या 39.06

अधिन्यास मूल्यांकन के पारिश्रनिक दरों के पुनरीक्षण पर विचार।

अधिष्ठात मूल्यांकन के पारिश्रनिक का दर वर्ष 2011 में निर्धारित किया गया था। ससनादेश दिनीक 09 मार्च 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्यों के मूल्यांकन के दरों का संशोधन किया गया है। यह संशोधन ससनादेश दिनीक 09-03-2019 के अन्तर्गत पर प्रलक्षित है। उक्त अधिष्ठात मूल्यांकन की दरों का भी पुनरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

मापकण	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
सनातक	16/- प्रति अधिष्ठात	24/- प्रति अधिष्ठात
ससनादेश	21/- प्रति अधिष्ठात	30/- प्रति अधिष्ठात

प्रकरण समिति के सलभ विचारार्थ प्रस्तुत है।

"समिति ने अधिन्यास मूल्यांकन हेतु प्रस्तावित उपरोक्त दरों को लीकर किये जाने की संतुष्टि की।"


Finance Officer
U.P. Pensions Section Deptt. of Education
Lucknow.

दिनांक संख्या 38/09

वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखा (Balance Sheet) अनुसंधानार्थ प्रस्तुत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 का प्रविष्ट एवं मुद्रास्तन खाता, आय एवं व्यय खाता तथा बैलेंस शीट समिति के समक्ष अनुसंधानार्थ प्रस्तुत है।

"समिति ने वित्तीय वर्ष 2017-18 का वार्षिक लेखा (Balance Sheet) में अनुसंधान की संतुष्टि की।"


(ए.के. शिवा)
वित्त अधिकारी


Finance Officer
U - 10, Shaheed Tandon Open University
Gurgaon, Haryana


संख्या संख्या 38.03 में दिया गया निर्णय

विश्वविद्यालय में कार्यरत विभिन्न प्रकार के सचिवा कर्मियों को वेतन निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.ए./1592/2018 दिनांक 22-11-2018 द्वारा एक समिति बन गठन किया गया है। उक्त समिति ने दिनांक 30-11-2018 को बैठक कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त समिति का प्रतिवेदन विल समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

उक्त पर समिति ने विचार किया, सार्वजनिक सेवा में लगभग 10% की वृद्धि हुई थी इसी को ध्यान रखते हुए निम्नलिखित दर से सार्वजनिक सेवा कार्यरत सचिवा कर्मियों को सार्वजनिक सेवा के समान दर दी संस्तुती की :-

क्रम संख्या	विवरण	संस्तुत दर
1	प्रबन्धक/प्रबन्धक (सैलरि)	33000/-
2	सहायक प्रबन्धक	32000/-
3	प्रबन्धक (नॉन सैलरि)	19500/-
4	सहायक प्रबन्धक	17000/-
5	सहायक प्रबन्धक	11500/-
6	सहायक प्रबन्धक (नॉन सैलरि)	2000/-

उपरोक्त दर नवी सचिवा से लागू की जाय।


 U.P. Baiswani
 U.P. Baiswani Tandon and Co. Chartered
 Accountants.



विश्वविद्यालय के खुदना परिसर में निर्मित अखाड़े के आवंटन के दृष्टिकोण से खाने के आवंटन हेतु पाक्या एवं सार्विक किराया अदि के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसा पर विचार।

समिति के प्रकरण पर विचारोपचान निम्नलिखित संशुतियां की -

(A)

- 1 विश्वविद्यालय के समस्त नियमित एवं सविदा शिक्षक एवं कर्मों किराये पर भवन आवंटन किये जाने हेतु अर्ह होंगे।
- 2 टाइप-1 का आवंटन कुर्ची सेमी तथा टाइप-2 का आवंटन कुर्ची सेमी कर्मियों को तथा टाइप-3 का शिक्षक सेवर्ष को किया जाय।
- 3 नियमित शिक्षकों/कर्मियों को आवंटन किये जाने के परवादा ही शेष भवनों के आवंटन हेतु सविदा शिक्षकों/कर्मियों को कर्मों पर विचार किया जाय।
- 4 आवंटन में बरिधत का ध्यान रखा जाय अर्थात पहले नियुक्त शिक्षकों/कर्मियों को पहले तथा बाद में नियुक्त शिक्षकों/कर्मियों को बाद में निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवंटन के अभाव पर आवंटन किया जाय।
- 5 प्रत्येक आवंटनी से इस बात की लिखित सहमति ले ली जाय कि भवन के मूल बाड़े में वे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगें और न ही किसी अन्य को भवन Sublet करेगें।
- 6 विद्युत उपकरण के सामंथ सार्विक शुल्क, किराये के साथ लिया जाय।
- 7 जाय-काय व सौरा काय के सम्बन्ध में शासनोदेश को अनुसार कार्रवाही की जाय एवं नगर नियम से कायचित करा लिया जाय।
- 8 असायिक टूट-फूट, विद्युत एवं प्लम्बिंग के सम्बन्धित मेन्टेनेंस की जिम्मेदारी आवंटनी की होगी।
- 9 टाइप-1 अवास निकाय पहले की वहा में कुर्ची सेमी कर्मों को भी आवंटित किया जा सकता है।

(B) जॉयंट नेट (जॉयन्स)

I. ऐसे शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए किसे HRA मिलता है

- 1 आवंटनी शिक्षकों/कर्मचारियों को HRA का सुगठान नहीं किया जावेग।
- 2 इनके अतिरिक्त सभारी जॉयंट नेट निम्नानुसार रखा जाय।

टाइप-1
₹ 210/-

टाइप-2
₹ 450/-

टाइप-3
₹ 600/-

II. ऐसे शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए किसे HRA नहीं मिलता है उनसे बरिधत किराया निम्नानुसार निर्धारित किया जाय

टाइप-1
₹ 2000/-

टाइप-2
₹ 3000/-

टाइप-3
₹ 5000/-

संक्षेप संख्या 38.05 में लिया गया निर्णय

"समीति में विचारोपलब्ध निम्नलिखित बातों की संतुष्टि की"

इसका साथ उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को दिवे जाने वाले परिश्रमिक की संतुष्टि-

1.	जब मुकदमा सिविल प्रॉसी तथा वकालत हुए एकत्रित रूप पर निर्णीत हो जाते हैं तो अधोलिखित मुकदमा होता-	पूर्व में निर्धारित दर (₹0)	गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (₹0)
	(i) काउन्सिल फीस	-	3500/-
	(ii) 15 प्रतिशत लिबरेशन चार्ज	-	625/-
2.	प्रति सप्ताह वकालत होने तथा मुकदमा निर्णीत होने पर अधोलिखित मुकदमा होता-		
	(i) काउन्सिल फीस		3500/-
	(ii) 15 प्रतिशत लिबरेशन चार्ज		625/-
	(iii) निवर्तनिक चार्ज (काउन्सिल के लिए)	900/-	1000/-
	नोट- कार्य बरिष्प के बीच दिनांक 06 मार्च 2016 द्वारा ₹0 2000/- प्रति केस एवं 15 प्रतिशत चार्ज ₹0 750/- प्रति केस निर्धारित किया गया था।		
3.	न्यायालय के आवंटन की प्रस्तावित प्रति केसों पर		
	आवेदन की प्रति और अन्य मिलानेवाला चार्ज	50+190=240	500/-
4.	उपरोक्त काल में वकालत पर वकालत	1886	2000/-
5.	विशेष रूप से प्रति केस (लिखित रूप में प्रेष करने पर)	340	1000/-

उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को दिवे जाने वाले परिश्रमिक की संतुष्टि-

क्रम सं.	वक	पूर्व में निर्धारित दर (वर्ष 2009) (₹0)	गठित समिति द्वारा संतुष्ट दर (₹0)
A	Drafting of the plaint	550/-	1000/-
B	Drafting of the Written statement/supplementary affidavit/additional pleading	275/-	500/-
C	Fee for the date of the case	110/-	150/-
D	Fee for per effective hearing	165/-	250/-
E	Fee for Final hearing of the case	550/-	800/-
F	Order copy	-	500/-
G	Expenditures whatsoever may be in additional (vohalatnama, affidavit, typing and photocopy etc.)	व्ययवहिक	1000/-

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 दिनांक 17-07-2019 को सम्पन्न विद्या समिति की 40वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक का स्थान - विश्वविद्यालय मुख्य भवन शक्तिपुर, काकाभवा, इलाहाबाद
 बैठक का दिनांक एवं समय - 17-07-2019, बोनहर 03:00 बजे

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे-

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1 | डॉ. कामेश्वर राध कृष्ण
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | प्राध्यक्ष |
| 2 | श्री आर एन सिंह
अवर विदेशक
श्रीवाण एन सेल, इलाहाबाद कम्पल इलाहाबाद
(प्रमुख नवीन, विद्या विभाग, उत्तर प्रदेश इकाय द्वारा नामित) | सचिव |
| 3 | डॉ एच नुजा,
कुलसचिव
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 4 | डॉ जीके सिंघवी,
परिभ्रम विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 5 | श्री आरवत कुमार सिंह,
विद्या अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य, अतिथि |

कार्यसूची को अनुसर कार्यागरी के प्रात्य में कुलपति जी ने सदनका का प्रस्ताव किया तथासथा बैठक में विद्या विभागों का विचार किया गया-

विद्यु संख्या 40/51

दिनांक 20-03-2019 को सम्पन्न विद्या समिति की बैठक के कार्यवृत्त की मुद्रित।

विद्या समिति की पिछली बैठक दिनांक 20-03-2019 की कार्यवृत्त 02/04/2019 को 40/51 संख्या/विद्या/400/2019 दिनांक 03-03-2019 कोत सनी तबसवी अवे प्रेषित का हो गया है।
 विद्या सदस्य द्वारा कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

विद्या समिति ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 20-03-2019 के कार्यवृत्त की मुद्रित की।

विन्तु संख्या 4032

विना समिति की विधायी बैठक दिनांक 20-03-2018 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अद्यतन होना।

विना समिति की विधायी बैठक दिनांक 28-03-2018 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित आया निम्नवत है-

संख्या संख्या	विधायी बैठक की कार्यवाही	विधायी बैठक में लिये गये निर्णय	विधायी बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही
30.01	विधायी विना समिति की बैठक के कार्यवाही की सुविधा।	विना समिति ने अपने विधायी बैठक के कार्यवाही की सुविधा की।	कोई कार्यवाही उपरोक्त नहीं है।
30.02	विना समिति की विधायी बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अद्यतन होना।	अद्यतन होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही उपरोक्त नहीं है।
30.03	एन पुनर्विचार बजट एन 2018-20 की प्रस्तावित बजट(आय-व्यय) पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने वित्तीय वर्ष 2018-19 का पुनर्विचार बजट एन 2018-20 की प्रस्तावित बजट (आय-व्यय) को उदात्त/संशोधित विचार किये जाने की अनुमति दी।	कार्यवाही उपरोक्त अनुसंधान किये जा चुके हैं। कार्यवाही उपरोक्त नहीं है।
30.04	उत्तर प्रदेश राज्य विधायिकाओं / सदस्यों/सदस्यों के वैधानिक एन विधानपर कार्यवाही की वर्ष 2018 सम्बन्धी कार्य की वैधानिक इतिहास का पुनर्विचार किये जाने के विषय में निर्णय हासिल/कठिना 178 /संख्या- 7-2018-16 (32)/81 दिनांक 9 मार्च 2018 की अंगीकार किये जाने से सम्बन्धित है।	समिति ने उपरोक्त सम्बन्धित का अंगीकार किये जाने की अनुमति की तथा कार्यवाही की अनुसंधान उपरोक्त हासिल का संशोधित किये जाने की अनुमति की।	कार्यवाही की अनुसंधान-सम्बन्धित नहीं है। से पुनराचार की कार्यवाही की जा रही है।

38.05	अभिमान सुनारकन के परिश्रमिक धरो के पुनर्ग्रहण पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने अग्रिमवश सुनारकन हेतु प्रस्तावित धरो को खरीदने के लिए जो समुचित है।	सापेक्षित/के अनुसंधानकारण मधु बर से सुनारकन को खरीदने की जा रही है।
38.06	वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखा (Balance Sheet) अनुसंधानार्थ प्रस्तुत।	समिति ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखा (Balance Sheet) के अनुसंधान को समुचित है।	सापेक्षित/के अनुसंधान प्राप्त हो चुका है। साथ सापेक्षित/के प्रेषित नहीं है।

विधु संख्या-41.08

बीएलए एवं बीएलए (विशेष विभाग) हेतु बन्दोबस्ती/समावेश एवं परिश्रमिक बहाने जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

बीएलए एवं बीएलए (विशेष विभाग) के निमित्त प्रवेश सीमा हेतु बन्दोबस्ती/समावेश एवं परिश्रमिक बहाने जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार समिति की वेबसाइट दिनांक 10-05-2018 में निम्न विवरण के अनुसार विचारार्थ प्रस्तुत किया गया-

क्र. संख्या	धर नाम	पूर्व की दर	प्रस्तावित दर
1	किसा/परिवार बन्दोबस्ती	₹ 1800/-	₹ 2000/- बिना
2	परिवार बन्दो या परिवारों के बहाने भूदान हेतु		₹ 500/- ₹ 1100/-
3	समावेश परिश्रमिक एवं सम्पदा बन्दोबस्ती का धर (परिवारों को बहाने की दर का अन्वयण)		₹ 250/- की परिवारों पर
4	समावेश	₹ 1800/- के ₹ 250/- की परिवारों को बहाने की दर	₹ 2000/- बिना
5	रूप/समावेश बन्दोबस्ती (250 सम्पदा का धर एवं अधिक होने पर परिश्रमिक (2)	₹ 850/- बिना	₹ 1500/- बिना

विश्वविद्यालय द्वारा किए गए 34 कार्यक्रमों के विभिन्न प्रकार-पढ़ी हेतु अंतर्गत/अंतः
 अकादमिक सम्बन्ध कार्यक्रमों की प्रतीक्षा सहायी जा रही है। ऐसे अंतर्गत/अंतः अकादमिक प्रतीक्षा के
 अनुमिष्ट प्रश्नों के निर्माण से मुगलन हेतु कोई दर अनुभवित नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा
 ₹10000/बी0एड0 (विश्वविद्यालय) प्रकाश प्रतीक्षा हेतु अनुमिष्ट प्रकाश के प्रश्नों का निर्माण एवं
 सार्वजनिक करता जाता है। अतः अनुमिष्ट प्रकार के प्रश्नों के निर्माण एवं सार्वजनिक हेतु जो दर
 प्रतिप्रश्न पर ₹10000/बी0एड0 (विश्वविद्यालय) प्रकाश प्रतीक्षा हेतु प्रभावी है वही सामान्य कार्यक्रमों
 के प्रश्न हेतु लागू करने सम्बन्धि प्रश्नको समिति के सम्मलेन विचारार्थ प्रस्तुत है।

एकैका समिति ने सर्वसम्मति से अंतर्गत/अंतः अकादमिक प्रतीक्षा के अनुमिष्ट प्रश्नों के
 मुगलन हेतु जो दर प्रति प्रश्न ₹10000/बी0एड0 (विश्वविद्यालय) प्रकाश प्रतीक्षा के अनुमिष्ट
 प्रकार के प्रश्नों के निर्माण एवं सार्वजनिक हेतु प्रभावी है वही सामान्य कार्यक्रमों के प्रश्न हेतु लागू
 करने के लिये उपरोक्त प्रस्ताव को समिति ने बख्शकर स्वीकार किया। सूचना है कि
 ₹10000/बी0एड0 (विश्वविद्यालय) प्रकाश प्रतीक्षा के अनुमिष्ट प्रकार के प्रश्नों के निर्माण हेतु
 ₹0 00/- इति प्रश्न निर्धारित है।

एकैका समिति की उपरोक्त अनुमिष्ट प्रतीक्षा के सम्मलेन विचारार्थ प्रस्तुत है।

"समिति ने उपरोक्त प्रस्ताव को बख्शकर स्वीकार किया जाने की अनुमति दी।"

विश्व संख्या 4005

एकैका गोपनीय एवं अन्य सम्बन्धी अति प्रेम्बर जाने वाले कार्यक्रमों के मासिक वृद्धि पर विचार।

एकैका सम्बन्धी गोपनीय सम्बन्धी प्रत्येक-सम्बन्धी एवं प्रत्येक विश्वविद्यालय विभिन्न अकादमिक
 सहायी/सहायक सहायकों पर प्रेम्बर जाने वाले कार्यक्रमों को निम्नलिखित दर से मासिक का मुगलन
 किया जाता रहा है:-

- 1. सहाय्य सहायक कार्यक्रमों - ₹0 200/- इति दिन
- 2. तृतीय सहायक कार्यक्रमों - ₹0 250/- इति दिन
- 3. सहायक कार्यक्रमों - ₹0 300/- इति दिन

प्रति की बात है कि एक मिलान वर्ष में प्रत्येक कार्यक्रमों का ₹0 5000/- से अधिक
 मुगलन न किया जाय।

उपरोक्त वरं विचार समिति की बैठक दिनांक 14-08-2010 में अनुमति है अब लगभग 3 वर्ष
 प्रतीक्षा हो चुके है अतः प्रतीक्षा ₹0 5000/- से अल्प पर प्रतिवर्ष अधिकतम ₹0 10000/-
 निर्धारित जाने का प्रस्ताव विचार समिति के सम्मलेन विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति के निम्नलिखित की समुची की-

प्रतिष्ठ संस्थाओं का राष्ट्रीय समन्वय कार्यक्रम-समयों एवं अर्थन विवरणिका विधि-न अन्वयन कार्य/अर्थन कार्य पर लेखा एवं अन्य प्रकृतियों की निम्नलिखित दर में भागीदारी का मुद्रागत विवरण है-

1. समुची कार्य कार्यवाही - ₹ 200/- प्रति दिन
2. वृत्तीय कार्य कार्यवाही - ₹ 300/- प्रति दिन
3. वित्तीय कार्यवाही - ₹ 300/- प्रति दिन

यह भी ध्यान दें कि एक वित्तीय वर्ष में समुची कार्य कार्यवाही की अधिकतम राशि 10000/- वृत्तीय कार्य कार्यवाही की अधिकतम राशि 12000/- वित्तीय कार्यवाही की अधिकतम राशि 15000/- में अधिक मुद्रागत न किया जाए।

विद्यु संख्या 4006

श्री नारायण राव, पूर्व कुलपति से सम्बन्ध में विज्ञान विश्वविद्यालय, वडोदा में ग्रहण पत्र संख्या संख्या/2019/707 दिनांक 01-07-2019 का विवरण।

श्री नारायण राव द्वारा विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर निर्वाचन 07-08-2008 से 07-08-2011 तक निरूद्ध की। इसके पूर्व वे विज्ञान विश्वविद्यालय वडोदा में विभागाध्यक्ष एम्बोयडरो संस्थान की पद पर कार्यरत थे। विज्ञान विश्वविद्यालय वडोदा में ग्रहण पत्र संख्या/2019/757 दिनांक 01-07-2019 द्वारा कुलपति के पद पर ग्रहण शीट तथा की नियुक्ति अंशदान ₹ 6,12,324 की बात की गयी है।

प्रकरण द्वारा समिति के माध्यम से विवरण प्रस्तुत है।

"श्री नारायण राव पूर्व कुलपति के अंशदान मुद्रागत में सम्बन्ध में कार्यवाही की अनुसार अंशदान का प्रकृति का मुद्रागत विवरण एवं की समुची की गयी।"

विद्यु संख्या 4007

श्री एम्बोयडरो कर्मीयों, पूर्व कुलपति के विद्यु संख्या अंशदान के मुद्रागत पर विवरण।

यहां प्रथम श्रेणी, राज्य विज्ञान अनुभाग-1, संख्या/2773/संस्था-1-2008 दिनांक 15 दिसम्बर 2008 की दिशा में अनुदान की कार्यवाही में की निर्धारित लेख कार्यवाही, उक्त कुलपति, कार्य विद्यु विश्वविद्यालय, वडोदा की उत्तर प्रदेश राज्य एम्बोयडरो मुक्त विश्वविद्यालय, एम्बोयडरो में कुलपति के पद पर नियुक्ति किये जाने के कारण प्रकृत किये गए की कार्यवाही की तथा गयी के निर्धारण के कारण अंशदान से जारी किये जाने के अंशदान दिये गये।

विन्तु संख्या 4008

बीएड/बीएड (विशेष शिक्ष) में प्रवेश हेतु सम्बन्धित अध्ययन सैन्ट्री को प्रस्तावित शुल्क को सुगठान पर विचार।

सामान्य वाद्ययंत्रों हेतु विभिन्न अध्ययन सैन्ट्री को रु० 100/- प्रति परीक्षित शिक्षार्थी को 22 में प्रस्तावित शुल्क का सुगठान किया जा रहा है। इनमें आवाजिक खर्च भी सम्बन्धित है। बीएड/बीएड (विशेष शिक्ष) के अध्ययन सैन्ट्री को इस खर्च का कोई शुल्क सुगठान नहीं किया जा रहा है। बीएड/बीएड (विशेष शिक्ष) सम्बन्धित सैन्ट्री को रु० 100/- प्रति परीक्षित शिक्षार्थी को 22 में प्रस्तावित शुल्क सुगठान किये जाने का प्रस्ताव समिति के सचिव विचारार्थ प्रस्तुत है।

सन्धि में उपरोक्त प्रस्ताव को संशोधन करीयर किये जाने की अनुमति दी।

विन्तु संख्या 4310

कार्यालयी सम्बन्धों द्वारा विश्वविद्यालय में हो रहे / कराये जाने वाले विभिन्न निर्माण/अथ कार्यो से अवगत होना।

1. विश्वविद्यालय के समुदाय परिसर में स्टीव स्ट्रॉट लगाये जाने पर विचार। योजना बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 06-08-2018 में इसका सञ्चय 32.08 में विश्वविद्यालय के समुदाय परिसर में स्टीव स्ट्रॉट लगाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किया। उक्त कार्य का अनुमानित लागत रु० 17.28 लाख है।
2. विश्वविद्यालय के समुदाय परिसर में इन्टरनेट अपडेटेड हेतु खर्च का निर्माण कराये जाने पर विचार। योजना बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 06-08-2018 में इसका सञ्चय 32.10 में विश्वविद्यालय के समुदाय परिसर में इन्टरनेट अपडेटेड हेतु खर्च का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किया। उक्त कार्य का अनुमानित लागत रु० 2.17 लाख है।
3. विश्वविद्यालय के समुदाय परिसर में इन्टरनेट कनेक्शन का निर्माण कराये जाने पर विचार। योजना बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 06-08-2018 में इसका सञ्चय 32.11 में विश्वविद्यालय के समुदाय परिसर में इन्टरनेट कनेक्शन का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किया। उक्त कार्य का अनुमानित लागत रु० 16.00 लाख है।

4. विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रमुख/सहायक/अधीनस्थ एवं शिक्षकों के लिये एम्प्लुमेंटमेंट फंड परीक्षाओं के माध्यम से कर्तव्य में नियुक्ति में अग्रसर होगा।
 योजना संकेत में अपनी वेबसाइट दिनांक 06-08-2018 को प्रसारित संख्या 32/18 में विश्वविद्यालय के कार्यरत प्रमुख/सहायक/अधीनस्थ एवं शिक्षकों के लिये एम्प्लुमेंटमेंट फंड परीक्षाओं के माध्यम से कर्तव्य में नियुक्ति कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को संश्लेषित किया। उक्त कार्य का अनुमति क्रमांक 32/18 संख्या है।
5. विश्वविद्यालय को IQAC को बड़े कक्ष में अतिरिक्त गृह के बरतने में सभी आवश्यक प्रयोग, द्वितीय एवं तृतीय वार, पुस्तकालय भवन के द्वितीय वार एवं स्टॉक रूम के बीच, परिसर के EOP रोल के संदर्भ हेतु एवं प्रशासन अनुभाग में छोटी अतिरिक्त महान हेतु एम्प्लुमेंटमेंट परीक्षाएं कराये जाने पर विचार।
 विश्वविद्यालय को IQAC को बड़े कक्ष में अतिरिक्त गृह के बरतने में सभी आवश्यक प्रयोग, द्वितीय एवं तृतीय वार, पुस्तकालय भवन के द्वितीय वार एवं स्टॉक रूम के बीच, परिसर के EOP रोल के संदर्भ हेतु एवं प्रशासन अनुभाग में छोटी अतिरिक्त महान हेतु एम्प्लुमेंटमेंट परीक्षाएं कराये जाने में कार्यवाही संख्या संख्या 30/21/38 संख्या का प्रस्ताव संख्या है।
6. गंगा परिसर स्थित कुलपति कार्यालय में आन्तरिक परिसरों, फालतु किराने एवं पुस्तकालय आदि के माध्यम से सुव्यवस्थित करने पर विचार।
 योजना संकेत में अपनी वेबसाइट दिनांक 06-08-2018 को प्रसारित संख्या 32/18 में विश्वविद्यालय को गंगा परिसर स्थित कुलपति कार्यालय में आन्तरिक परिसरों, फालतु किराने एवं पुस्तकालय आदि के माध्यम से सुव्यवस्थित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को संश्लेषित किया। उक्त कार्य का अनुमति क्रमांक 32/18 संख्या है।
7. अतिरिक्त गृह में शिपिंग एवं मुद्रण कार्य से अग्रसर होगा।
 योजना संकेत में अपनी वेबसाइट दिनांक 06-08-2018 को प्रसारित संख्या 32/18 में कार्यवाही हेतु कुलपति कार्यालय में अतिरिक्त गृह के सभी कर्मों के अन्तर्गत 150 कार्यवाही हेतु बनाने एवं अग्रसारित हेतु रैपड बनाने से अग्रसर हुई कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। उक्त कार्य का अनुमति क्रमांक 32/18 संख्या है।
8. विश्वविद्यालय को वसुधा परिसर में मलकुप एवं 200 किलो, की ओवर हेड टैंक के निर्माण से अग्रसर होगा।
 योजना संकेत में अपनी वेबसाइट दिनांक 06-08-2018 को विश्वविद्यालय को वसुधा परिसर में मलकुप एवं 200 किलो, की ओवर हेड टैंक के निर्माण कराने जाने की कार्यवाही की गयी

कार्यविधि में अपनी बैठक दिनांक 08-03-2019 में स्वीकार किया। उसका कार्य ₹ 03.89 लाख में करण, का मुका है। अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

- 9 विश्वविद्यालय के समुदाय परिवार में नलखू/टली से संबंधित कार्योत्पन्न, टाइप-1, टाइप-2 एवं टाइप-3 अंतर्गत में अपनी बैठक दिनांक 08-12-2018 को विश्वविद्यालय के समुदाय परिवार में नलखू/टली से संबंधित कार्योत्पन्न, टाइप-1, टाइप-2 एवं टाइप-3 अंतर्गत में अपनी बैठक दिनांक 08-03-2019 में स्वीकार किया। उसका कार्य ₹ 18.45 लाख में करण का मुका है। अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
- 10 विश्वविद्यालय के समुदाय परिवार में अपने कार्य प्रकल्पित 100 क्वॉटरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्योत्पन्न, टाइप-1, टाइप-2 एवं टाइप-3 अंतर्गत में विद्युत जगृति हेतु सर्वोपलब्ध कराये जाने से अलग होना। योजना बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 31-12-2018 को विश्वविद्यालय के समुदाय परिवार में प्रकल्पित 100 क्वॉटरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्योत्पन्न, टाइप-1, टाइप-2 एवं टाइप-3 अंतर्गत में विद्युत जगृति हेतु सर्वोपलब्ध करने की सहमति दी जिसे कार्योत्पन्न में अपनी बैठक दिनांक 08-03-2019 में स्वीकार किया। उसका कार्य ₹ 17.63 लाख में करण का मुका है। अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
- 11 विश्वविद्यालय के समुदाय परिवार के दक्षिण दिश की चतुर्दीवली पर स्टिपेंडियल वॉल का निर्माण कराये जाने से अलग होना। योजना बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 31-12-2018 को विश्वविद्यालय के समुदाय परिवार में दक्षिण दिश की चतुर्दीवली पर स्टिपेंडियल वॉल का निर्माण करवाये दी जिसे कार्योत्पन्न में अपनी बैठक दिनांक 08-03-2019 में स्वीकार किया। उसका कार्य ₹ 73.68 लाख में करण का मुका है। अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
- 12 विश्वविद्यालय के सरकारी परिवार में कम्प्यूटी वॉल पर कर्टीले वॉल लगाने जाने पर से अलग होना। योजना बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 31-12-2018 को विश्वविद्यालय के सरकारी परिवार में कम्प्यूटी वॉल पर कर्टीले वॉल लगाने जाने की सहमति दी जिसे कार्योत्पन्न में अपनी बैठक दिनांक 08-03-2019 में स्वीकार किया। अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
- 13 विश्वविद्यालय के समुदाय परिवार में कम्प्यूटी सेंटर के निर्माण से अलग होना। योजना बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 31-12-2018 को विश्वविद्यालय के समुदाय परिवार में कम्प्यूटी सेंटर के निर्माण की सहमति दी जिसे कार्योत्पन्न में अपनी बैठक दिनांक 08-03-2019 में स्वीकार किया। उसका कार्य ₹ 253.20 लाख में करण का मुका है। अवलोकनार्थ प्रस्तुत।



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

सेक्टर-एफ, शान्तिपुरम्, गौहठी रोड, फर्रुखाबाद
प्रारम्भिक-२११०१३, उ०प्र०

वित्त अधिकारी

☎ +९१-२४४४४४४

पत्रांक: अी० फू० / वित्त / ३१०१ / २०१९

दिनांक: १७-१०-२०१९

आदरणीय महोदय,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, सभागृहवाली की दिनांक १७ अक्टूबर २०१९ को वित्त सभिति की सम्पन्न ४१वीं बैठक का कार्यसूची अंतर्गत अग्रोकोचनार्थ संलग्न का प्रेषित है।

21-10-19



श्री. अशोक कुमार नाथ सिंह
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

नयनीय
(ए. प्र. विद्या)

३ श्री. राजीव पाण्डेय,
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
(साधिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित)

21/10/19

श्री. आर.एन. सिंह
अध्य निदेशक,
कोषाध्यय एवं पैशन, इलाहाबाद संस्कृत इलाहाबाद
(प्रमुख साधिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित)

सदस्य

४ श्री. ए.के. मुधा,
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

सदस्य

५ श्री. जी.के. द्विवेदी,
परीक्षा नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

सदस्य

६ श्री. अजय कुमार सिंह
वित्त अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

सदस्य/सचिव

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 17-10-2019 को सम्पन्न विद्या समिति की 41वीं बैठक की कार्यवृत्त

- बैठक का स्थान - विश्वविद्यालय मुख्य प्रांगण शांतिपुरम, फाकमस, इलाहाबाद
बैठक का दिनांक एवं समय - 17-10-2019, दोपहर 12.00 बजे

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | श्री. कागेश्वर पाठ सिंह
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | अध्यक्ष |
| 2 | श्री. राजीव चाम्पू,
संजीव चण्डा शिक्षा अधिकारी,
(अधिव. उत्तर शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित) | |
| 3 | श्री. आर.एन. सिंह
अवर निदेशक,
कोषागार एवं पेशा, इलाहाबाद, सम्बल इलाहाबाद
(प्रमुख अधिव. शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित) | सदस्य |
| 4 | श्री. ए.के. गुप्ता,
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 5 | श्री. जी.के. द्विवेदी,
परीक्षा नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 6 | श्री. अजय कुमार सिंह,
विद्या अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य/सचिव |

कार्यवृत्त के अनुसूचित कार्यवृत्तों के बारे में सुनवाई की गयी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा
बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया गया:-

विद्युत संख्या 41.01

दिनांक 17-07-2019 को सम्पन्न जिला समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

जिला समिति की पिछली बैठक दिनांक 17-07-2019 की कार्यवृत्त विशदीकरण के पत्र संख्या ओ०००/जिला/1619/2019 दिनांक 20-07-2019 द्वारा सभी सदस्यों को प्रेषित कर दी गयी है। जिला सदस्य द्वारा कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

जिला समिति ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 17-07-2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

विद्युत संख्या 41.02

जिला समिति की पिछली बैठक दिनांक 17-07-2019 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।

जिला समिति की पिछली बैठक दिनांक 17-07-2019 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित आकाश गिम्मत है-

संख्या	पिछली बैठक की कार्यवृत्त	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही
40.01	पिछली जिला समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	जिला समिति ने अपनी पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
40.02	जिला समिति की पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
40.03	बी०ए००० एम बी०ए०००(किरीण्ट रिहा) हेतु खान्दीजेनी/मानदेय एम परिश्रमिक बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने एमबी००० एम एमबी००० कार्यवृत्त के प्रस्ताव को छोड़कर सैन प्रस्ताव को यथावत स्वीकार करने जाने की संसुति की। एमबी००० एम एमबी००० कार्यवृत्त के प्रदेश में बरीधारियों की संख्या न्यूनतम 2000 होने पर चर्चा करें प्रस्ताव होनी सम्बन्धित पूर्व की करें लानु होगी।	कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

40.04	विश्वविद्यालय के संज्ञा परीक्षाओं के कुछ कार्यवाही में ओ.एम.अर. अधीन परीक्षा सम्पन्न करने हेतु अनुगित प्रश्नों के निर्माण हेतु जाने वाले पर पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने प्रस्ताव को पचासवा स्वीकार किये जाने की संस्तुति की।	कार्यपरिपद् के अनुसूचकलेखकता नये दर से भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
40.05	परीक्षा सोपनीय एवं जगद रामगोपी अदि लेखर जाने वाले कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने निम्नलिखित की संस्तुति की- परीक्षा सम्बन्धी सोपनीय रागगी, पाठ्य-सामग्री एवं प्रवेश विवरणिका विभिन्न अवसरों कर्नाटी/शेडीय केन्द्रों पर लेखर जाने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित दर से मानदेय का भुगतान किया जाय- 1. पूर्ण वेगी कर्मचारी - रु 200/- प्रति दिन 2. पूर्ण वेगी कर्मचारी - रु 200/- प्रति दिन 3. शैक्षिक कर्मचारी - रु 200/- प्रति दिन यह भी रात है कि एक विद्यमान वर्ष में कर्नाटी के अधिवक्ता रु 90000/- तृतीय वेगी कर्मचारी के अधिवक्ता रु 1012000/- रीतिगत कर्मचारी के अधिवक्ता रु 15000/- से अधिक भुगतान न किया जाय।	कार्यपरिपद् के अनुसूचकलेखकता नये दर से भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
40.06	डी० नरेश्वर राव, पूर्व कुलपति के सम्बन्ध में शिक्षण विश्वविद्यालय, काजौग से प्राप्त पत्र संख्या लेखा/2019/757 दिनांक 01-07-2019 पर विचार से सम्बन्धित है।	डी० नरेश्वर राव, पूर्व कुलपति के अर्हदान भुगतान के सम्बन्ध में साक्षात्दर्श के अनुसार आगमन पर धनराशि के भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।	कार्यपरिपद् के अनुसूचक लेखकता की राव के पेशगी अर्हदान एवं अन्तरस वेतन अर्हदान पर भुगतान किया जा चुका है।

40.07	श्री एचएलओ कमीटियम, पूर्व सुलसुविध के पेशानी असाधान के मुताबान पर विचार से सम्बन्धित है।	श्री एचएलओ कमीटियम, पूर्व सुलसुविध के असाधान बुझान के सम्बन्ध में सासनबधेरा के अगुलर आगमन उन धनसुति के बुझान किये जाने की संसुति की गयी।	कार्यवाही प्रक्रियशील है।
40.08	भानसर्दासा, जटा वृष्टी अपरेसन के सनवेध सुविध पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने इनसाय जे वधवत स्वीकार कले की संसुति की तथा एक दर नई सकिा से आनु किये जाने की भी संसुति की।	कार्यपरिषद द्वारा अनुसोधन प्राप्त हो चुका है। कार्यवाही की जा रही है।
40.09	बीडएलओ/बीडएलओ (पैरेन्सिट विडर) में इलेस हेतु सम्बन्धित असाधान जेम्दी को प्रारेसिन मुक्त के मुताबान पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने प्रसाव को स्यावत स्वीकार किये जाने की संसुति की।	कार्यपरिषद द्वारा अनुसोधन प्राप्त हो चुका है। कार्यवाही की जा रही है।
40.10	कार्यवाही सलसुविध द्वारा विस्तारितसल में हो रहे / सलने जाने वाले विभिन्न निर्माण/अन्य कारों से असाव होने से सम्बन्धित है।	समिति विस्तारितसल में विभिन्न निर्माण कारों से असाव हुई।	सर्वे कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
40.11	बीडएलओ/बीडएलओ (विशिष्ट विडर) के प्रवेश प्रतीका की सलर सुविधका एवं असेसमेन्सल सलर के दुर्लभसंरक्षण हेतु परिशिष्टित बुझान पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने सलर प्रकरण पर विचारोसराना प्रति परिसरामी १० 10/- के असाव पर सम्पूर्ण सलसुति उन अनसन सलर हुए सलर धनसुति में से 80 प्रतिशत निधेसल/सिडकों में तथा 20 प्रतिशत सिलेसल अनसारीधे में सिलसि किये जाने की संसुति की।	कार्यपरिषद द्वारा अनुसोधन प्राप्त हो चुका है। कार्यवाही की जा रही है।

40.12	विश्वविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारी के स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा दिने जाने पर विचार से सम्बन्धित है।	उक्त प्रकरण पर समिति ने वैधानिक सहमति दी तथा यह भी सुझाव दिया कि कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा कवरता जमा वित्त के विभिन्न विभिन्न स्वास्थ्य बीमा कम्पनीयों से प्रस्ताव प्राप्त किये जायें।	आपेक्षी प्रतिक्रमण है।
-------	---	--	------------------------

विन्दु संख्या 41.03

IQAC के निवेशक/सदस्य रहित को स्वार्थ अहित दिने जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय में IQAC सेल स्थापित है। उक्त सेल के कार्य संभालत प्रेरु सदस्य रहित द्वारा स्वार्थ अहित की राय की गयी है। मुख्य है कि विश्वविद्यालय को प्राशासनिक अधिकारियों एवं प्रचारियों को स्वार्थ अहित दिने जाने का अनुमोदन कित्त समिति एवं कार्यपालक से प्राप्त है। मुक्ति IQAC सेल उक्त सेली में नहीं जाता है इसलिये निम्नः स्वार्थ अहित नहीं दिया जा सकता है। सदस्य रहित की राय को अनुसार प्रचारियों की भौति रु० ३०००/- स्वार्थ अहित दिने जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

"समिती ने लक्षणा प्रस्ताव को कवचता स्वीकार किये जाने की संसुति की।"

विन्दु संख्या 41.04

विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों (निवृत्त) के अतिरिक्त भवन का रकम आवंटित कवचने जाने पर सुल्क में छूट पर विचार।

विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भवन का सुल्क कित्त समिति एवं कार्यपालक द्वारा पूर्व में निर्धारित दर सारण (पूर्व संख्या 18-19) है। किसी छात्रिता द्वारा यदि भवन आवंटित करण्य जस्त है तो इसी निर्धारित दर से सुल्क जमा कराया जाता है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों (निवृत्त) द्वारा भवन आवंटन के सुल्क में छूट की राय की जाती रही है। उक्त प्रकरण के अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों को मन्गीय सुल्कपति की को अनुमति से २० प्रतिशत छूट दिये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

"समिती ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों (निवृत्त) को मन्गीय सुल्कपति की से अनुमति प्राप्त कर अतिरिक्त भवन के सुल्क में २० प्रतिशत की छूट अतिरिक्त तौन दिन तक तथा इसके लक्षण साकार्य दर से सुल्क किये जाने की संसुति की।"

विधु संख्या 41.05

बचन समिति के सदस्यों का Sitting Charge निर्धारण विषय।

विश्वविद्यालय के बचन समिति में वार्षिक सदस्यों को भी उपस्थित किया जाता है। वार्षिक सदस्यों को नियमानुसार वाक्का व्यवस्था का भुगतान किया जाता है। सदस्यों द्वारा Sitting Charge भी उम्मेदारी जाती रही है परन्तु इस प्रस्ताव का कोई दर अनुमोदित नहीं है।

बचन समिति के वार्षिक सदस्यों को ₹20,000/- प्रति बैठक प्रति दिन की दर से Sitting Charge देने जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

"समिति में उपरोक्त प्रस्ताव को संशोधित स्वीकार किये जाने की संतुष्टि की।"

विधु संख्या 41.06

पदिनिर्मित समिति के वार्षिक सदस्यों का Sitting Charge संशोधन पर विषय।

विश्वविद्यालय में निम्नलिखित पदिनिर्मित समितियाँ हैं।

1. कार्य परिषद्
2. विद्या परिषद्
3. योजना बोर्ड
4. भन्दाव बोर्ड
5. अन्वेषण बोर्ड
6. वित्त समिति
7. परीक्षा समिति

सूचित है कि वर्ष 2009 में उपरोक्त समितियों के वार्षिक सदस्यों का Sitting Charge निर्धारित किया गया था। अब लगभग 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं जबकि उस दर पर पुनर्विचार किया जाना प्रासंगिक है। संशोधित दर का प्रस्ताव निम्नवत है:-

वर्ष 2009 में निर्धारित दर	प्रस्तावित दर
रुपये 1000/-	रुपये 2500/-

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

"उक्त प्रस्ताव पर विचार के दौरान वित्त समिति के वार्षिक सदस्यों की तारीख सम्बंधित रूप से संशोधित स्तर से प्रस्ताव हो आवश्यक हो जाने के कारण निर्णय में प्रतिफल नहीं किया गया और सदस्यों से प्रस्ताव को क्या प्रस्तावित किये जाने की संतुष्टि की।"

विन्धु संख्या 41/07

योजना बोर्ड की बैठक दिनांक 01-10-2019 में की गयी संशुद्धियों पर विचार।

योजना बोर्ड की बैठक दिनांक 01-10-2019 में गिम्बलिटिका प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है-

1 विस्थापितलय के क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ के परिसर में गार्ड रूज एवं टाकलेट निर्मित कराये जाने पर विचार

विस्थापितलय के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु एक क्विने गये बुध्दक पर प्लासटीयरी का निर्माण कराये जाने एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भूतल, प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे एक कारगैस हाल, रसोई सहित दो अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु परिशेखना प्रकल्प, स.प्र. अखिल एवं विकास परिषद, निर्माण इन्स्ट्रू-3, अखिल कार्यालय, (द्वितीय तल), सेक्टर-9, बुध्दजन योजना, लखनऊ के अधिनियम धनरशि रु. 218.05 लाख के लक्षित अनुबन्ध गठित किया गया है। उक्त निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एवं लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय को उक्त मरग में स्वयन्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही भी जा रही है। उक्त परिसर में गार्डरूज एवं टाकलेट साथ ही टॉयलेट ब्लाक का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है।

योजना बोर्ड ने प्रस्ताव विन्धु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विस्थापितलय के क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ के परिसर में गार्ड रूज एवं टाकलेट निर्मित कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने का निर्णय किया।

प्रकरण विस्त सभिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

2 विस्थापितलय के सरकारी परिसर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम में अतिरिक्त कार्य कराये जाने पर विचार

विस्थापितलय के सरकारी परिसर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम में गिम्बलिटिका अतिरिक्त कार्यों/संशुद्धित कार्यों को करवाये जाये है-

- (i) सोभो सीडी के ऊपर द्वितीय तल तक अतिरिक्त सीडी का निर्माण कार्य।
- (ii) द्वितीय तल पर लिफ्ट की जोडनेन एवं मशीन रूम का निर्माण कार्य।
- (iii) आन्तरिक एवं बाह्य सेनेटरी के कार्य हेतु लकनीकी स्वीकृति के प्राक्कलन में लिफ्ट गये जी.आई एवं सी.आई पद्धत की जनत सी.पी.डी.सी एवं पी.पी.सी पद्धत का प्रयोग किया जाना इस कार्य हेतु बोर्ड की अतिरिक्त जनरति भविष्य में देय नहीं होवे।
- (iv) द्वितीय तल की टॉयलेट घरक कारिडोर को स्टेन की अन्तिम दीवाल तक काठम तक स्लैब का कार्य।
- (v) प्राक्कलन प्राक्कितित टाकलेट की जनत कुछ कुछ स्थान पर सेनाहट का कार्य।

- (vi) ऑडिटोरियम भवन के लकड़ीकी स्वीकृति के प्रकल्पन में प्रकल्पित फल सीलिंग कंपनी ऑडिटोरियम हॉल में दिया गया है। इन्ट्रेस टैल, ऑरीबोर, पी.आई.पी. पन्ना, सीटिंग प्रमरा, जनरलिंग बल अदि में खाल सीलिंग का कार्य।
- (vii) लकड़ीकी स्वीकृति के प्रकल्पन में फायर फायटिंग का प्रकल्पन प्रारम्भिक आगम में नहीं किया गया था। जैसे-डिफिकल्टर, फायर टैंक 400 के.एल, सीजल इन्जन, लॉबी पम्प, इलेक्ट्रिक पम्प, स्मोक डिटेक्टर इत्यादि।
- (viii) लकड़ीकी स्वीकृति के प्रकल्पन में रेनाक्टर हाईरिफिंग का प्रकल्पन प्रारम्भिक आगमन में नहीं किया गया था, एक युनिट प्रकल्पित।
- (ix) 12 मजदूरों की अमला वाले 02 नम लिफ्ट का प्रस्ताव।
- (x) बहुरूप विचार निट्टी की बसाई, एप्रोब रोड एवं पार्किंग हेतु डिभिन्ड फ्लोरिंग/सी.सी. रोड, स्टीट लाइट इत्यादि।
- (xi) ऑडिटोरियम भवन में कुल 06 नम दरवाजों के स्थान पर 08 दरवाजों का प्रस्ताव।
- (xii) ऑडिटोरियम भवन में सीटिंग एरिया फ्लोर हाइट को स्टेज की ऊँचाई के समान ऊपर की सी. फ्लोरिंग के साथ किया करना।
- (xiii) ऑडिटोरियम हॉल, बालकनी एवं कारीकोर के बीच में एक लक्षण फ्लोरिंग का कार्य।
- (xiv) ऑडिटोरियम हॉल में 1000 गज पी.आई.पी. कुली की आवश्यक।
- (xv) ऑडिटोरियम भवन के सीट सीलिंग में सामान्य लइट, साउन्ड सिस्टम, वॉल पैनलिंग, सेन्सुलाइज्ड ए.सी. इत्यादि।
- (xvi) ऑडिटोरियम भवन के बालनी दीवारों पर एलीमिशन टाइल्स, ए.सी.पी. एवं डिजाइन्ड हाइस्टर लॉडिंग इत्यादि।
- (xvii) 600 के.सी.ए. का लगेरेटर 05 नम।
- (xviii) ऑडिटोरियम में स्टेज हेतु पर्दा।
- (xix) ऑडिटोरियम में प्रोजेक्टर सम्पत्ती पर्दे के साथ मोटर सहित।
- (xx) ऑडिटोरियम भवन में रोमटी कमरा आवश्यकानुसार।

योजना बोर्ड ने इलानत विन्डु पर दिया गया।

योजना बोर्ड ने शिर्षकालय के सरकारी परिषद में निर्माणधीन ऑडिटोरियम में अतिरिक्त कार्य कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को विन्डु 17 को लौटकर अन्य लक्षण विन्डुओं को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। उक्त प्रस्ताव को क्रमांक 17 में पुनर्दिखा किये जाने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया।

गोपाल बोर्ड ने वह भी निर्णय लिया कि डीन एनजी की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्वाहाधीन आर्किटेक्चर के उद्य पर सोलर सिस्टम लगाने जाने का निर्णय लिया।

घरपोका कार्या के अतिरिक्त यदि कोई अन्य कार्य कराए जाने की आवश्यकता महसूस होती है तो इस हेतु कुलपति की को अधिकृत किने जाने का निर्णय लिया।

प्रस्तुत मिला समिति को विचारार्थ प्रस्तुत है।

3. विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र, कागपुर के कार्यालय हेतु पूर्व विधित्त भूखण्ड सं० ई-1, बर्रा सुप्रीमसुप्रीमीडियम की भूमि के स्थान पर आवंटित भूखण्ड सं०-04, डब्ल्यू-ब्लॉक, जूरी, बी.एच. मार्केट, के एरेंज्डर कम जे.के.डी.के. के निष्काशन प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति से अवगत होना
- विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र, कागपुर के कार्यालय हेतु कागपुर विकास प्राधिकरण की बर्रा सुप्रीमसुप्रीमीडियम बोलगा के अन्तर्गत सेक्टर-ई-1 में शैक्षणिक कार्या हेतु 1965.00 वर्ग मी. भूमि आवंटित की गयी थी, जिसके समेक कुल घनराशि 80 4,02,22,756.00 एक मुठा जमा करने हुए तथा क्षारता 80 28.86 लाख की ई-स्टाम्प प्रमुक्त करते हुए विश्वविद्यालय के पक्ष में निर्माण 07-02-2019 को तीन खंड भी सम्पन्न करी गयी थी। प्रत्येक भूमि का कक्षा द्वारा करने हेतु विश्वविद्यालय के उद्य कुलपति व कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन अधिकारी, सुप्रीम-33, उत्तर प्रदेश जल निगम, प्रयागराज के अधिकारियों ने प्राधिकरण कार्यों के साथ दिनांक 08-04-2019 को भूमि का शैक्षणिक निर्माण किया गया था कि आवंटित भूखण्ड 6.0 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है तथा शैक्षणिक विद्यालय आवंटन हेतु प्राधिकरण के सेक्टर नक्शा में दर्शाया गया है, फिर भी प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना हेतु आवंटित कर दिया। यह भी अवगत कराया कि शैक्षणिक संरचनाओं को 12.0 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर प्राधिकरण द्वारा गलत नक्शा भी सर्वेक्षण नहीं किया जा सकेगा एवं भवन निर्माण हेतु मारी वाहन की आवंटित भूखण्ड तक नहीं पहुँच सकेंगे, इस कारण से निर्माण कार्य सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के कार्यालयों में मालगीय राज्यपाल (मननीय जुलुआयिदि) व अन्य विभिन्न अधिकारियों की स्थापना में सुझा व्यवस्था के दृष्टिगत अनुचित भी होगी। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आवंटित भूखण्ड के स्थान पर एक वैकल्पिक भूखण्ड सं०-04, डब्ल्यू-ब्लॉक, सीम-जूरी, (डिप्लिड गेटेडिबल मार्केट) कागपुर, जिसका क्षेत्रफल 1302 वर्ग मीटर है, को विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय हेतु आवंटित किने जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में कार्यालय अधीक्षण अधिवक्ता (जल सेल), कागपुर विकास प्राधिकरण, कागपुर ने अपने पत्रांक-सं०डी/6168/आर्किटेक्चर/सेल/कागपुर/2019-20 दिनांक 29-07-2019 द्वारा भूखण्ड सं० ई-1, बर्रा सुप्रीमसुप्रीमीडियम के स्थान पर भूखण्ड सं०-04, डब्ल्यू-ब्लॉक, जूरी, बी.एच. मार्केट की विश्वविद्यालय के पक्ष में प्रतिवर्तित भूखण्ड के रूप में अतिरिक्त देय घनराशि रु. 1,25,08,521/- एक लाख की मीटर जमा करने हुए पूर्व विधित्त भूखण्ड सं० ई-1, बर्रा, व.पी.व.

डी.पी. को सारेक्टर कर सारेक्टर कम प्रोड कोड का निष्काशन कराने का अनुबंध किया गया था।
 उसका यह अनुक्रम में विश्वविद्यालय को प्रोड कोड/836/2019 दिनांक 25-09-2019 द्वारा
 बांवि देय धनराशि रु. 1,25,08,521/- का निष्काश द्वारा प्रेषित करते हुए सारेक्टर कम प्रोड
 कोड के निष्काशन प्रक्रिया के पूर्ण प्रयुक्त सामग्री की कीमत रु. 28,16,000/- को कार्यालयित करते हुए
 निष्काशन की प्रक्रिया का अनुबंध किया गया है एवं विश्वविद्यालय को प्रोड कोड/1158/2019
 दिनांक 26-09-2019 द्वारा अनुष्काश पर भी प्रेषित किया गया है।

संयोजन बोर्ड ने प्रस्तुत विन्दु पर विचार किया।

संयोजन बोर्ड विश्वविद्यालय के सीनियर कंसल्ट, कानपुर के कार्यालय हेतु पूर्व निबन्धित
 मूल्यांकन सं 0-1, सरा वृषीसूचीसीसी, की भूमि के स्थान पर आवंटित मूल्यांकन
 सं 0-04, कन्व-सीसी, जूरी, वी.एस. मार्केट, के सारेक्टर कम प्रोड कोड के निष्काशन
 प्रक्रिया की अवलोकन स्थिति से अवगत हुई।

प्रकरण विना समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

"समिति ने तैलमिक सहायता विवेक जाने की संतुष्टि की।"

विन्दु संख्या 41.28

प्रतिष्ठि भवन में Multipurpose Exercise Machine के क्रय पर निम्न।

विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठि भवन के एक जगह में स्थापना के लिए निर्देशक स्वस्थ विज्ञान
 विद्या काला द्वारा उक्त स्थापना के लिए Multipurpose Exercise Machine की मांग की
 गयी है उक्त मशीन का अनुमानित मूल्य रु. 1.50 लाख है।

प्रकरण समिति के समक्ष निम्नार्थ प्रस्तुत है।

"समिति ने उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने की संतुष्टि की।"

विन्दु संख्या 41.29

माननीय कुलपति जी के कक्ष के सुसाहन पर विचार।

विश्वविद्यालय का कार्यालय सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में
 विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र/परीक्षा केंद्र उक्त प्रदेश में 11 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित है। उक्त
 केंद्रों के पर्यवेक्षण हेतु माननीय कुलपति जी को सहायक मर्न से प्राप्त करना पड़ता है। कुलपति
 के सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक कक्ष उपलब्ध कराया गया है। पुलिस विभाग द्वारा मांग
 के अनुसार कक्ष का सुसाहन विश्वविद्यालय द्वारा निम्न प्रकार होगा। उक्त प्रकरण समिति के समक्ष
 निम्नार्थ प्रस्तुत है।

"समिति ने उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने की संतुष्टि की।"



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

रोक्टर-एफ, शास्त्रीपुरम्, गेटरी रोड, फर्रुखाबाद
फर्रुखाबाद-२११०१३, उ०प्र०

कित संख्या

०५३१-२००६/०१

पत्रांक: ओ० सु० / वित्त / ५७७४ / २०२०

दिनांक: ०६-०२-२०२०

आदरणीय साहोदय,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, फर्रुखाबाद की विभागीय २९ जनवरी २०२० को वित्त समिति की सम्मेलन ४२वीं बैठक में कार्यवृत्त अगले अल्पकालीन संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय
[ए.के. सिंह]

- | | | |
|---|---|--------------|
| १ | डॉ. कलेश्वरनाथ राय सिंह
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | |
| २ | डॉ० राजीव रायचौधरी,
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
(सशिक्ष, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित) | |
| ३ | बी. आर.एन. सिंह
अवर निदेशक,
कोषागार एवं बैंक, इलाहाबाद मन्डल इलाहाबाद
(प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित) | सदस्य |
| ४ | डॉ. ए.के. गुप्ता,
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| ५ | डॉ. जी.के. द्विवेदी,
परिवर्तन निदेशक,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| ६ | बी. अजय कुमार सिंह,
वित्त अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य / सचिव |

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 29-01-2020 को सम्पन्न विज्ञान समिती की 42वीं बैठक की कार्यवृत्त

- बैठक का स्थान - विश्वविद्यालय मुख्य भवन शान्तिपुर, फासामऊ, इलाहाबाद
बैठक का तिथि एवं समय - 29-01-2020, अपराह्न 03:00 बजे

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | डॉ. कानोहर नाथ सिंह
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | अध्यक्ष |
| 2 | डॉ. राजीव धर्मदेय,
संशोधन तथा शिक्षा अधिकारी,
(सचिव, राज्य शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित) | |
| 3 | श्री आर.एन. सिंह
अवर निदेशक,
भौतिक एवं पेशा, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद
(संयुक्त सचिव, विज्ञान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित) | सदस्य |
| 4 | श्री. ए.के. दुल,
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 5 | श्री. जी.के. द्विवेदी,
परिष्ठा निपटण्डक,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 6 | श्री अजय कुमार सिंह,
विज्ञान अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य/सचिव |

कार्यवृत्ति के अनुसार कार्यवाही के प्रस्ताव डॉ. कुलपति जी ने सदस्यों का सहमत किया तात्पर्यवत्
बैठक में निम्न विद्युतों पर विचार किया गया-

विद्यु संख्या 42.01

दिनांक 17-10-2019 को सम्पन्न किला समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

किला समिति की पिछली बैठक दिनांक 17-10-2019 की कार्यवृत्त विस्तारितवाक्य के तहत संख्या जे.ए.ए.ए./किला/3701/2019 दिनांक 17-10-2019 द्वारा कमी सदस्यों को इंगित कर दी गयी है। किसी सदस्य द्वारा कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

"किला समिति ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 17-10-2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।"

विद्यु संख्या 42.02

किला समिति की पिछली बैठक दिनांक 17-10-2019 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।

किला समिति की पिछली बैठक दिनांक 17-10-2019 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित आठवा निम्नलिखित है:-

संख्या संख्या	पिछली बैठक की कार्यवृत्त	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही
41.01	दिनांक 17-07-2019 को सम्पन्न किला समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	किला समिति ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 17-07-2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।	कोई कार्यवाही उपस्थित नहीं है।
41.02	किला समिति की पिछली बैठक दिनांक 17-07-2019 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही उपस्थित नहीं है।
41.03	IQAC के निदेशक/सदस्य सचिव को जहाँ अधिम दिशे जाने पर विचार।	समिति ने समस्तका प्रस्ताव को वरिष्ठ स्वीकार किये जाने की संशुक्ति की।	कार्यवृत्त के अनुसंधान/संस्था कार्यवाही की जा चुकी है।
41.04	विस्तारितवाक्य के अधिकारियों, शिक्षकों एवं वर्गवारियों (निर्देशित) को अधिमि भवन का क्या आर्बिटा कराये जाने पर सुझ में शूट पर विचार।	समिति ने विस्तारितवाक्य के अधिकारियों/शिक्षकों/ वर्गवारियों (निर्देशित) को गहनता से सुझमि की से अनुमति प्राप्त कर अधिमि क्या से सुझ में 50	कार्यवृत्त के निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

		प्रतिष्ठान की सूट अविभाज्य तीन दिन तक तथा इससे उपरान्त सप्ताह पर से शुल्क लिये जाने की संस्तुति थी।	
41.06	घराने की बैठक के सदस्यों का Sitting Charge निर्धारण विषय।	समिति ने उपरोक्त प्रस्ताव को उपाय रीकार किये जाने की संस्तुति की।	कार्यवाही द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा अनुसार मुद्रांक किया जा रहा है।
41.08	संविधान सभा के सदस्यों का Sitting Charge बढ़ोतरी पर विचार।	उक्त प्रस्ताव पर विचार के दौरान विभागीय समिति के सदस्य सदस्य की राष्ट्रीय कार्यवाही एवं की आवश्यकता विद्यमान होने के कारण निर्णय में उचित नहीं किया गया, साथ ही सदस्यों में प्रस्ताव को उपाय रीकार किये जाने की संस्तुति थी।	कार्यवाही द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा अनुसार मुद्रांक किया जा रहा है।
41.07	संविधान सभा की बैठक दिनांक 01-10-2019 में की गयी संस्तुतियों पर विचार।	समिति ने संविधान सभा के सदस्यों को उपाय रीकार किये जाने की संस्तुति की।	कई कार्यवाही उचित नहीं है।
41.08	संविधान सभा में Multipurpose Exercise Machine के उपाय पर विचार।	समिति ने उपरोक्त प्रस्ताव को उपाय रीकार किये जाने की संस्तुति की।	कार्यवाही कार्यवाही है।
41.09	संविधान सभा के सदस्यों को नगर के मुद्रांक पर विचार।	समिति ने उपरोक्त प्रस्ताव को उपाय रीकार किये जाने की संस्तुति की।	कार्यवाही के निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
41.10	संविधान सभा के सदस्यों के लिए भ्रमण (एक सप्ताह) की व्यवस्था।	समिति ने उपरोक्त प्रस्ताव को उपाय रीकार किये जाने की संस्तुति की।	कई कार्यवाही उचित नहीं है।
41.11	ICSSR (Indian Council of	समिति ने उपरोक्त प्रस्ताव	कार्यवाही द्वारा

social Science Research) को तत्काल में जाहंगिरा होमे वाली राष्ट्रीय स्तर का तीन दिवसीय सेमिनार पर विचार।	को प्रयास स्वीकार किये जाने की संसुति की।	अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। उदपुरा का कार्यवाही की जा रही है।
--	---	--

विन्तु संख्या 42.03

शिक्षक कल्याण कोष एवं कर्मचारी कल्याण कोष को लेखों को एक में समाहित करने पर विचार।

कार्यसिध्द के निर्माणानुसार उत्तर प्रदेश मूल्यांकन मन्त्रालय एवं पीपर सेटिंग के परिचयगत मुनतानी का 3 प्रतिशत की दर से शिक्षक कल्याण कोष तथा पत्राभ्यर्थाधिक, प्रोक्त प्रक्रियागत शुल्क मुताबक पर 3 प्रतिशत की दर से कर्मचारी कल्याण कोष की कटौती की जाती है। इन दोनों खतों का एक-एकान्तर अलग-अलग किया जा रहा है। कला कोष से खर सैद्धांतिक एवं गैर सैद्धांतिक कर्मचारियों को वेतनवेध पर किये जाने हैं दोनों वर्ग के कर्मचारियों को सामूहिक लाभ किये जाने में अलग-अलग खतों के एक-एकान्तर में अनुविधा हो रही है। अतः उचित होना की सुनना के द्विदिशयों से शिक्षक कल्याण कोष एवं कर्मचारी कल्याण कोष को लेखों को एक में समाहित कर दिया जाय।

प्रस्तुत दमिति को समस्त विचारार्थ प्रस्तुत है।

"समिति ने शिक्षक कल्याण कोष एवं कर्मचारी कल्याण कोष को एक में समाहित किये जाने एवं शिक्षक- कर्मचारी कल्याण कोष नाम किये जाने तथा तीन सह में इसकी विधायकरी किये जाने की संसुति की।"

विन्तु संख्या 42.04

राजस्थान के पत्र संख्या ई-202/12-वी/एस/2015-III दिनांक 08-01-2020 पर विचार।

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक परिसर में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन की कांठ की 3 पीट कायमकर प्रतीता की मूल्य रु. 388000/- के विज्ञापन हेतु निविदा विज्ञापित में मया हुए रु. 331042/- के सम्बन्ध में

1. दिनांक 13.02.2015 को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक मय में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन की 3 पीट करीब प्रतिशत लम्बाये जाने के सम्बन्ध में कार्यसिध्द की 08वीं बैठक के संकल्प संख्या : 66.04 में निर्णय किया गया।
2. प्रतीता की मूल अनुमानित मयता रु. 3,88,000/- अर्थात् गयी थी।
3. प्रतीता की मयता किये जाने के पृष्ठिगत टण्डन अभ्यर्था कल्पे सम्बन्धी विज्ञापन किये जाने हेतु विज्ञापन एजेन्सी मेरुवा अन्तर्गत उदपुरा डिप्लोमा इन्स्टीट्यूट लिमिटेड को कार्यसिध्द पत्रांक : ओ070/738/2014 दिनांक : 11.07.2015 जारी किया गया। कार्यसिध्द के

2

अनुसार फर्न द्वारा समाचार पत्रों दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश संस्करण में विज्ञापन विज्ञापित कर दिया गया।

4. उत्तरांचल अर्थात् मिथिला दिनांक 26.07.2013 को खोली नयी, प्रिन्सों को ही फर्न के प्रतिमान बनने के कारण पुनः टैम्बर अर्थात् जिन्वे जाने का निर्णय किया गया जिससे इस में पुनः टैम्बर अर्थात् जिन्वे जाने का विज्ञापन विज्ञापित करने हेतु मेकर्स अर्थात् एडवर्टाइजिंग प्रोवैडेंट सिमिटेड को कार्यादेश पत्रांक : ओ०एच०/६०६/२०१३ दिनांक : १६.०८.२०१३ जारी किया गया।

कार्यादेश के अनुसार फर्न द्वारा समाचार पत्रों राष्ट्रीय समाज अमर उजाला एवं टाइम्स अफ इण्डिया के सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश संस्करण में पुनः विज्ञापन विज्ञापित कर दिया गया।

5. विश्वविद्यालय द्वारा किये गये कार्यादेशों के अनुसार विज्ञापन विज्ञापित करने के परामर्श विज्ञापन एग्जेंसी द्वारा दिनांक 31.07.2013 को Bill No. 30318 के माध्यम से रु. 1,78,894/- तथा दिनांक 09.08.2013 को Bill No. 30448 के माध्यम से रु. 1,52,149/- का देयक प्रस्तुत किया गया जिसका कुल 3,31,042/- हुआ।

6. प्रीति की अनुमानित लागत रु. 3,86,000/- एवं टैम्बर अर्थात् जिन्वे जाने हेतु दो बार विज्ञापित करने में विज्ञापन पर हुए कुल व्यय रु. 3,31,072/- का अन्वय सिर्फ रु. 68,000/- होने के कारण प्रशासकीय कुलपति श्री द्वारा विज्ञापन में हुए व्यय रु. 3,31,072/- से भुगतान हेतु शासन से अनुमति प्राप्त करने का निर्णय किया गया।

7. विश्वविद्यालय द्वारा पत्रांक ओ०एच०/241/2014 दिनांक 18.08.2014 में यह अतिरिक्त जारी हुए कि तारिखें पुरुषोत्तम द्वारा टैम्बर की तारीखें की प्रीति पर होने वाले व्ययकार विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जावेगा, शासन को कलें की प्रीति करने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रेषित किया गया।

8. उक्त पत्र के माध्यम से शासन के पत्रांक : 520/शासन-3-2014 दिनांक : 18.08.2014 द्वारा विश्वविद्यालय की फिर्स आय से उक्त लागत वहन की जायेगी एवं ऐसे व्यय पर शासन की अनुमति प्राप्त की जाती रही है तथा इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की कोई नियमवली अर्थात् बननी नहीं है, जैसे शासन पत्रों में।

9. शासन के उक्त पत्र से संबंधित विश्वविद्यालय के पत्रांक : ओ०एच०/738/2014 दिनांक 18.08.2014 द्वारा उक्त विश्व अन्वय-4 को लागत कलें तथा कि विश्वविद्यालय के शुल्क अर्थात् से प्राप्त आय से जमानता व्यय किया जावेगा एवं पूर्वीगत परिषद के सम्पर्क में पूर्व में शासन की अनुमति प्राप्त की जाती रही है। विश्वविद्यालय द्वारा अपने अर्थ से किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध नियमवली बनानी नहीं है।

10. उत्तरांचल राज्य शिक्षा अनुदान-4 के पत्र संख्या : 999/संसार-4-2014 दिनांक 07.01.2015 से विश्वविद्यालय द्वारा अपने अर्थ से किये जाने वाले व्यय के लिए नियमवली उपलब्ध करने के निर्देश दिये गये।

11. प्रकल्प निस्तारण हेतु प्रक्रियाधीन का इली वेब पोर्टल (जबकि) एडवर्टाइजिंग अर्थात् द्वारा गद्य उत्तरांचल राज्य के शासन तकलिफ प्रेषित कर दी गयी। जिसकी किन्तु उत्तरांचल विश्वविद्यालय को पत्रांक ओ०एच०/टीसी/६०७४/२०१६ दिनांक 11.09.2015 से शासन से शब्द उत्तरांचल सचिवालय को प्रेषित कर दी गयी थी।

12. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक परिषद में तारिखें पुरुषोत्तम द्वारा टैम्बर की लागत की 3 फीट आगंकर प्रतीक की लागत रु. 388000/- के विज्ञापन हेतु मिथिला विज्ञापित में मध्य हुए रु. 331042/- के निधि लागत भुगतान हेतु फर्न वर्कन प्रदान किये जाने के सुनिश्चिता उक्त शिक्षा अनुदान-4 को विश्वविद्यालय के पत्रांक : ओ०एच०/1726/2016

दिनांक : 23.02.2018 प्रेषित किया गया। जिसपर अद्यतन कोई नया बतौर प्रदान नहीं किया गया है।

13. सेनार आरजीओ एडमिटाइडिंग प्रॉसेस द्वारा यह उच्च न्यायालय में उपस्थित सं. 770/2017 पेटिशन की नवी विस्तार निर्णय दिनांक 11.01.2017 मिलता है -
"Once till date no order has been passed by the Vice Chancellor concerned, accordingly we proceed to dispose of the writ petition by asking the Vice Chancellor, U.P. Rajarshi Tandon Open University, Allahabad to take a final call in the matter in accordance with law on the basis of record available preferable within the next two months from the date of receipt of a certified copy of this order"
14. यह उच्च न्यायालय द्वारा उपस्थित सं. 770/2017 में प्रेषित आदेश के अंत में विश्वविद्यालय के कार्य संख्या : 30000/1850/2017 दिनांक 25.03.2017 द्वारा निर्णय किया गया कि फर्न द्वारा यह राजस्थान/सुशासित के यहाँ प्रस्तुत पत्रिका पर विधि के अनुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करने पर ज्ञानन स्तर से विधि के अनुसार प्रमाण हेतु विश्व-निर्देश प्राप्त न हो जाने के कारण प्रकरण निस्तमित नहीं हो पाया कारण से विश्व निर्देश प्राप्त होने एवं सम्बन्धित विद्यार्थी द्वारा नाम दर्ज की पुष्टि के उपरान्त ही उक्त प्रकरण निस्तमित किया जा सकता है।
विश्वविद्यालय द्वारा निम्नर चम्ब शिक्षा अनुमान-4, 2002 शतक से माह फरवरी 2018 से प्रकाशित किये जा रहे हैं, जिसकी मूल्यांकन समय-समय पर यह राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त करने से संबंधित वस्तुस्थिति से अद्यतन करने हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

प्रकरण कित्त समिति के लक्ष्य विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति ने निम्नलिखित संस्तुतियाँ कीं-

1. प्रमाणित प्रकरण पर कित्त समिति का गठन किया जाय।
2. समिति ने यह भी संस्तुत किया कि विश्वनाथ एजेंसी द्वारा प्रस्तुत हरी के लक्षण में कित्त शुल्क अधिकारी कार्यालय (ऑफिस/ऑफिस) से सम्पर्क कर लिया जाय ताकि विश्वनाथ कार्यालय का अनुसंधान प्राप्त होने के बाद ही प्रमाण की कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही विन्तु संख्या 42.05

इण्टरनल काउन्सिल एक्वोरिस सेल (IQAC)/ सेनार वरि इण्टरनल क्वालिटी एक्वोरिस (CIQA) की बैठक दिनांक 06-11-2019 की अनुसंधान पर विचार।

इण्टरनल काउन्सिल एक्वोरिस सेल (IQAC)/सेनार वरि इण्टरनल क्वालिटी एक्वोरिस (CIQA) की बैठक दिनांक 06-11-2019 को सम्मन हुई जिसमें स्व-अभ्यास समिति को लेकर करने, फलनर्तन नमन्देय, डोपेण्ट निर्देशन एवं मूल्यांकन तथा धर्तुवकन शुल्क अदि ने पुष्टि के लक्षण में संस्तुतियाँ की गयी हैं। बैठक की संस्तुति/अनुसंधान समिति से सम्मन विचारार्थ प्रस्तुत है।

कित्त समिति ने सम्मता दर्ज एवं शुल्क पर सम्पर्क विश्वविद्यालय निम्नलिखित कित्तन के अनुसार प्राथमिक एवं शुल्क की संस्तुति की-



Prescribed Rates for Preparing Self Learning Material

S. No.	Activities	Existing rates (including flat whenever applicable)		New proposed rates (FIXED) w.e.f 01.01.2020	शुल्क दरों का विवरण
		Minimum	Maximum		
Development of Study material					
1	Writing of Units (per Unit) Under graduate General Under graduate Professional (RCA, BBA, B.Ed., B.Ed.(SC)) Post Graduate General Post Graduate Professional (MCA, MBA)	Rs. 3000/- Rs. 3000/- Rs. 4000/- Rs. 4000/- Rs. 5000/-	Rs. 4000/- Rs. 5000/- Rs. 5000/- Rs. 6000/-	5000/- 6000/- 6000/- 7000/-	4000/- 5000/- 5000/- 6000/-
2	Editing (Per Unit)	Rs. 1500/- (50% of the course writing whichever is less)	Rs. 3000/- (10% of the course writing)	3000/-	50% of the course writing
3	Translation (Per Unit)	Rs. 1500/- (50% of the course writing whichever is less)	Rs. 3000/- (50% of the course writing)	3000/-	50% of the course writing
4	Vetting/Language editing of translated unit (Per Unit)	Rs. 750/- (25% of the course writing whichever is less)	Rs. 1500/- (25% of the course writing)	1500/-	25% of the course writing
5	Substantial revision (Per Unit)	Rs. 1500/- (50% of the course writing whichever is less)	Rs. 3000/- (50% of the course writing)	3000/-	50% of the course writing
6	Word Processing a. Normal text / page (DTP) with CD b. Mathematical work /page including graphics with CD	Rs. 20/- (flat) Rs. 25/- (flat)		Rs. 35/- (flat) Rs. 45/- (flat)	Rs. 35/- (flat) Rs. 45/- (flat)
7	CRC Preparation (per page)	Rs. 45/- (flat)		No charge	Rs. 45/- (flat)
8	Proof reading (per page)	Rs. 8/-	Rs. 12/-	No charge	Rs. 12/-
	Rates for Laser Composing [CRC Rates] from manuscript a. For running matter in 8/9 Pt. with 2 Pt. interlinear Spacing in English and 3 Pt. in Hindi/Regional local Language	Rs. 45/- (English) Rs. 55/- (vernacular language) Rs. 35/- (English) Rs. 30/- (vernacular Language)		No charge	Rs. 45/- (English) Rs. 55/- (vernacular language) Rs. 25/- (English) Rs. 30/- (vernacular Language)
	b. For running matter in 10/11 Pt. with 2 Pt. interlinear Spacing in English and 3 Pt. in Hindi/Regional local Language	Rs. 40/- (English) Rs. 40/- (vernacular language) Rs. 22/- (English) Rs. 26/- (vernacular Language)		No charge	Rs. 40/- (English) Rs. 40/- (vernacular language) Rs. 22/- (English) Rs. 26/- (vernacular Language)

परामर्शदाताओं (Counsellors) के चयन
(1) सामान्य कार्यकारी हेतु

क्र.सं.	परिचय अनुबंधित पर			अवकाशित पुनर्निर्दिष्ट पर			विगत तारीखी द्वारा संयुक्त पर
	कार्यक्रम	चयनित प्रति आवेदनिका (१ घण्टे की)	समय (प्रति घण्टा)	कार्यक्रम	चयनित प्रति आवेदनिका (१ घण्टे की)	समय (प्रति घण्टा)	
1	स्वास्थ्य, किलोम, रडिओलॉजिस्ट व अंतराधिक कार्यकारी (कम्प्यूटर कार्यकारी को छोड़कर)	₹. 200.00	₹. 25.00 (प्रति घण्टा)	स्वास्थ्य, किलोम, रडिओलॉजिस्ट व अंतराधिक कार्यकारी (कम्प्यूटर कार्यकारी को छोड़कर)	₹. 250.00	₹. 100.00 (प्रति घण्टा)	₹ 220
2	सातवाँसायन परीक्षण	₹. 300.00	₹. 25.00 (प्रति घण्टा)	सातवाँसायन परीक्षण	₹. 300.00	₹. 100.00 (प्रति घण्टा)	₹ 250.00
3	एन.सी.ए.	₹. 600.00	₹. 30.00 (प्रति घण्टा)	एन.सी.ए.	₹. 750.00	₹. 100.00 (प्रति घण्टा)	₹ 600.00

नोट :- सामान्य कार्यकारी हेतु, परामर्श कक्षा में उपस्थित 80 छात्र होंगे।
 (1) कम्प्यूटर कार्यकारी हेतु

क्र.सं.	सांभार अनुबंधित पर			अवकाशित पुनर्निर्दिष्ट पर			विगत तारीखी द्वारा संयुक्त पर
	कार्यक्रम	चयनित प्रति आवेदनिका (१ घण्टे की)	समय (प्रति घण्टा)	कार्यक्रम	चयनित प्रति आवेदनिका (१ घण्टे की)	समय (प्रति घण्टा)	
1	सी.सी.सी. सी. डब्ल्यू. टी. सी. सी. एल. ए. एवं बी.सी.ए.	₹. 300.00	₹. 25.00 (प्रति घण्टा)	सी.सी.सी. सी. डब्ल्यू. टी. सी. सी. एल. ए. एवं बी.सी.ए.	₹. 600.00	₹. 100.00 (प्रति घण्टा)	₹ 350.00
2	पी.जी.सी.सी.ए.	₹. 350.00	₹. 25.00 (प्रति घण्टा)	पी.जी.सी.सी.ए.	₹. 650.00	₹. 100.00 (प्रति घण्टा)	₹ 400.00
3	एन.सी.ए.	₹. 600.00	₹. 30.00 (प्रति घण्टा)	एन.सी.ए.	₹. 750.00	₹. 100.00 (प्रति घण्टा)	₹ 600.00

नोट :- कम्प्यूटर कार्यकारी हेतु, परामर्श कक्षा में उपस्थित 80 छात्र होंगे।
 कम्प्यूटर एवं विज्ञान प्रयोगशाला कार्य की परीक्षा-

(i) कम्प्यूटर कार्यक्रम (निर्वाह/सहायक/विद्यार्थी, प्रशासन)

वर्षिक दर	प्रस्तावित पुनर्विचार दर	विलंब क्षतिपूर्ति द्वारा संशुद्ध दर
₹. 680/- प्रति छात्र प्रति वर्ष (Hiring charges for terminals, MRO infra-structure facilities etc.)	₹. 700/- प्रति छात्र प्रति वर्ष (Hiring charges for terminals, infra-structure facilities etc.)	₹. 680/- प्रति छात्र प्रति वर्ष (Hiring charges for terminals, infra-structure facilities etc.)

(ii) बी.एच.सी./एच.एच.सी

वर्षिक अनुमन्य दर	प्रस्तावित पुनर्विचार दर	विलंब क्षतिपूर्ति द्वारा संशुद्ध दर
1. इकाई/हाला सहायक-₹. 80/- प्रति वर्ष एवं प्रति बैच (बैच सम्मन्धतः 25 छात्रों का होगा)	1. इकाई/हाला सहायक- ₹. 200/- प्रति सेमेस्टर एवं प्रति बैच (बैच सम्मन्धतः 25 छात्रों का होगा)	इकाई/हाला सहायक- ₹. 100/- प्रति सेमेस्टर एवं प्रति बैच (बैच सम्मन्धतः 25 छात्रों का होगा)
2. इकाई/हाला परिवार-₹. 80/- प्रति वर्ष एवं प्रति बैच (बैच सम्मन्धतः 25 छात्रों का होगा)	2. इकाई/हाला परिवार-₹. 160/- प्रति सेमेस्टर एवं प्रति बैच (बैच सम्मन्धतः 25 छात्रों का होगा)	इकाई/हाला परिवार- ₹. 80/- प्रति सेमेस्टर एवं प्रति बैच (बैच सम्मन्धतः 25 छात्रों का होगा)
3. इकाई/हाला बच्चे-₹. 120/- प्रति वर्ष (दोनों बच्चों, पानी वैद्य उपकरण आदि सम्मिलित हैं।)	3. इकाई/हाला बच्चे-₹. 1000/- प्रति सेमेस्टर (दोनों बच्चों, पानी वैद्य उपकरण आदि सम्मिलित हैं।)	इकाई/हाला बच्चे 25 छात्रों तक ₹. 800/- एवं 25 से अधिक तक 1000.00 प्रति सेमेस्टर (दोनों बच्चों, पानी वैद्य उपकरण आदि सम्मिलित हैं।)
एम्प्लॉय वस्तु पर अनुमन्य दर	एम्प्लॉय वस्तु पर अनुमन्य दर	एम्प्लॉय वस्तु पर अनुमन्य दर
1. सहायक सहायक - ₹. 680/- प्रति छात्र प्रति वर्ष	1. सहायक सहायक- ₹. 780/- प्रति छात्र प्रति वर्ष	1. सहायक सहायक- ₹. 780/- प्रति छात्र प्रति वर्ष
2. उपनिवेश विज्ञान - ₹. 450/- प्रति छात्र प्रति वर्ष	2. उपनिवेश विज्ञान- ₹. 650/- प्रति छात्र प्रति वर्ष	2. उपनिवेश विज्ञान- ₹. 650/- प्रति छात्र प्रति वर्ष
3. प्राणि विज्ञान - ₹. 450/- प्रति छात्र प्रति वर्ष	3. प्राणि विज्ञान- ₹. 650/- प्रति छात्र प्रति वर्ष	3. प्राणि विज्ञान- ₹. 650/- प्रति छात्र प्रति वर्ष
4. बीजिडी - ₹. 250/- प्रति छात्र प्रति वर्ष	4. बीजिडी- ₹. 350/- प्रति छात्र प्रति वर्ष	4. बीजिडी- ₹. 350/- प्रति छात्र प्रति वर्ष
5. प्रत्येक छात्रवित्त कार्ड में उल्लिखित रूप से उपनिवेश छात्रों की संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।	5. प्रत्येक छात्रवित्त कार्ड में उल्लिखित रूप से उपनिवेश छात्रों की संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।	5. प्रत्येक छात्रवित्त कार्ड में उल्लिखित रूप से उपनिवेश छात्रों की संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
प्रशासनिक/प्रशासनिक विल निर्धारित प्रोसेस पर प्रायः होने पर मुफ्तान किया जाएगा।	प्रशासनिक/प्रशासनिक विल निर्धारित प्रोसेस पर प्रायः होने पर मुफ्तान किया जाएगा।	प्रशासनिक/प्रशासनिक विल निर्धारित प्रोसेस पर प्रायः होने पर मुफ्तान किया जाएगा।

B.Ed. तथा B.Ed SE कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक क्रिया कलाओं के मुगलान सम्बन्धी प्रस्तावित दरें।

क्रम सं.	शैक्षणिक क्रिया कलाएं	पूर्व निर्धारित दर B.Ed. तथा B.Ed SE	प्रस्तावित दर	विवर लक्षित द्वारा संशुद्ध दर
1	नवगठित पाठ/सम्बन्धी कार्यक्रम	1 रु 200/- प्रतिपाठ 2 पाठ प्रति विद्यार्थीवार के सत्र के अनुसार	1 रु 400/- प्रतिपाठ 2 रु 100/- प्रतिदिन (सत्रावधि)	1 रु 300/- प्रतिपाठ
2	उपस्थापन	रु 25/- प्रतिपाठ (Mentor द्वारा पर्यवेक्षण)	रु 40/- प्रतिपाठ (Mentor/principal द्वारा पर्यवेक्षण)	रु 30/- प्रतिपाठ (Mentor/principal द्वारा पर्यवेक्षण)
		रु 50/- प्रतिपाठ (Teacher Educator द्वारा पर्यवेक्षण)	रु 75/- प्रतिपाठ (Teacher Educator द्वारा पर्यवेक्षण)	रु 60/- प्रतिपाठ (Teacher Educator द्वारा पर्यवेक्षण)
		सत्रावधि रु 100/- प्रतिदिन प्रतिदिन 10 दिन की Teacher Educator या Special Educator	सत्रावधि रु 150/- प्रतिदिन प्रतिदिन 10 दिन की Teacher Educator या Special Educator	सत्रावधि रु 100/- प्रतिदिन प्रतिदिन 10 दिन की Teacher Educator या Special Educator
3	निर्वाहक-उपस्थापक प्रयोग	रु 400/- प्रतिपाठ सम्पूर्ण कार्य हेतु	रु 300/- प्रतिपाठ 3 व 04 के लिए	रु 300/- प्रतिपाठ 3 व 04 के लिए
4	कार्यवाही-उपस्थापक प्रयोग	1 Resource Person Rs 400/- Per Day 2 Workshop Incharge Rs 300/- Per Workshop 3 Contingency Rs 3000/- Per Workshop	1 Resource Person Rs 500/- Per Day 2 Workshop Incharge Rs 300/- Per Day 3 Contingency Rs 200/- Per Workshop	Resource Person Rs 500/- Per Day 2 Workshop Incharge Rs 300/- Per Day 3 Contingency Rs 200/- Per Workshop
5	विधि/आवधिक कार्य	रु 50/- प्रतिपाठ प्रतिदिन	उपस्थापक द्वारा के रूप में किया जा रहा है। कोई नहीं प्रस्ताव नहीं।	उपस्थापक द्वारा के रूप में किया जा रहा है। कोई नहीं प्रस्ताव नहीं।
6	प्रारंभिक कार्य के लिए विधि/आवधिक कार्य (उपस्थापक सम्बन्धी नहीं)	सत्रावधि B.Ed. SE रु 200/- प्रतिपाठ प्रतिदिन	सत्रावधि B.Ed. SE रु 200/- प्रतिपाठ प्रतिदिन	सत्रावधि B.Ed. SE रु 200/- प्रतिपाठ प्रतिदिन
7	अपस्थापक शिक्षक व प्राथमिक शिक्षक के वर्कशॉप के मुगलान	रु 50/- प्रतिपाठ सम्पूर्ण कार्य हेतु	रु 100/- प्रतिपाठ सम्पूर्ण कार्य हेतु	रु 75/- प्रतिपाठ सम्पूर्ण कार्य हेतु
8	अपस्थापक मुगलान	निर्वाहक/उपस्थापक के सत्रावधि के अनुसार	निर्वाहक/उपस्थापक के सत्रावधि के अनुसार	निर्वाहक/उपस्थापक के सत्रावधि के अनुसार
9	उपस्थापक शिक्षक व प्राथमिक शिक्षक के वर्कशॉप के मुगलान (सत्रावधि निर्वाहक/उपस्थापक द्वारा)	रु 50/- प्रतिपाठ	रु 100/- प्रतिपाठ सम्पूर्ण कार्य हेतु	रु 100/- प्रतिपाठ सम्पूर्ण कार्य हेतु

2

लघु शोध / प्रोजेक्ट निर्माण की प्रस्तावित वित्तीय वर
 वित्तिय अनुसंधित वर

वित्तिय अनुसंधित वर			प्रस्तावित वित्तीय वर			वित्तिय सहायता प्राप्त संयुक्त वर	
कार्यक्रम	प्रोजेक्ट निर्माण व आर्थिक सुव्यवस्था		व्यय सुव्यवस्था	व्यय	लघु शोध / प्रोजेक्ट निर्माण व आर्थिक सुव्यवस्था	सहाय सुव्यवस्था	
	३ अंकित	४ अंकित					
सम्पूर्ण से अधिकांश अन्य सभी कार्यक्रम	१०० रु. प्रति प्रोजेक्ट	५० रु. प्रति प्रोजेक्ट	५० रु. प्रति प्रोजेक्ट	एकीकृत कार्यक्रम	१०० रु. प्रति लघुशोध / प्रोजेक्ट	१०० रु. प्रति लघुशोध / प्रोजेक्ट	१ लघु शोध / प्रोजेक्ट व आर्थिक सुव्यवस्था १०० रु. प्रति लघुशोध / प्रोजेक्ट २ लघु शोध सुव्यवस्था १०० रु. प्रति लघुशोध / प्रोजेक्ट

**Proposed Fee structure for Under Graduate and Post Graduate programme w.e.f
July 2020 -21 session**

S.No	Programme Name	Existing Fees including processing fees per annum (Rs.)	Proposed Total Fees per annum (Rs.)	Diff ₹(₹) Diff ₹(₹) ₹
1	Bachelor of Arts (B.A.)	3700/-	4800/-	4300/-
2	Bachelor of Commerce (B.Com.)	4200/-	4800/-	5600/-
3	B.A. in Tourism	3700/-	4800/-	4650/-
4	Bachelor of Science (B.Sc.)	6200/-	8000/-	6550/-
5	Bachelor of Computer Application (BCA)	12250/-	15800/-	13000/-
6	Bachelor of Business Administration (BBA)	9200/-	11800/-	10000/-
7	Bachelor of Library and information Science (BLIS)	7700/-	9800/-	8300/-
8	Bachelor of Science (B.Sc.) Human Nutrition	8200/-	10800/-	9050/-
9	B.Ed. ODL	16200/-	23800/-	18500/-
10	B.Ed. (SE) ODL	12200/-	16900/-	15000/-
11	Master of Arts [MA] (Hindi, *English, History, Sociology, Political Science, Economics, Education, Statistics, Philosophy, Sanskrit, Social Work)	7200/-	9400/-	8300/-
12	Master of Arts [MA] Yoga	9200/-	12800/-	10850/-
13	Master of Arts [MA] Geography	8200/-	10800/-	9000/-
14	Master of Commerce [M.Com.]	7200/-	9400/-	8000/-
15	Master of Science (M.Sc.) (Statistics & Biochemistry)	8200/-	10800/-	8650/-
16	Master of Library and Information Science (MLIS)	12200/-	15800/-	13000/-
17	Master of Journalism (MJ)	6200/-	8000/-	8300/-
18	Master of Computer Science (MSc. CS.)	12200/-	16000/-	14000/-
19	Master of Computer Application (MCA)	15200/-	19000/-	17800/-
20	Master in Business Administration (MBA)	16200/-	20000/-	18000/-
21	M.Sc. (Food & Nutrition)	9200/-	11800/-	10000/-
22	M.A. (Home Science)	7200/-	9400/-	9000/-
23	Two year certificate course in Single Subject-Arts (CCSS)	3200/-	4400/-	4000/-
24	Two year certificate course in Single Subject- Science (CCSS-Sc.)	4200/-	5500/-	5000/-

2

Head wise distribution of fee for all the programmes:

S. No.	Component of Fee	Percentage (%)
1	Admission/Processing Fee	10%
2	Programme/Tuition Fee (SEM, Counseling, Learner support service)	60%
3	Examination fee	25%
4	Other (Including alumni fees of Rs. 100/- for the final semester/year learner's)	05%
	Total Programme Fee	100%

PROPOSED FEE STRUTURE

The proposed fee schedule for Doctor of Philosophy (Ph.D) Full Time Programme is Given below:

S.No	Particular	Proposed Fee	शुल्क वसुली का संक्षेप वर
1	Entrance Test Fee	Rs. 1000.00 With Application	Rs. 1000.00 With Application
2	Registration and examination fee for Ph.D vourse fee	Rs. 5000.00 Once	Rs. 5000.00 Once
3	Ph.D Registration fee	Rs. 1000.00	Rs. 1000.00
4	Programme fee	Rs. 10000.00 Per Annum	Rs. 10000.00 Per Annum
5	Pre-submission Viva fee	Rs. 5000.00 At the time of request for Per-Submission Viva	Rs. 5000.00 At the time of request for Per-Submission Viva
6	Evaluation of Thesis and viva voce fees	Rs. 10000.00 At the time of Submission of thesis	Rs. 10000.00 At the time of Submission of thesis
7	Back paper fee, if required	Rs. 500.00 per paper	Rs. 500.00 per paper

The fee schedule for Master of Philosophy (M.Phil.) Programme is Given below:

S.No	Particular	Proposed Fee	शुल्क वसुली का संक्षेप वर
1	Entrance Test Fee	Rs. 1000.00 With Application form	Rs. 1000.00 With Application form
2	Programme fee	Rs. 10000.00 Per Annum	Rs. 10000.00 Per Annum
3	Theory Examination Fee	Rs. 1000.00 (First Semester)	Rs. 1000.00 (First Semester)
4	Pre-submission Presentation fee	Rs. 2000.00 At the time of Submission for Per-Submission Viva	Rs. 2000.00 At the time of Submission for Per-Submission Viva
5	Viva voce fees	Rs. 3000.00 At the time of Submission of Project	Rs. 3000.00 At the time of Submission of Project
6	Back paper fee, if required	Rs. 500.00 per paper	Rs. 500.00 per paper

विन्तु संख्या 42.06

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ में ऑन लाइन परीक्षा कराये जाने हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता में विचार।

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ का कार्यलय अपने स्थानित भवन में स्थित हो चुका है। विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ में ऑन लाइन विभिन्न प्रतिपेदी परीक्षाएं कराये जाने हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था किया जागा है।

कोलकाता बॉर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 28-01-2020 में उपरोक्त कार्य कराये जाने की संस्तुति प्रदान की है।

उक्त प्रकरण विद्या समिति के समक्ष विद्यमान प्रस्तुत है।

"समिति ने उपरोक्त कार्य कराये जाने की रीक्षणिक संस्तुति दी।"

विन्तु संख्या 42.07

विश्वविद्यालय की सरकारी बरिसर शिक्षा टोयलेट ब्लाक को ऊपर एवं इससे बड़े जमीन पर एक बड़े हॉल का निर्माण कराये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय के सचिवी परिषद शिक्षा वीक्षणिक भवन में प्राध्यापकों/रीक्षणिक कर्मचारियों हेतु पबंधित लण्ड की कमी को पूरितगत एक बरिसर शिक्षा टोयलेट ब्लाक को ऊपर एवं इससे सटे जमीन पर एक बड़े हॉल का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त बॉर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 28-01-2020 में उपरोक्त कार्य कराये जाने की संस्तुति प्रदान की है।

प्रकरण विद्या समिति के समक्ष विद्यमान प्रस्तुत है।

"समिति ने उपरोक्त कार्य कराये जाने की रीक्षणिक संस्तुति दी।"

विन्तु संख्या 42.08

विश्वविद्यालय के गंगा परिसर शिक्षा प्रहालनिक भवन में गुम्बद के नीचे शिक्षा स्थान पर कक्षा का निर्माण कराते हुए कक्षा पर अतिरिक्तितगत प्राप्त बैठ लगाने एवं कक्षा में भारत रत्न राजर्षि प्रकरोतान दास टॉइन जी की मूर्ति स्थापित किये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय के गंगा बरिसर शिक्षा प्रहालनिक भवन में गुम्बद के नीचे शिक्षा स्थान पर कक्षा का निर्माण कराते हुये कक्षा पर अतिरिक्तितगत प्राप्त बैठ लगाने एवं इसकी मध्य में

शाखा राग चर्चार्थि पुस्तकालय यस टम्बन जी जी संभाररर जी मुर्ते खरिफि विररर ररर
प्ररररररि रै।

ररररर ररररि रै अरररि रैररर दिरररर 28-01-2020 रै अरररररर रररर ररररर रररर ररर
ररररररि प्ररररर ररि रै।

प्ररररर रररर ररररि रै ररररर ररररररि प्रररररि रै।

"ररररि रै अरररररर रररर ररररर रररर ररि ररररररररर रररररि ररि।"

रररर ररररर 42.09

ररररररररररर रै रैरररर रैररर रररररि रै अरररर रै रररि ररर ररि ररररर ररि रररररररर ररररर रररर
रर ररररर।

ररररररररररर रै रैरररर ररररररर, रररररि रैरु ररर ररररि ररर ररर ररररररर ररि अररररररर
ररर रै ररररररर ररर रररररर, रररररर ररररररररर ररररर, रररररर-ररररि रै अररररर
ररररररि रर, 238.75 रररर रै ररररर अररररर ररररि ररररि रररि ररररर रररर ररररर रर
ररर। रररर रररररर रै अररररररर ररररि रैरु ररररररि 24.76 ररर ररि अररररर रररररर
ररररर ररर, रररररि ररररि ररररि ररररररर ररि ररररर ररि ररररररर रै ररररि रैरु अररररररर
अररररर ररररररि रर, 2,25,446/- (ररररर रररि ररररि) ररि रररररर रैररि रै अररररररर
ररि प्रररररर रै ररररररि प्ररररर ररि रररि रै।

ररररर ररररि रै अरररि रैररर दिरररर 28-01-2020 रै अरररररर रररर रररर ररर
ररि रै।

प्ररररर रररर ररररि रै ररररर ररररररि प्रररररि रै।

"ररररि रै अरररररर रररर ररररर रररर ररि ररररररररर रररररि ररि।"

रररर ररररर 42.10

ररररररररररर रै रैरररर रैररर रररररर रैरु ररि रै अरररररि रररररर रै रररर ररि अरररररि
रैररररररर
रररर-4, रररर-अररर, ररररर-11, रररररर ररररर, रररि, ररररर ररर रैररररर 1382.00 ररर
रैरर ररि रै रररररर रर रैर रैरर रै रररररर रररररर रै अरररर रै।

ररररररररररर रै रैरररर रैरर, रररररर रै रररररर रैरु रररररर ररररर ररररररर
ररि ररि
ररररररररररररर रैरररर रै अरररररि रैररर-रै-1 रै रैररररि ररररि रैरु 1855.00 ररर री
ररि
अररररि रै रररि री, ररररि रै ररररि ररर रररररि रर 4,02,22,750.00 ररर रररर
ररर रररि
ररर रररररि रर 28.18 रररर रै रै-रररर ररररर ररररि ररि ररररररररर रै रर रै ररि
ररि

07-02-2019 को जील डीड भी सम्पन्नित की गयी थी। चन्नु उक्त मूखण्ड को उपयुक्त न पाये जाने से बुधियाल उसके खजान पर एक वैकल्पिक मूखण्ड सं०-04, ब्लॉक-बम्बू, चौतला-III के एम. मार्केट, जूही, बलपुर विकास क्षेत्रफल 1362 वर्ग मीटर है, जो विश्वविद्यालय को आवंटित किये जाने हेतु अनुत्प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में जवाबतय अधीनत अभियन्ता (बलक सेल), कानपुर विकास प्रभिकरण, कानपुर ने उक्त वैकल्पिक मूखण्ड को विश्वविद्यालय के पत्र में परिचालित मूखण्ड के रूप में अधिपति देय धनराशि रु. 1,25,00,521/- एक मरठ के भीतर जमा करने हेतु पूर्ण निबन्धित मूखण्ड सं० ई-1, बर्ग, न्यूपी.पुडी.पी. को सरेण्डर उन सरेण्डर कम डेस डीड का निभावन कराने का अनुत्प्रेषित किया था। जिसके क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र सं० 839/2019 दिनांक 03-08-2019 द्वारा सक्रिय देय धनराशि रु. 1,25,00,521/- का डिमाण्ड द्वारा प्रेषित करने हेतु सरेण्डर कम डेस डीड के निभावन प्रक्रिया के पूर्ण प्रयुक्त स्टाम्प कापूटी रु. 20,10,000/- को सम्प्रेषित करने हेतु निबन्धन की प्रक्रिया का अनुत्प्रेषित किया गया है एवं विश्वविद्यालय से पत्र सं० अ.पु./1158/2019 दिनांक 26-09-2019 द्वारा अनुत्प्रेषण पत्र में प्रेषित किया गया था। चन्नु जवाबतय अधीनत अभियन्ता (बलक सेल), कानपुर विकास प्रभिकरण, कानपुर के पत्र सं० सं० 7454/अधिका/बलक सेल/उपपरिमाण/2019-20 दिनांक 23-11-2019 द्वारा पुन वैकल्पिक आवंटित मूखण्ड 04 बम्बू ब्लॉक जूही वी.एम. मार्केट में एलिग्री हेतु परिचालित मूखण्ड मद में स्टाम्प रु. 30,10,000.00 + 50.00 उपलब्ध कराने का अनुत्प्रेषित किये जाने के क्रम में धनराशि धनराशि रु. 20,10,000/- के ई-स्टाम्प पेपर रु. 50/- के स्टाम्प पेपर उपलब्ध कराने हेतु सरेण्डर कम डेस डीड के निभावन की प्रक्रिया सम्पन्नित की जा चुकी है।

योजना बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 28-01-2020 में उपरोक्त कार्य से अवगत हुई।
 प्रकल्प विभा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
 "समिति उक्त प्रकल्प से अवगत हुई।"

विन्दु संख्या 42.11

दिवांग आकाश हेतु विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में शील सेवर की व्यवस्था किये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय में विभिन्न दिवांग विद्यार्थियों, अभियन्तों एवं आगन्तुकों हेतु इस विश्वविद्यालय में कम का निर्माण पूर्व में कराया जाना पुरान है लेकिन शील सेवर की व्यवस्था न होने के कारण विभिन्न दिवांग विद्यार्थियों, अभियन्तों एवं आगन्तुकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त के बुधियाल विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में शील सेवर की व्यवस्था किये जाने हेतु प्रकल्प योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 28-01-2020 में उपरोक्त कार्य कराये जाने की संसुति प्रदान की है।

प्रकल्प विभा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
 "समिति ने तीनों परिसरों में दिवांग विद्यार्थियों हेतु शील सेवर का किये जाने की संसुति की।"



विन्तु संख्या 42.13

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में बरसात के पानी के जल दबाव से मिट्टी का कटाव हो रहा है और छाहरीवादी व रिटैनिंग वाल पर होने वाले कुप्रभावों को रोकने के लिए ड्रेनेज सिस्टम एवं लेण्ड स्केपिंग कराये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में बरसात के पानी के जल दबाव से मिट्टी का कटाव हो रहा है और छाहरीवादी व रिटैनिंग वाल पर भी दुर्भाव पड़ रहा है। उक्त मिट्टी के कटाव के कारण भवनी, छाहरीवादी एवं रिटैनिंग वाल पर होने वाले कुप्रभावों को रोकने के लिए ड्रेनेज सिस्टम एवं लेण्ड स्केपिंग को कराये जाने की आवश्यकता है।

संयोजन बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 20-01-2020 में उपरोक्त कार्य कराये जाने की संसुति प्रदान की है।

प्रकरण विना सन्धि से लम्ब विद्यमान संसुति है।

"सन्धि से उपरोक्त कार्य कराये जाने की सैद्धान्तिक संसुति की।"

विन्तु संख्या 42.13

विश्वविद्यालय में NAAC की आवश्यकता को दृष्टिगत कुलपति सचिवालय में शोध एवं स्थायी/कक्षा तथा आगन्तुक कक्षा, कर्मचारी कक्षा एवं टाउन्स के परिवर्तन एवं परिभाषित कराये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय में NAAC की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कुलपति सचिवालय में आन्तरिक सजा-सज्जा, फाल्क सीटिंग एवं बुकेंग पैन्ल लगाये जाने के सम्बन्ध में संयोजन बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 08 जून, 2019 में निम्नलिखित निर्णय लिया :-

"संयोजन बोर्ड ने विश्वविद्यालय में NAAC की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कुलपति सचिवालय में आन्तरिक सजा-सज्जा, फाल्क सीटिंग एवं बुकेंग पैन्ल लगाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।"

विद्या परिषद में अपनी बैठक दिनांक 08 जून, 2019 के संकल्प संख्या 50.15(15) में एवं कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2019 के संकल्प संख्या 103.12(15-15) में उक्त निर्णय को उद्घाटन स्वीकार किया है।

उक्त निर्णय के अनुसरण में सर्वप्रथम कुलपति कक्षा, कान्हेटी कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष एवं विश्राम कक्ष में आन्तरिक परिमार्जन, फर्निचर सीटिंग एवं बुटेल फैसल लागू करा जाने हेतु राजस्थानीय कार्यकारी संस्था प्रांतीय अभियंतालय विभाग, प्रयाग-प्रयागराज के स्वीकृत आवरण संख्यांक १०, 51.10 तथा के सम्प्रेष अनुसूच्य संशोधित कर उक्त कार्य कराये जा रहे हैं। साथ परिश्रम के उक्त निर्णय के अनुसरण में कुलपति कार्यालय को होम बटो क्लॉन्ग/कॉर्न कक्ष उपग्रहक कक्ष, कार्यकारी कक्ष एवं टायलेट को परिशोधन एवं परिमार्जन हेतु विश्रमविद्यालय के पत्रांक 30.2/1874/2020 दिनांक 07-01-2020 द्वारा उक्त अनुसूचित राजस्थानीय कार्यकारी संस्था प्रांतीय अभियंतालय विभाग, प्रयाग-प्रयागराज की पुनर्विचार आवरण संख्या कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

संस्था बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 28-01-2020 में उपरोक्त कार्य कराये जाने की संसुति प्रदान की है।

प्रकरण फिलामेन्टि के संस्था विचारार्थ प्रस्तुत है।

"समिति ने उपरोक्त कार्य कराये जाने की संसुतिक संसुति दी।"

विन्दु संख्या 42.14

संस्था परिश्रम के गेट नम्बर 2 के बगल में निर्मित गार्ड रूम को लोडकर बैंक के बगल में निर्मित कराये जाने पर विचार।

विश्रमविद्यालय की संस्था परिश्रम के गेट नम्बर 2 के बगल में एक छोटा गार्ड रूम निर्मित है। पुरे गंगा परिश्रम की दृष्टता को ध्यान में रखते हुए उक्त गार्ड रूम को बैंक के बगल में निर्मित कराये जाने की संसुति संस्था बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 28-01-2020 में किया है। प्रकरण फिलामेन्टि के विचारार्थ प्रस्तुत है।

"समिति ने उपरोक्त कार्य कराये जाने की संसुतिक संसुति दी।"

विन्दु संख्या 42.15

विश्रमविद्यालय के विडिया सेन्टर के सामने एवं कुलपति कक्षा के बगल में लॉन सुसज्जित कराये जाने पर विचार।

संस्था बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 28-01-2020 में विश्रमविद्यालय के विडिया सेन्टर के सामने एवं कुलपति कक्षा के बगल में लॉन सुसज्जित कराये जाने की संसुति किया है। प्रकरण फिलामेन्टि के विचारार्थ प्रस्तुत है।

"समिति ने उपरोक्त कार्य कराये जाने की संसुतिक संसुति दी।"

विधु संख्या 42.16

विश्वविद्यालय के सरकारी परिसर स्थित महागण्ड पवित्र मदन मोहन मालवीय दीक्षाण सखरोह
प्रांगण के नू-दृश्य नियोजन (Landscaping) कराये जाने पर विचार।

संजया बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 28-05-2020 में विश्वविद्यालय के सरकारी परिसर स्थित
महागण्ड पवित्र मदन मोहन मालवीय दीक्षाण सखरोह प्रांगण के नू-दृश्य नियोजन (Landscaping)
कराये जाने की संसुति की है। प्रकल्प वित्त सचिबि के विचारार्थ प्रस्तुत है।

"सचिबि ने उपरोक्त कार्य कराये जाने की सैद्धान्तिक संसुति की।"


विधु संख्या 42.17

जेल में बन्ध कीदियों एवं किन्न्डर (Transgender) प्रवेशार्थियों को सुक में सुट किये जाने पर
विचार।

सहायक प्रवेश प्रभारी द्वारा प्रवेश कर चुकई 2220 से जेल में बन्ध कीदियों को 80 प्रतिशत एवं
किन्न्डर को प्रवेश सुक में 100 प्रतिशत की सुट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
प्रधान वित्त सचिबि के विचारार्थ प्रस्तुत है।

"सचिबि ने प्रकल्प पर सम्बन्ध विभागीयता निम्नलिखित संसुतियाँ की।

- 1 जेल में बन्ध कीदियों को प्रवेश सुक में 80 प्रतिशत की सुट प्रदान किया जाय। (प्रारंभिक
संयुक्तियों की संतकण)
- 2 किन्न्डर प्रवेशार्थियों को प्रस्ताव-एक प्रस्तुत किये जाने पर 100 प्रतिशत की सुट प्रदान कि
जाय।
- 3 विश्वविद्यालय द्वारा तय किये गये गार्डों के सक्षेपार्थों को प्रवेश किये जाने पर 80 प्रतिशत
की सुट प्रदान की जाय।


(संयुक्त विभा)
वित्त सचिबि



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

सेक्टर-एफ, शान्तीपुरा, गौहटी रोड, परगना-35

उत्तरप्रदेश-221013, उ.प्र.

विद्यार्थी

☎ +91-22-2766000

दिनांक: अंग १० / मित / २०२०

दिनांक: 04-06-2020

उत्तरणीय श्लोक,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, परगना-35 की दिनांक 23 मार्च 2020 को विद्यार्थी की सम्पूर्ण 42वीं बैठक का कार्यक्रम अधिसूचना क्रमशः 2020/2020 के अन्तर्गत जारी किया है।

प्रमुख

(प्र.सं. मित)

1. श्री. कामेश्वर शर्मा सिंह
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

2. श्री. राजेश चन्द्र,
सेक्युलर प्रशासक अधिकारी,
(विशेष, कक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भूमि)

3. श्री. अरवि सिंह
अवर निदेशक,
कोषागार एवं वेहन, इलाहाबाद सम्पूर्ण इलाहाबाद
(सूचना अधिकारी, मित विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भूमि)

4. श्री. राजेश कुमार,
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

5. श्री. देवेन्द्र प्रताप सिंह
परिष्ठा निदेशक,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

6. श्री. अजय कुमार सिंह,
मित अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य/सचिव

89
04/6/20

2
रा.प्र. शा. मित
07/06/20

श्री. अरवि सिंह

श्री. राजेश कुमार
04/6/2020

श्री. अजय कुमार सिंह

Handwritten mark

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 दिनांक 23-03-2020 को सम्पन्न किये गये समिति की 43वीं बैठक की कार्यवाही

वेदा एव ज्योरा ने कोठेका सदस्य एवं लोक सभन की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 23-03-2020 को किये गये समिति की बैठक की कार्यवाही By Circulation के द्वारा सम्पन्न की गयी।

सदस्यों के नाम

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | डॉ. काशीराम नाम सिंह
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | अध्यक्ष |
| 2 | डॉ. वीरेंद्र सिंह
आईएनएस. (संयोजक) | |
| 3 | श्री आर.एन. सिंह
अध्यक्ष निदेशक,
कोषागार एवं पेशना, इलाहाबाद कानून इलाहाबाद
(प्रमुख सचिव, किये गये, उत्तर प्रदेश सभन द्वारा नामित) | सदस्य |
| 4 | डॉ. ए.के. गुप्ता,
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 5 | डॉ. वैवेक प्रताप सिंह
परिष्कार निदेशक,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 6 | श्री अजय कुमार सिंह,
किये गये निदेशक,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य/सचिव |

बैठक में किये गये विचारों पर विचार किये गये-



विन्दु संख्या 43.01

दिनांक 29-01-2020 को सम्मन विद्या समिति की बैठक को कार्यावली की पुष्टि।

विद्या समिति की विद्युती बैठक दिनांक 29-01-2020 की कार्यावली विद्युतीकरण के एक संलग्न कोष्ठ/प्रति/4774/2020 दिनांक 08-02-2020 द्वारा सभी सदस्यों को भेजा गया था।
विद्या समिति द्वारा कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

"विद्या समिति ने अपनी विद्युती बैठक दिनांक 29-01-2020 को कार्यावली की पुष्टि की।"

विन्दु संख्या 43.02

विद्या समिति की विद्युती बैठक दिनांक 29-01-2020 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यावली से अवगत होगा।

विद्या समिति की विद्युती बैठक दिनांक 29-01-2020 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यावली से सम्बन्धित अवगत निम्नवत है:-

संलग्न संख्या	विद्युती बैठक की कार्यावली	विद्युती बैठक में लिये गये निर्णय	विद्युती बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यावली
42.01	दिनांक 29-01-2020 को सम्मन विद्या समिति की बैठक को कार्यावली की पुष्टि।	विद्या समिति ने अपनी विद्युती बैठक दिनांक 29-01-2020 को कार्यावली की पुष्टि की।	कोई कार्यावली उपस्थित नहीं है।
42.02	विद्या समिति की विद्युती बैठक दिनांक 29-01-2020 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यावली से अवगत होने से सम्बन्धित है।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यावली उपस्थित नहीं है।
42.03	विद्युतीकरण केन्द्रों एवं कर्मचारी कल्याण कोष के लेखों को एक में समाहित करने पर विद्युती से सम्बन्धित है।	"समिति ने विद्युतीकरण केन्द्रों एवं कर्मचारी कल्याण कोष को एक में समाहित किया जाने एवं विद्युतीकरण- कर्मचारी कल्याण कोष नाम दिये जाने तथा तीन माह में इसकी विद्युतीकरण वनाये जाने की	कोई कार्यावली उपस्थित नहीं है।

		संयुक्ति की।	
42.04	राजमदन के एक संयुक्त ई-202/12-जीओएस/2015-III दिनांक 03-01-2020 पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने निम्नलिखित संयुक्ति की- 1 प्रस्ताव प्रकरण पर जीव समिति का गठन किया जाय। 2 समिति ने यह भी संयुक्त किया कि विज्ञान एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत दलों के सम्बन्ध में जिला युवा अधिकाारी कार्यालय (जीओएसओ) से समीक्षा कर विचार जाय तत्पश्चात कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही युवाओं की कार्यवाही की जाय।	प्रकरण पर निम्नलिखित जा चुका है।
42.05	इन्टरनेट क्वालिटी एशोरिस सेंटर (IQAC)/ सेक्टर और इन्टरनेट क्वालिटी एशोरिस (CIQA) की बैठक दिनांक 06-11-2019 की अनुसंधान पर विचार विचार से सम्बन्धित है।	जिला समिति ने समीक्षा दलों एवं शुल्क पर सम्बन्धित विचारों/प्रस्तावित पत्रिकाएँ एवं शुल्क की संयुक्ति की।	कई कार्यवाही अवधि नहीं है।
42.06	विश्वविद्यालय के अजीब कर्मचारी में जीव लक्षण परीक्षा करने जाने हेतु आवश्यक अन्वय सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में विचार विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने उपरोक्त कार्य करने जाने की सैद्धान्तिक संयुक्ति की।	कार्यवाही प्रक्रियाओं में है।
42.07	विश्वविद्यालय के कार्यालय परिसर स्थित टीकलोट भवन के ऊपर एवं	समिति ने उपरोक्त कार्य करने जाने की सैद्धान्तिक	कार्यवाही प्रक्रियाओं में है।

	उपरोक्त एस्टेड जमीन पर एक बड़े डील का निर्माण करावे जाने पर विचार से सम्बन्धित है।	संस्तुति की।	
42.08	विश्वविद्यालय के नया परिवार स्थित प्राथमिक कक्षा में डेम के नीचे विद्या स्थान पर फर्श का निर्माण कराती हुए उस पर अतिरिक्तियाँ घास मैदान लगाने एवं अन्य में गलत रूप राजर्षि पुरुषोत्तम दास टाउन की की मार्वल की मुर्तियाँ स्थापित करने जाने पर विचार विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने उपरोक्त कार्य करावे जाने की सैद्धान्तिक संस्तुति की।	कार्यवाही प्रक्रियारत है।
42.09	विश्वविद्यालय के शैक्षिक संघ बरौली के परिवार में माई कम का निर्माण एवं परिवारण करावे जाने पर विचार विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने उपरोक्त कार्य करावे जाने की सैद्धान्तिक संस्तुति की।	कार्यवाही प्रक्रियारत है।
42.10	विश्वविद्यालय के शैक्षिक संघ कानपुर हेतु पूर्व में अधिष्ठित भूखण्ड के स्थान पर अधिष्ठित वैकल्पिक कक्षा-4, ब्लाक-उच्च, योजना-2, बीएचएच मार्ग, जूही, कानपुर कुल क्षेत्रफल 1362.00 वर्ग मीटर भूमि के क्षेत्र पर कम फ्लैट डील के निर्माण प्रक्रिया से अवगत होने से सम्बन्धित है।	समिति उक्त प्रकरण से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही उपरोक्त नहीं है।
42.11	विश्वविद्यालय के शैक्षिक संघ हेतु विश्वविद्यालय के तीन परिवारों में खील बेयर की व्यवस्था करने पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने सीमा परिवारों में विद्यालय विचारों हेतु खील बेयर व्यवस्था करने की संस्तुति की।	कार्यवाही प्रक्रियारत है।
42.12	विश्वविद्यालय के यमुना परिवार में बरखा के पानी से होने वाले	समिति ने उपरोक्त कार्य करावे जाने की सैद्धान्तिक	कार्यवाही प्रक्रियारत है।

	कक्षा के कारण मछली, चट्टानों/कचरे एवं स्ट्रेचिंग काल पर होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए ड्रेनेज सिस्टम एवं लैंडफिल स्पोर्टिंग करना जाने पर विचार से सम्बन्धित है।	संस्तुति की।	
42-13	विश्वविद्यालय में NAAC की जाचसपत्रक की दृष्टिगत सुलभता प्राधिकारण में रोप क्ले स्टाफ/कर्मियों/छात्रों द्वारा अव्यक्त कष्ट, कर्मियों/छात्रों द्वारा एवं टाइमलेट के परिचय एवं परिभाषित कक्षाएं जाने पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने उपरोक्त कार्य कराये जाने की सैद्धान्तिक संस्तुति की।	कार्यवाही प्रक्रियागत है।
42-14	नया परिसर की गेट नम्बर 3 के अग्रत में निर्मित गार्ड रूल को संरक्षण डैक के अग्रत में निर्मित कराये जाने पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने उपरोक्त कार्य कराये जाने की सैद्धान्तिक संस्तुति की।	कार्यवाही प्रक्रियागत है।
42-15	विश्वविद्यालय की मिडिल सेंटर के सामने एवं सुलभता क्ल के अग्रत में जॉन सुसज्जित कराये जाने पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने उपरोक्त कार्य कराये जाने की सैद्धान्तिक संस्तुति की।	कार्यवाही प्रक्रियागत है।
42-16	विश्वविद्यालय के सरकारी परिसर विषय महालय चर्चित मदन मोहन मालवीय वीक्षण सम्बन्धित प्राण्य से भू-दुरग निर्माण (Landscaping) कराये जाने पर विचार से सम्बन्धित है।	समिति ने उपरोक्त कार्य कराये जाने की सैद्धान्तिक संस्तुति की।	कार्यवाही प्रक्रियागत है।
42-17	जेल से बाध कीदियों एवं किन्नर (Transgender) प्रवेशियों को सुलभ में छूट दिवे जाने पर विचार।	समिति ने उपरोक्त पर सम्बन्धित विचारोपलब्ध निम्नलिखित संस्तुति की- की-	सर्व कार्यवाही अस्तित्व नहीं है।

		<p>1) लेख में अन्य विवरणों को प्रवेश शुल्क में 60 प्रतिशत की छूट प्रदान किया जाय। (प्रत्येकित पाठ्यक्रमों को छोड़कर)</p> <p>2) कितने प्रवेश विवरणों को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान कि जाय।</p> <p>3) शिक्षा विभाग द्वारा गौर लिये गये पाठों के भविष्य में प्रवेश लिये जाने पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाय।</p>	
--	--	--	--

विन्दु संख्या 43.03

वित्तीय वर्ष 2019-20 का पुनर्विहित बजट एवं 2020-21 के प्रस्तावित बजट (आय-व्यय) पर विचार।

वित्तीय वर्ष 2019-20 का पुनर्विहित बजट एवं वर्ष 2020-21 के प्रस्तावित आय-व्यय (बजट) विवरण प्रस्तुत है। संक्षेप आर एवं अन्य का विवरण आगे के संलग्न है।

"वित्तीय वर्ष 2019-20 का पुनर्विहित बजट एवं वर्ष 2020-21 के प्रस्तावित आय-व्यय (बजट) का प्रस्तावित स्वीकार किये जाने की संतुष्टि की गयी।"

विन्दु संख्या 43.04

वित्तीय वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखा (Balance Sheet) अनुसंधान प्रस्तुत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 का वार्षिक एवं अनुसंधान लेखा, आय एवं व्यय खाता तथा बैलेंस शीट सचिब के संक्षेप अनुसंधान प्रस्तुत है।

"वित्तीय वर्ष 2018-19 का वार्षिक एवं अनुसंधान लेखा, आय एवं व्यय खाता तथा बैलेंस शीट अनुसंधान किये जाने की संतुष्टि की गयी।"

विन्दु संख्या 43.05

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक (निवृत्ति/सविदा) कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा करने वाले पर विचार।

विला समिति एवं कार्यसमिधि के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा करना जाना है। इस निमित्त कुल 135 शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक (निवृत्ति/सविदा) कर्मचारियों का सर्वेक्षण प्रेषण हुआ है।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

'समिति ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक (निवृत्ति/सविदा) कर्मचारियों द्वारा प्रेषण सर्वेक्षण के अनुसार स्वास्थ्य बीमा करने वाले की संसुति की।'

विन्दु संख्या 43.06

जेल में बन्ध सजावापरात जैदियों को विश्वविद्यालय के चतुष्कामी में प्रवेश लेने पर सुल्क में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने पर विचार।

विला समिति की बैठक दिनांक 29-01-2020 में निर्णय लिया गया था की जेल में बन्ध जैदियों को प्रवेश सुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किया जाय। वर्तमान में विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारी एवं आतमार अधिकारक से बीच बैठक के दौरान यह लय रहने जाय की सजावापरात कीरी किली की प्रकार का सुल्क देने में असम्भव है अतः चतुष्कामी सुल्क में इन्हीं 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाय। अतः प्रकरण विला समिति की समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति ने उपरोक्त प्रकरण के अनुसार जेल में बन्ध सजावापरात जैदियों को विश्वविद्यालय के चतुष्कामी (अवरोधानक चतुष्कामी के प्रवेशक) में प्रवेश लेने पर सुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने की संसुति की।'


(ए.के.सिंह)
विला अधिकारी